



Government of Uttarakhand

विनियोग लेखे

2010-2011

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2010—2011

उत्तराखण्ड सरकार



विषय सूची

पृष्ठ सं०

प्रस्तावना	(1)
विनियोग लेखे का सारांश	2
विनियोग लेखे -	
01. विधान सभा	15
02. राज्यपाल	17
03. मंत्रिपरिषद्	21
04. न्याय प्रशासन	24
05. निर्वाचन	30
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	32
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये	42
08. आबकारी	70
09. लोक सेवा आयोग	72
10. पुलिस एवं जेल	74
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	83
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	115
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	134
14. सूचना	140
15. कल्याण योजनायें	145
16. श्रम और रोजगार	161
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	167
18. सहकारिता	176
19. ग्राम्य विकास	179
20. सिंचाई एवं बाढ	187
21. ऊर्जा	196
22. लोक निर्माण कार्य	200
23. उद्योग	209
24. परिवहन	215
25. खाद्य	220
26. पर्यटन	224
27. वन	227
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य	232
29. औद्योगिक विकास	238
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण	242
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	260

परिशिष्ट

(1) परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2010-2011 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।	277
(2) परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	278
(3) परिशिष्ट III	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	280
(4) परिशिष्ट IV	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	281
(5) परिशिष्ट V	उच्चत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	282

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010-2011 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में :-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

'पुनर्वि0' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
01. विधान सभा				
दत्तमत	20,10,96	1,50,00	16,48,35	1,50,00
भारित	87,35	--	50,21	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	4,82,45	--	4,20,51	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	25,88,54	--	25,69,61	--
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	98,78,89	22,00,00	68,87,42	18,14,09
भारित	28,75,02	--	15,26,32	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	10,67,24	--	9,63,91	--
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	3,96,87,97	82,65,96	3,67,36,07	38,72,60
भारित	1,68,76	--	1,49,18	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें				
दत्तमत	18,73,21,72	67,09,70	17,66,87,31	58,31,75
भारित	17,46,40,05	12,99,63,00	16,05,65,17	11,80,34,16
08. आबकारी				
दत्तमत	9,98,87	1	8,73,39	--
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	8,37,69	6,31,33	7,56,18	2,02,45
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	6,29,83,96	20,15,02	6,20,59,13	16,03,52
भारित	--	--	43	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	32,38,48,73	1,59,60,11	30,62,46,92	99,40,12
भारित	2	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	7,16,12,49	1,29,40,42	5,91,73,24	66,88,88
भारित	--	--	2	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	8,47,77,60	--	4,74,98,08	--
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	40,59,23	50,00	37,29,29	--
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनायें				
दत्तमत	4,65,25,84	17,17,45	3,81,53,51	3,43,58
भारित	--	--	40	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	72,17,76	8,37,68	60,09,72	6,71,20
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान दत्तमत	4,31,49,32	12,80,00	3,48,78,15	43,61,86
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता दत्तमत	30,79,28	8,50,20	25,92,23	1,01,83
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास दत्तमत	4,62,87,99	71,34,66	3,87,66,25	58,14,95
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़ दत्तमत	2,83,61,58	4,23,88,39	3,11,24,11	4,24,35,31
भारित	2	--	--	--
21. ऊर्जा दत्तमत	9,02,35	3,96,33,99	9,49,50	1,09,65,03
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य दत्तमत	3,80,00,74	8,62,75,01	3,45,06,54	8,88,61,66
भारित	3,97,49	50,00	1,06,32	--
23. उद्योग दत्तमत	64,29,43	14,67,78	59,15,18	3,14,73
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन दत्तमत	21,13,44	75,72,81	18,62,26	67,61,24
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
25. खाद्य				
दत्तमत	31,11,83	2,95,01	23,84,77	12,10,09,37
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	25,79,45	85,44,31	22,87,67	55,59,95
भारित	2	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	3,16,16,61	18,00,02	2,85,41,11	16,47,17
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य				
दत्तमत	1,14,40,88	11,06,67	98,88,37	8,13,82
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	88,29,94	--	86,68,62	2,99,69
भारित	39,44	--	32,51	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	4,89,20,54	2,60,59,83	3,93,00,68	1,42,49,24
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	1,39,15,53	89,28,25	94,94,88	45,63,60
भारित	--	--	--	--
कुल योग				
दत्तमत	1,13,33,18,71	28,41,83,28	1,00,03,96,27	33,86,75,19
भारित	17,95,28,31	13,06,44,33	16,36,07,25	11,82,36,61
कुल योग	1,31,28,47,02	41,48,27,61	1,16,40,03,52	45,69,11,80

का सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2010-11		2009-10	
6	7	8	9	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(हजार ₹ में)				
7,27,06	--	--	12,07,14,36	-23.36	+40918.73	-17.15	+183078.14
--	--	--	(12,07,14,36,187)	--	--	--	--
2,91,78	29,84,36	--	--	-11.31	-34.93	-14.48	-56.10
2	--	--	--	-100.00	--	--	--
30,75,50	1,52,85	--	--	-9.73	-8.49	-13.50	-1.51
--	--	--	--	--	--	--	--
15,52,51	2,92,85	--	--	-13.57	-26.46	-9.40	-9.42
--	--	--	--	--	--	--	--
1,61,32	--	--	2,99,69	-1.83	+100.00	-3.10	+100.00
6,93	--	--	(2,99,68,645)	-17.58	--	-0.26	--
96,19,86	1,18,10,59	--	--	-19.66	-45.32	-19.71	-54.54
--	--	--	--	--	--	--	--
44,20,65	43,64,65	--	--	-31.77	-48.89	-18.95	-38.69
--	--	--	--	--	--	--	--
13,57,32,12	7,22,37,57	28,09,68	12,67,29,48	-11.72	+19.17	-11.77	+1.60
1,59,21,91	1,24,07,72	85	--	-8.87	-9.50	-10.23	+4.66
15,16,54,03	8,46,45,29	28,10,53	12,67,29,48	-11.33	+10.14	-11.57	+2.49

विनियोग लेखे का सारांश (कमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रभाग

1. 20- सिंचाई एवं बाढ़
2. 21- ऊर्जा

पूंजीगत प्रभाग

1. 17 -कृषि कर्म एवं अनुसंधान
2. 20- सिंचाई एवं बाढ़
3. 22 -लोक निर्माण कार्य
4. 25 -खाद्य
5. 29 -औद्योगिक विकास

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत भी व्ययाधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है-

राजस्व प्रभाग

- 10-पुलिस एवं जेल
- 12-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विनियोग लेखे के सारांश में राजस्व प्रभारित अनुभाग में अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत आधिक्य दिखाया गया है। यह आधिक्य पूर्व वर्षों के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए इन आधिक्यों को आधिक्य के नियमानुकूलन तालिका में नहीं दिखाया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुल व्यय में पूर्व वर्षों के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के ₹ 1,18,61,34 हजार सम्मिलित है जिसमें से ₹ 1,14,32,03 हजार राजस्व तथा ₹ 4,29,31 हजार पूंजीगत अनुभाग से सम्बन्धित है। आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित है के अन्तर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 5,36,71,44 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2010-11 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यारे परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।


चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरेवार परिशिष्ट -II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार 2010-2011 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत् हैं।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत (हजार ₹ में)
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	16,36,07,25	11,82,36,61	1,00,03,96,27	33,86,75,19
घटाइये-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	--	--	18,96,69	14,74,25,46
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	16,36,07,25	11,82,36,61	99,84,99,58	19,12,49,73

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट -II में दर्शाया गया है।




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखों सहित वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतन्त्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतन्त्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबन्धन ढांचा है।

यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे



सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त है, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



दिनांक: 16 SEP 2011
स्थान: नई दिल्ली

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

अनुदान सं० 01 विधान सभा

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	20,10,96		
		20,10,96	16,48,35
पूरक	00		-3,62,61
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			3,66,62

प्रभारित-

मूल	87,35		
		87,35	50,21
पूरक	00		-37,14
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			41,83

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	50,00		
		1,50,00	1,50,00
पूरक	1,00,00		00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			00

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,62.61 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 3,66.62 लाख अभ्यर्पित किए गए।
(ii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

- | | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| (1) | 2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | | | |
| | 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | | | |
| | 101 विधान सभा | | | |

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

03	विधान सभा			
	मूल	12,64.24		
	पुनर्वि०	-3,85.09	8,79.15	8,83.16
				+4.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,00,500 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27-09-2010, 26-11-2010 एवं 15-03-2011 को ₹ 47.00 लाख की कमी का कारण यात्रा व्यय में बचत होना सूचित किया गया। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,38.09 लाख के अभ्यर्पण मुख्यतः वेतन, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, मानदेय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, जलकर एवं टेलीफोन देयकों में बचत के कारण किए गए।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
103	विधान मण्डल सचिवालय			
03	विधान सभा सचिवालय			
	मूल	7,46.72	7,65.19	7,65.19
	पुनर्वि०	18.47		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27-09-2010, 26-11-2010 एवं 15-03-2011 को ₹ 47.00 लाख की वृद्धि का कारण वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, गाड़ियों का रख-रखाव, मजदूरी एवं लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कम प्रावधान आवंटित होना सूचित किया गया। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 28.53 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

प्रभारित-

(iv) ₹ 37.14 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 41.83 लाख अभ्यर्पित किए गए।

(v) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
101	विधान सभा			
03	विधान सभा			
	मूल	87.35	45.52	50.21
	पुनर्वि०	-41.83		+4.69

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 41.83 लाख की कमी का कारण वेतन, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, मानदेय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, टेलीफोन व्यय एवं जलकर में हुई बचत सूचित किया गया।

पूजीगत:

दत्तमत-

(vi) पूजीगत अनुदान के अन्तर्गत ₹ 1,50.00 लाख के कुल प्रावधान वर्ष के दौरान उपयोग कर लिए गए।

अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
प्रभारित-			
मूल	4,69,45		
		4,82,45	4,20,51
पूरक	13,00		-61,94
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			62,55

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

प्रभारित-

- (i) ₹ 61.94 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 62.55 लाख अभ्यर्पित किए गए।
(ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	090 सचिवालय			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	2,41.85		
	पूरक	5.50	1,98.99	1,98.98
	पुनर्वि०	-48.36		-0.01
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 6.65 लाख की कमी कार्यालय व्यय लेखन सामग्री एवं छपाई, यन्त्र एवं संयन्त्र, अन्य व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 30-11-2010 को ₹ 0.80 लाख एवं दिनांक 22-03-2011 को ₹ 0.60 लाख पुनर्विनियोजित किए गए जो कि स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के अन्तर्गत और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण थे। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 43.11 लाख अभ्यर्पित किए गए जो कि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण थे।</p>				
(2)	101 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों की परिलब्धियां एवं भत्ते			
	03 राज्यपाल			
	मूल	14.70		
			13.20	13.20
	पुनर्वि०	-1.50		0.00
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 1.50 लाख की कमी मशीन और सज्जा/उपकरण और सयन्त्र में हुई बचत के कारण की गई।</p>				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	103 पारिवारिक स्थापना 03 कर्मचारीवर्ग			
	मूल	1,06.59		
	पूरक	2.00	89.46	89.46
	पुनर्वि०	-19.13		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-09-2010, 30-11-2010 एवं 22-03-2011 को ₹ 4.30 लाख की कमी महंगाई वेतन, कार्यालय व्यय एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.83 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	105 चिकित्सा सुविधायें 03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय			
	मूल	33.82		
	पूरक	5.50	35.76	35.76
	पुनर्वि०	-3.56		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 में प्रावधान में वृद्धि निम्न मदों के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण की गई—			
	➤ ₹ 1.00 लाख यात्रा व्ययों के लिए			
	➤ ₹ 1.50 लाख चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए			
	➤ ₹ 3.00 लाख औषधि तथा रसायन के लिए			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 एवं 22-03-2011 को ₹ 0.80 लाख की कमी चिकित्सा व्यय एवं अवकाश यात्रा व्ययों में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.76 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	107 संविदा भत्ते से व्यय 03 संविदा भत्ते से व्यय			
	मूल	7.60		
			4.24	4.24
	पुनर्वि०	-3.36		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-11-2010 को ₹ 3.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.36 लाख की कमी गाड़ियों के रख-रखाव एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(6)	800 अन्य व्यय 04 राज्य भवन की स्वच्छता			
	मूल	12.53		
			11.31	11.31
	पुनर्वि०	-1.22		0.00
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.22 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत, अन्य भत्ते तथा अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			

(iii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(1)	2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 800 अन्य व्यय 05 सजावट के सामान के अनुरक्षण और नवीनीकरण के लिए अनुदान मूल	2.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-2.00			
	वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 10-09-2010 एवं 31-03-2011 को पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की कमी सजावट के सामान के रख-रखाव एवं नवीनीकरण के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।				
(2)	06 पदों के नवीनीकरण के लिए विशेष अनुदान मूल	0.91	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-0.91			
	दिनांक 10-09-2010 एवं 31-03-2011 को पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की कमी अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।				
(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:					
(1)	2012 राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 106 मनोरंजन खर्च 03 मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय मूल	1.70	4.69	5.31	+0.62
	पुनर्वि०	2.99			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन ₹ 61,844 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-09-2010 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण बचत के कारण किए गए।				
(2)	108 दौरा खर्च 03 दौरा खर्च मूल	7.30	12.97	12.97	0.00
	पुनर्वि०	5.67			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-09-2010 को ₹ 2.80 लाख एवं दिनांक 15-11-2010 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.13 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	800 अन्य व्यय			
	03 राज्यपाल के लिए कार का क्रय			
	मूल	10.00		
	पुनर्वि०	8.84	18.84	18.84
				0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 8.85 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० ०३ मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2013 मंत्रिपरिषद्

दत्तमत-

मूल	25,88,54			
		25,88,54	25,69,61	-18,93
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)				43,03

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 16,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 18.93 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 43.03 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(1) 2013 मंत्रि परिषद्
00

101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन

04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी

मूल 8.80

4.01

4.01

0.00

पुनर्वि० -4.79

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.79 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए।

(2) 108 दौरा खर्च

03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का यात्रा व्यय

मूल 70.01

51.74

60.11

+8.37

पुनर्वि० -18.27

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-11-2010 को ₹ 15.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.27 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं मानदेय में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	800 अन्य व्यय			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
	मूल	2,51.50		
			2,41.91	0.00
	पुनर्वि०	-9.59		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 14.25 लाख की वृद्धि गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 23.84 लाख अभ्यर्पित किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण थे।			
	उपरोक्त क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			
	(iii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	04 मंत्रियों द्वारा मुख्यमन्त्री की सहमति से अनुदान			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00
	दिनांक 07-02-2011, 01-03-2011, 21-03-2011 एवं 31-03-2011 को पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान में कमी अन्य व्ययों के अन्तर्गत निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण की गई।			
	(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
(1)	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्तों			
	मूल	1,68.30		
			1,77.06	+0.55
	पुनर्वि०	8.76		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 55,340 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-02-2011 को ₹ 5.75 लाख एवं दिनांक 01-03-2011 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं अन्य भत्तों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.99 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के उक्त मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते			
	03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च			
	मूल	39.93		
			70.79	-1.82
	पुनर्वि०	30.86		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-11-2010 को ₹ 15.00 लाख एवं दिनांक 07-02-2011 को ₹ 16.00 लाख की वृद्धि मनोरंजन तथा सत्कार खर्च के अन्तर्गत निधि के कम आवंटन के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.14 लाख के अभ्यर्पण इसी मद के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त कम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2013	मंत्रि परिषद्			
	00			
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	03 मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	मूल	20,00.00	20,00.00	+17.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 14,80,645 एवं 2,80,000 भी सम्मिलित है।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	66,45,24		
		98,78,89	68,87,42
पूरक	32,33,65		-29,91,47
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			23,65,38

प्रभारित-

मूल	28,40,02		
		28,75,02	15,26,32
पूरक	35,00		-13,48,70
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			13,75,53

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	20,00,00		
		22,00,00	18,14,09
पूरक	2,00,00		-3,85,91
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			3,91,67

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 29,91.47 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 23,65.38 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 29,91.47 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 32,33.65 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 2014 न्याय प्रशासन

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश			
	मूल	39,08.11		
	पूरक	8,59.50	40,10.98	39,99.82
	पुनर्वि०	-7,56.63		-11.16

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,92,716, ₹ 31,025 तथा ₹ 1,20,607 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 8,59.50 लाख की वृद्धि सिविल और सेशन न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में वर्ष के दौरान पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7,56.63 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।

(2)	04 पारिवारिक न्यायालय			
	मूल	1,79.71		
	पूरक	76.50	2,15.81	2,15.53
	पुनर्वि०	-40.40		-0.28

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 72,335 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 76.50 लाख की वृद्धि पारिवारिक न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-03-2011 को ₹ 21.65 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2011 को ₹ 62.05 लाख अभ्यर्पित किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण थे।

(3)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय			
	मूल	21.90		
	पूरक	11.00	13.65	13.62
	पुनर्वि०	-19.25		-0.03

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि रेलवे मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 19.25 लाख की कमी रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

(4)	108 दण्ड न्यायालय			
	03 नियमित अधिष्ठान			
	मूल	8,40.75		
	पूरक	1,11.55	7,33.09	7,26.88
	पुनर्वि०	-2,19.21		-6.21

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 36,951 तथा ₹ 690 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,11.15 लाख की वृद्धि दण्ड न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,19.21 लाख की कमी दण्ड न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) 03 महाधिवक्ता मूल	3,65.02	3,25.04	3,32.78	+7.74
	पुनर्वि०	-39.98			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 8,14,739 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 39.98 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।				
(6)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता मूल	4,04.10	3,68.38	3,69.40	+1.02
	पुनर्वि०	-35.72			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 77,380 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 35.72 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।				
(7)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,69.41	12,91.92	6,75.45	-6,16.47
	पूरक	21,58.00			
	पुनर्वि०	-12,35.49			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21,58.00 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई— ➤ फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना हेतु ₹ 1,13.60 लाख 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार निम्न कार्यालयों के भी अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए गए। ➤ प्रांत:कालीन एवं सायंकालीन न्यायालय हेतु ₹ 8,56.00 लाख ➤ लोक अदालत के अधिष्ठान हेतु ₹ 34.26 लाख ➤ कानूनी सहायता हेतु ₹ 68.54 लाख ➤ न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ₹ 85.60 लाख ➤ सरकारी अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण हेतु ₹ 51.40 लाख ➤ विरासत भवनों के अनुरक्षण हेतु ₹ 1,54.00 लाख ➤ राज्य न्यायिक अकादमी के अधिष्ठान हेतु ₹ 3,00.00 लाख ➤ ए०डी०आर० केन्द्र की स्थापना हेतु ₹ 3,53.20 लाख ➤ न्यायालय प्रबन्धक की स्थापना हेतु ₹ 1,41.40 लाख प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12,35.49 लाख की कमी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।				
(8)	04 लोक सेवा अधिकरण मूल	1,68.22	1,58.91	1,58.86	-0.05
	पुनर्वि०	-9.31			

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.31 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, विद्युत देय, जल कर तथा लेखन सामाग्री में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(9)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	57.80		
	पूरक	1.80	47.25	47.21
	पुनर्वि०	-12.35		-0.04

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.80 लाख की वृद्धि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12.35 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल का क्रय, विद्युत देय, जल कर एवं लेखन सामाग्री में हुई बचत के कारण की गई।

(10)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	68.27		
	पूरक	1.30	53.54	53.50
	पुनर्वि०	-16.03		-0.04

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.30 लाख की वृद्धि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.03 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

(11)	07 महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल			
	मूल	19.59		
			10.76	10.72
	पुनर्वि०	-8.83		-0.04

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.83 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(12)	08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण			
	मूल	20.02		
			16.57	16.55
	पुनर्वि०	-3.45		-0.02

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.45 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2014 न्याय प्रशासन			
	00			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

05 न्यायिक भवनों का प्रतिकर
मूल 70.00

0.00 0.03 +0.03

पुनर्वि० -70.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,520 भी सम्मिलित है। वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(2) 800 अन्य व्यय

10 लोक अदालत

मूल 36.31

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० -36.31

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(3) 12 राज्य विधिक सहायता निधि

मूल 1.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० -1.00

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2014 न्याय प्रशासन

00

800 अन्य व्यय

09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी

मूल 1,15.03

पूरक 14.00

2,67.61 2,67.08 -0.53

पुनर्वि० 1,38.58

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,11.42 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

प्रभारित-

- (vi) ₹ 13,48.70 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 13,75.53 लाख अभ्यर्पित किए गए।
 (vii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2014	न्याय प्रशासन			
	00			
102	उच्च न्यायालय			
03	उच्च न्यायालय			
	मूल	28,40.00		
	पूरक	35.00	14,99.47	15,26.32
	पुनर्वि०	-13,75.53		+26.85

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 808, ₹ 342 तथा ₹ 67,63,360 भी सम्मिलित है।

अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 35.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय हेतु मोटर गाड़ियों के क्रय तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु किए गए।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 13,75.53 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत, जलकर, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, मशीन और सज्जा/उपकरण और सयन्त्र तथा अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई।

पूजीगत:

दत्तमत-

- (viii) ₹ 3,85.91 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 3,91.67 लाख अभ्यर्पित किए गए।
 (ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय			
	60 अन्य भवन			
051	निर्माण			
03	न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण			
	मूल	20,00.00		
	पूरक	2,00.00	18,08.33	18,14.09
	पुनर्वि०	-3,91.67		+5.76

माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त प्रावधान धारचुला (पिथौरागढ़) तथा पौड़ी में न्यायालय की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थे।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,91.67 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2015 निर्वाचन			
दत्तमत-			
मूल	9,67,24		
	10,67,24	9,63,91	-1,03,33
पूरक	1,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			1,02,76

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,03.33 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,02.76 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,03.33 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2015 निर्वाचन			
	00			
	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण			
	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50% के०पो०)			
	मूल	3,84.71		
		3,05.68	3,05.11	-0.57
	पुनर्वि०	-79.03		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 17,269 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-03-2011 को ₹ 32.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 10-03-2011 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.50 लाख एवं दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण द्वारा ₹ 92.03 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(2)	105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	03 सामान्य निर्वाचन			
	मूल	1,11.05		
		1,09.59	46.09	-63.50
	पुनर्वि०	-1.46		

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.46 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा भत्ता, मानदेय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन, विज्ञापन एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार 05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
	मूल	45.10		
	पुनर्वि०	-41.18	3.92	3.92
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 41.18 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			0.00

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2015 निर्वाचन 00			
	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,00.00		
	पूरक	1,00.00	4,99.01	5,62.51
	पुनर्वि०	-0.99		+63.50

माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख के प्राप्त अनुपूरक अनुदान मतदाता पहचान पत्रों के प्रकाशन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थे।

दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण द्वारा ₹ 0.99 लाख की कमी कार्यालय व्ययों एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(2)	03 विधान सभा एवं संसद मूल	26.10		
	पुनर्वि०	20.18	46.28	46.28
				0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-03-2011 को ₹ 26.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.82 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2029 भू-राजस्व			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
दत्तमत-			
मूल	3,55,03,45		
		3,96,87,97	-29,51,90
पूरक	41,84,52		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			10,55,22
प्रभारित-			
मूल	1,43,08		
		1,68,76	-19,58
पूरक	25,68		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,86,46,90 हजार नहीं लिये गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	37,50,02		
		82,65,96	-43,93,36
पूरक	45,15,94		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			1,15,47

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 29,51.90 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 10,55.22 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 29,51.90 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 41,84.52 लाख अत्यधिक सिद्ध हुए।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2029 भू-राजस्व 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय			
	मूल	3,09.63		
	पूरक	28.00	3,02.85	3,10.96
	पूरक	-34.78		+8.11
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 5,52,443 एवं ₹ 13,455 भी सम्मिलित है। माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा अतिरिक्त प्रावधान भू-राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु किया गया।			
(2)	04 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान			
	मूल	1,66.19		
	पूरक	77.35	1,67.31	1,67.29
	पूरक	-76.23		-0.02
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 77.35 लाख की वृद्धि राजस्व आयुक्त अधिष्ठान हेतु वेतन, महंगाई भत्ते, मजदूरी, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण			
	मूल	7.00		
	पूरक	18.00	11.16	11.15
	पूरक	-13.84		-0.01
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 18.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	101 संग्रहण प्रभार			
	03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार			
	मूल	19,23.52		
	पूरक	3,56.00	21,94.13	22,09.11
	पुर्नो	-85.39		+14.98
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 12,20,558 तथा ₹ 4,340 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,56.00 लाख की वृद्धि कर्मियों के वेतन महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(5)	103 भू-अभिलेख 03 जिला अधिष्ठान			
	मूल	66,91.86		
	पूरक	3,42.00	68,13.77	68,30.20
	पुनर्वि०	-2,20.09		+16.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 14,45,080, ₹ 1,63,622 तथा ₹ 1,03,259 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,42.00 लाख की वृद्धि भू-अभिलेख विभाग के कर्मियों के वेतन, महंगाई भत्ता, कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्य एवं चिकित्सा व्यय पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	04 कृषि गणना (100% के०स०)			
	मूल	51.69		
	पूरक	11.00	49.34	40.52
	पुनर्वि०	-13.35		-8.82
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 25,407 एवं ₹ 28,516 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि कृषि गणना मुख्यालय के लिए फर्नीचर एवं उपकरण तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	800 अन्य व्यय 03 खेतों की चकबन्दी			
	मूल	4,50.02		
	पूरक	1,00.00	5,37.65	5,74.42
	पुनर्वि०	-12.37		+36.77
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 36,18,731 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि खेतों की चकबन्दी जिला अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	उपरोक्त क्रम सं० (1) से (7) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचतों के कारण की गई।			
(8)	2053 जिला प्रशासन 00 093 जिला स्थापनायें 03 कलक्टरी स्थापना			
	मूल	60,09.26		
	पूरक	6,19.50	62,01.39	62,10.64
	पुनर्वि०	-4,27.37		+9.25
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 8,48,605, ₹ 62,694, ₹ 4,799 तथा ₹ 22,771 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,19.50 लाख की वृद्धि जिला कलक्टरी स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(9)	094 अन्य स्थापनायें			
	03 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	42.83		
	पुनर्वि०	-6.30		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,36,618 तथा ₹ 1,81,666 भी सम्मिलित है।	36.53	39.68	+3.15
(10)	101 आयुक्त			
	03 मुख्य कार्यालय			
	मूल	2,21.53		
	पूरक	3.00	2,16.79	2,15.42
	पुनर्वि०	-7.74		-1.37
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,23,793 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि आयुक्त मुख्य कार्यालय के व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	उपरोक्त क्रम सं० (8) से (10) के शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(11)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल			
	मूल	4,01.90		
	पूरक	11.50	3,54.48	3,91.91
	पुनर्वि०	-58.92		+37.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 37,69,349 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.50 लाख की वृद्धि राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान, अनुरक्षण एवं महंगाई वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(12)	104 सतर्कता			
	04 सतर्कता अधिष्ठान			
	मूल	3,17.07		
	पूरक	75.53	3,92.60	3,84.66
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 75.53 लाख की वृद्धि लोक आयुक्त संगठन के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			-7.94

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(13)	105 विशेष जांच आयोग			
	03 राज्य आयोग और समितियां			
	मूल	30.45		
			21.00	
	पुनर्वि०	-9.45		
			31.75	+10.75

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,71,546 भी सम्मिलित है।

(14)	107 होमगार्ड्स			
	04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)			
	मूल	4,15.90		
			2,98.50	
	पुनर्वि०	-1,17.40		
			3,05.14	+6.64

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,58,370 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-02-2011 को ₹ 94.86 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22.54 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(15)	800 अन्य व्यय			
	13 सूचना आयोग की स्थापना			
	मूल	1,11.41		
	पूरक	5.00	1,02.19	
	पुनर्वि०	-14.22		
			1,05.72	+3.53

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(16)	2075 विविध सामान्य सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	10 अशोक चक्र/वीर चक्र/जीवन रक्षा मेडल से विभूषित व्यक्तियों को एकमुश्त पुरस्कार			
	मूल	2,00.00		
			1,58.21	
	पुनर्वि०	-41.79		
			1,66.06	+7.85

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 33,205 एवं ₹ 203 भी सम्मिलित है।

(17)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
	05 आपदा राहत निधि			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,47,00.00		
			1,71,12.02	
	पूरक	24,12.02		
			1,63,10.48	-8,01.54

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,09,51,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 24,12.02 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय आपदा राहत निधि हेतु 25% राज्यांश की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(18)	06 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास मूल	1,00.00	1,00.00	22.09	-77.91
(19)	09 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन मूल	50.00	1,10.00	34.66	-75.34
	पूरक	60.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

(20)	12 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मूल	0.05	50.05	0.37	-49.68
	पूरक	50.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्मियों के वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं महंगाई वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। उपरोक्त क्रम सं० (11) से (13) एवं (15) से (20) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				

उपरोक्त क्रम सं० (6), (12), (17) से (20) के अन्तर्गत अन्तिम बचत एवं क्रम सं० (1), (4), (13), (15) एवं (16) के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2029 भू-राजस्व 00				
	103 भू-अभिलेख 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	-15,00.00
(2)	05 राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबन्धन कार्य मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि 800 अन्य व्यय .04 आपदा राहत हेतु अनुदान मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(4)	05 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण			
	मूल	10.25	10.25	0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-10.25

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	106 सिविल रक्षा			
	03 स्थापना (25% केन्द्र पोषित)			
	मूल	46.76		
			40.11	2,14.68
	पुनर्वि०	-6.65		+1,74.57

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के क्रमशः ₹ 1,74,19,260 एवं ₹ 18,124 भी सम्मिलित है।

(2)	107 होमगार्ड्स			
	03 सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	13,31.47		
			14,22.92	14,24.36
	पुनर्वि०	91.45		+1.44

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 1,44,700 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-02-2011 ₹ 94.86 लाख की वृद्धि मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.41 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(3)	2075 विविध सामान्य सेवाएं			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	09 अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर (पिथौरागढ़ में लेप्स पी.एल.ए.)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	4,27.29
	पुनर्वि०	0.00		+4,27.29

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के क्रमशः ₹ 3,54,525 एवं ₹ 1,91,308 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(4)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि 800 अन्य व्यय 10 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र मूल	1,00.00		
			1,10.62	1,70.62
	पूरक	10.62		+60.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.62 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

(1)	2029 भू-राजस्व 00 101 संग्रहण प्रभार 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.73
	पुनर्वि०	0.00		+1.73

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,72,917 है।

(2)	102 सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य 04 सीमान्त सर्वेक्षण व्यय मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.02
	पुनर्वि०	0.00		+0.02

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,812 है।

(3)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 00 003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.20
	पुनर्वि०	0.00		+0.20

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 20,128 है।

4)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3.06	3.06	27.43
----	--	------	------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 15,600 एवं ₹ 26,27,293 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(5)	03 विधिक अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	57.39
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 16,96,697 एवं ₹ 40,43,127 है।			
(6)	14 जनगणना योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.22
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 21,745 है।			
(7)	2075 विविध सामान्य सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	11 वक्फों, न्यासों और धर्मस्थों को देय वार्षिकी में वृद्धियां			
	मूल	0.10	0.10	21.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,680 एवं ₹ 21,00,000 भी सम्मिलित है।			
(8)	2245 प्राकृतिक विपतियों के कारण राहत			
	05 आपदा राहत निधि			
	800 अन्य व्यय			
	03 आपदा राहत समिति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.08
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 13,08,000 है।			

प्रभारित-

- (vii) ₹ 19.58 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	104 सर्तकता			
	05 लोक आयुक्त संगठन			
	मूल	1,43.06		
	पूरक	25.68	1,68.74	1,49.17
				-19.57

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 25.68 लाख की वृद्धि वेतन, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा व्यय एवं स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के क्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(ix) ₹ 43,93.36 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,15.47 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

09 पटवारी चौकी का निर्माण

मूल 1,50.00

पूरक 50.00 84.53 84.53 0.00

पुनर्वि० -1,15.47

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि पटवारी चौकी के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,15.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(2) 80 सामान्य

800 अन्य व्यय

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए

मूल 30,00.00

60,00.00

22,81.40

-37,18.60

पूरक 30,00.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि वरुणावत पर्वत, उत्तरकाशी के उपचार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 03 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय के भवन निर्माण/जीर्णोद्धार/भू-अधिग्रहण प्रतिकर

पूरक 2,00.00

2,00.00

6.95

-1,93.05

माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान राज्य सूचना आयोग के भवन का निर्माण/नवीनीकरण तथा भूमि अधिग्रहण के सरचार्ज के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं0 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवायें		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2059	लोक निर्माण कार्य		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
3451	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		

दत्तमत-

मूल	18,18,58,83	18,73,21,72	17,66,87,31	-1,06,34,41
पूरक	54,62,89			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				60,09,87

प्रभारित-

मूल	17,15,93,05	17,46,40,05	16,05,65,17	-1,40,74,88
पूरक	30,47,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,23 हजार नहीं लिये गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम
6075	विविध सामान्य सेवायें हेतु कर्ज
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7615	विविध उधार

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
दत्तमत-			
मूल	55,31,89		
		67,09,70	58,31,75
			-8,77,95
पूरक	11,77,81		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			3,23,18
प्रभारित-			
मूल	12,99,63,00		
		12,99,63,00	11,80,34,16
			-1,19,28,84
पूरक	00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			99,19,75

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,46,83 हजार नहीं लिये गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:
दत्तमत-

- ₹ 1,06,34.41 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 60,09.87 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 1,06,34.41 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 54,62.89 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण			
	01 स्टाम्प न्यायिक			
	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	1,00.00		
			92.76	5.34
				-87.42
	पुनर्वि०	-7.24		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 37, ₹ 18 एवं ₹ 219 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	02 स्टाम्प न्यायिकेतर			
	101 स्टाम्पों की लागत			
	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	2,50.00		
	पूरक	3,00.00	5,20.66	5,20.72
	पुनर्वि०	-29.34		+0.06

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 1,565 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	03 पंजीकरण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय			
	मूल	56.82		
	पूरक	2.85	38.94	40.13
	पुनर्वि०	-20.73		+1.19

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 1,18,942 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2.85 लाख की वृद्धि वेतन एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(4)	04 जिला व्यय			
	मूल	3,33.36		
	पूरक	80.00	3,32.72	3,96.42
	पुनर्वि०	-80.64		+63.70

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 80.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(5)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति			
	मूल	15,00.00		
			13,94.50	13,37.45
	पुनर्वि०	-1,05.50		-57.05

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (5) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को किए गए अभ्यर्षण के कारण सूचित नहीं किए गए।

(6)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
	00			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	पूरक	8,18.00		
			2,24.00	2,15.00
	पुनर्वि०	-5,94.00		-9.00

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,18.00 लाख के प्रावधान वाणिज्य कर विभाग को कम्प्यूटराइज्ड किए जाने के लिए 35% राज्यांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31-03-2011 को 5,94.00 लाख के अभ्यर्षण यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, अन्य व्यय, प्रशिक्षण व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के कय एवं लेखन सामग्री में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(7)	03 अधिष्ठान			
	मूल	5,20.64		
	पूरक	5.00	2,81.29	2,83.03
	पुनर्वि०	-2,44.35		+1.74

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,54,046 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि गुप्त सेवा हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,44.35 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

(8)	05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
	मूल	14.10		
			5.90	6.78
	पुनर्वि०	-8.20		+0.88

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.20 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन व्यय एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।

(9)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना			
	मूल	25.00		
			21.17	21.17
	पुनर्वि०	-3.83		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.83 लाख के अभ्यर्षण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

(10)	101 संग्रहण प्रभार			
	03 व्यापार कर अधिष्ठान			
	मूल	36,50.03		
	पूरक	59.00	30,65.06	33,04.85
	पुनर्वि०	-6,43.97		+2,39.79

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,78,58,913, ₹ 59,37,709, ₹ 1,30,200 एवं ₹ 61,756 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 59.00 लाख की वृद्धि व्यापार कर अधिष्ठान हेतु स्टाफ कार/मोटर गाड़ियों के कय तथा मशीनरी एवं उपकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6,43.97 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(11)	800 अन्य व्यय 05 वैट के अन्तर्गत वापसी मूल	5,00.00	1,03.90	1,03.90	0.00
	पुनर्वि०	-3,96.10			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3,96.10 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत विभिन्न कारणों से होना सूचित किया गया।				
(12)	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 00 101 संग्रहण प्रभार—मनोरंजन कर 03 मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान मूल	1,74.18	1,25.92	1,26.02	+0.10
	पुनर्वि०	-48.26			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 497 एवं ₹ 8,962 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 48.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(13)	103 संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क 03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	97.15	97.15	84.93	-12.22
(14)	2052 सचिवालय—सामान्य सेवायें 00 090 सचिवालय 03 सचिवालय अधिष्ठान मूल	51,72.14	47,04.18	46,98.59	-5.59
	पुनर्वि०	-4,67.96			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 29,000 एवं ₹ 26,328 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-11-2010 को ₹ 3.00 लाख की कमी टेलीफोन व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई। दिनांक 28-03-2011 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा की गई जो कि कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री के क्रय तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थी। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,66.96 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(15)	04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार मूल	5.00	2.28	3.16	+0.88
	पुनर्वि०	-2.72			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 87,937 भी सम्मिलित है।				

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28-03-2011 को ₹ 2.00 लाख की कमी कार्यालय व्ययों में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.72 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(16)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान मूल	86.57		
	पुनर्वि०	-0.96		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.96 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
		85.61	84.80	-0.81
(17)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ मूल	21.18		
	पुनर्वि०	-7.24		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.24 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
		13.94	13.93	-0.01
(18)	08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय मूल	20.00		
	पुनर्वि०	-1.47		
		18.53	18.53	0.00
(19)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान मूल	35.53		
	पूरक	0.80		
	पुनर्वि०	-11.00		
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 0.80 लाख के अतिरिक्त प्रावधान मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
		25.33	25.33	0.00
(20)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	48.63		
	पूरक	7.00		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.00 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के क्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
		55.63	35.70	-19.93
(21)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय मूल	26.00		
	पुनर्वि०	-8.78		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.78 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
		17.22	17.22	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(22)	091 संलग्न कार्यालय 03 राज्य सम्पति विभाग			
	मूल	12,59.31		
	पूरक	5,81.00	17,66.01	17,74.37
	पुनर्वि०	-74.30		+8.36
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,41,070 भी सम्मिलित है। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,81.00 लाख की वृद्धि राज्य सम्पति विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 74.30 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(23)	04 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय			
	मूल	37.06		
			46.41	28.15
	पूरक	9.35		-18.26
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 9.35 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रायोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के कय तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(24)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक स्टॉफ हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	1,76.95	1,76.95	61.89
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,28,538 भी सम्मिलित है।			
(25)	07 कार्यालय निरीक्षणालय			
	मूल	28.88		
			24.87	24.62
	पुनर्वि०	-4.01		-0.25
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 21,712 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को 4.01 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(26)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	16.93	16.93	1.78
	-15.15			
(27)	10 वित्त आयोग निदेशालय			
	मूल	93.59	93.59	50.57
	-43.02			
(28)	11 तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ			
	मूल	5.50	5.50	0.63
	-4.87			
(29)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना			
	पूरक	5.46	5.46	2.19
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5.46 लाख का प्रावधान वित्त आडिट प्रकोष्ठ के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(30)	13 कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ पूरक	9.74	9.74	0.52	-9.22
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9.74 लाख का प्रावधान अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।				
(31)	800 अन्य व्यय 04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	2,00.00	2,00.00	95.82	-1,04.18
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,71,087, ₹ 10,816 एवं ₹ 30,000 भी सम्मिलित है।				
(32)	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00 095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	2,55.00	30.41	30.39	-0.02
	पुनर्वि०	-2,24.59			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,55.00 लाख का प्रावधान 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में कर्मचारियों/पेंशनरों के डाटाबेस तैयार किए जाने हेतु लेखा तथा खजाना निदेशालय के व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,24.59 लाख की कमी व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय तथा अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।				
(33)	05 लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान मूल पूरक पुनर्वि०	1,72.40 14.00 -20.03	1,66.37	1,66.53	+0.16
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान एवं लघु निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 20.03 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(34)	097 खजाना स्थापना 03 कोषागार अधिष्ठान मूल पूरक पुनर्वि०	25,41.61 1,57.00 -2,11.23	24,87.38	24,93.87	+6.49
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,73,385 एवं ₹ 5,26,438 भी सम्मिलित है। प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,57.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,11.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(35)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय			
	मूल	18.41		
	पूरक	2.20	16.47	16.43
	पुनर्वि०	-4.14		-0.04
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2.20 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा अन्य भत्तों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(36)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
	04 सहकारी एवं पंचायतें लेखा परीक्षा			
	मूल	5,44.91		
	पूरक	16.50	5,01.26	5,01.23
	पुनर्वि०	-60.15		-0.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,444 एवं ₹ 5,315 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 16.50 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, गाड़ियों का अमुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, किराया, कर एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 60.15 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(37)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन			
	मूल	1,65.00	1,65.00	1,00.70
				-64.30
(38)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ			
	01 सिविल			
	102 पेंशन का सांराशीकृत मूल्य			
	03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु ऑफ पेंशन)			
	मूल	2,00,00.01		
			1,16,77.88	1,16,77.87
	पुनर्वि०	-83,22.13		-0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 83,22.13 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।			
(39)	104 उपादान			
	03 उपादान			
	मूल	2,10,00.01		
			1,55,68.01	1,53,03.19
	पुनर्वि०	-54,32.00		-2,64.82
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 54,32.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(40)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	1,00,00.01	66,80.01	66,80.68	+0.67
	पुनर्वि०	-33,20.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 33,20.00 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(41)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को सेवा नैवृतिक सुविधाएं मूल	25,00.01	8,54.82	8,55.07	+0.25
	पुनर्वि०	-16,45.19			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16,45.19 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(42)	115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवा निवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल	73,00.02	65,73.02	62,67.03	-3,05.99
	पूरक	15,00.00			
	पुनर्वि०	-22,27.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,95,106 भी सम्मिलित है। प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति/पदच्युत पर अवकाश नकदीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22,27.00 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(43)	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल	2,50.00	2,50.00	17.61	-2,32.39
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 25,758 भी सम्मिलित है।				
(44)	05 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना मूल	10.00			
	पूरक	83.42	91.24	91.24	0.00
	पुनर्वि०	-2.18			
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 83.42 लाख की वृद्धि सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.18 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(45)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 4,55.00	15,55.00	3,91.83	-11,63.17
	पूरक 11,00.00			
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 11,00.00 लाख की वृद्धि जनगणना-2011 के अन्तर्गत मानदेय एवं प्रशिक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(46)	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक 2,70.05	1.97	1.97	0.00
	पुनर्वि० -2,68.08			
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,70.05 लाख का प्रावधान निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया—			
	➤ भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना का क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन (100% कें०स०)			
	➤ 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में राज्य एवं जिला सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,68.08 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(47)	03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान मूल 10,61.43 पूरक 30.47 पुनर्वि० -2,61.58	8,30.32	8,27.78	-2.54
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 59,423 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 30.47 लाख की वृद्धि मजदूरी, प्रकाशन, कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों के कय तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,61.58 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(48)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल 60.19 पूरक 1.00 पुनर्वि० -26.27	34.92	43.70	+8.78
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय एवं विद्युत देयों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 26.27 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(49)	800 अन्य व्यय 03 एन०आई०सी० राज्य इकाई को सहायता मूल 2.00	0.00	0.01	+0.01
	पुनर्वि० -2.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 650 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(50)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	9,67.00	9,67.00	1,78.71	-7,88.29
(51)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	34,94.22	34,94.22	30,71.39	-4,22.83
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,26,00,000 भी सम्मिलित है।				
(52)	192 नगर पालिका/नगर निकाय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	24,72.00	24,72.00	5,78.36	-18,93.64
(53)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	99,20.44	99,20.44	92,59.86	-6,60.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,00,000 भी सम्मिलित है।				
(54)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,65.00	5,65.00	1,19.74	-4,45.26
(55)	03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	23,68.74	23,68.74	19,55.99	-4,12.75
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 27,00,000 भी सम्मिलित है।				
(56)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	60.00	60.00	50.00	-10.00
(57)	02 पंचायती राज संस्थाएं 196 जिला पंचायतें/परिषदें 01 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	31,74.00	31,74.00	5,50.40	-26,23.60
(58)	03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	48,66.62	48,66.62	42,74.40	-5,92.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 42,40,000 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(59)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	35,46.00	35,46.00	8,25.60	-27,20.40
(60)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	71,75.52	71,75.52	63,48.00	-8,27.52
(61)	04 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	47.50	47.50	45.60	-1.90
(62)	198 ग्राम पंचायतें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	59,10.00	59,10.00	13,76.00	-45,34.00
(63)	05 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	7,80.00	7,80.00	7,69.18	-10.82

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 00 800 अन्य व्यय 06 प्रवेश कर के सापेक्ष विकास निधि को अन्तरण मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00
(2)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 800 अन्य व्यय 03 वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते आदि की वृद्धियों के लिए एक मुश्त प्रावधान मूल	15,00.00	4,49.60	0.00	-4,49.60
	पुनर्वि०	-10,50.40			

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ 01 सिविल 106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान			
	मूल	40.01	40.01	0.00
	वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-40.01
(4)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान			
	मूल	1,50.00		
	पुनर्वि०	-79.29	70.71	0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-70.71
(5)	800 अन्य व्यय 05 पूर्ववर्ती यू०पी० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
	मूल	1,20.00	1,20.00	0.00
	वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-1,20.00
(6)	06 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष उपचार हेतु सहायता			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
	वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-1,00.00
(7)	09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-10.00
(8)	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 06 भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना			
	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-2,50.00
(9)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 192 नगर पालिका/नगर निकाय 04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 03 न्यायिक स्टाम्प मूल	50.00	19.16	70.30	+51.14
	पुनर्वि०	-30.84			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन कमशः ₹ 2,098 एवं ₹ 72 भी सम्मिलित है।				
(2)	02 स्टाम्प-न्यायिकेतर 102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03 गैर अदालती स्टाम्प मूल पूरक पुनर्वि०	1.00 1,00.00 58.81	1,59.81	3,47.39	+1,87.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन कमशः ₹ 1,46,969 एवं ₹ 16,35,703 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-08-2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 41.19 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए। अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।				
(3)	2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर 00 001 निदेशन एवं प्रशासन 04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान मूल	1,43.70	1,43.70	3,76.24	+2,32.54
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन कमशः ₹ 84,48,570 ₹ 34,48,581, ₹ 1,32,110 एवं ₹ 74,266 भी सम्मिलित है।				
(4)	2047 अन्य राजकोषीय सेवायें 00 103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 03 राज्य अल्प बचत संगठन मूल	4,01.41	2,73.62	4,72.82	+1,99.20
	पुनर्वि०	-1,27.79			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन कमशः ₹ 2,00,10,713 एवं ₹ 6,342 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,27.79 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00			
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
	03 कोषागार एवं वित्त सवाये अधिष्ठान			
	मूल	1,35.33		
	पूरक	20.17	1,71.53	1,73.17
	पुनर्वि०	16.03		+1.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,74,561 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.17 लाख की वृद्धि विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-07-2010 को ₹ 53.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा मशीन एवं उपकरणों हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि दिनांक 31-03-2011 को ₹ 36.97 लाख के अभ्यर्पण किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण थे।			
(6)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
	03 स्थानीय निधि सम्प्रेक्षा			
	मूल	2,51.43		
	पूरक	4.40	2,82.78	2,82.64
	पुनर्वि०	26.95		-0.14
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,816 भी सम्मिलित है।			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को 4.40 लाख का प्रावधान मानदेय एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 एवं 31-03-2011 को ₹ 36.54 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.59 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।			
(7)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ			
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	03 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	मूल	3,30,00.01		
			5,03,06.04	5,01,88.04
	पुनर्वि०	1,73,06.03		-1,18.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,73,06.03 लाख की वृद्धि सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन			
	03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	30,00.01		
			56,76.52	56,76.91
	पुनर्वि०	26,76.51		+0.39

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(9)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल	17,50.01	42,32.54	42,32.53	-0.01
	पुनर्वि०	24,82.53			
(10)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मूल	35,00.01	1,06,74.01	1,06,74.04	+0.03
	पुनर्वि०	71,74.00			
(11)	111 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल	10.01	89.30	89.29	-0.01
	पुनर्वि०	79.29			
(12)	800 अन्य व्यय 04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता मूल	3,00.00	25,27.00	25,27.22	+0.22
	पुनर्वि०	22,27.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (8) से (12) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।				
(13)	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान मूल	1,95.80	2,56.45	2,22.00	-34.45
	पूरक	14.25			
	पुनर्वि०	46.40			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14.25 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-07-2010 को ₹ 46.40 लाख की वृद्धि राज्य वित्त आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं पांच अशासकीय सदस्यों के देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(14)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800 अन्य व्यय 01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा भुरोनिधानित योजनाएं मूल	0.00	0.00	1.02	+1.02
	पूरक	0.00			
	पुनर्वि०	0.00			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(15)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 02 पंचायती राज संस्थाएं 198 ग्राम पंचायतें 03. राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	1,00,96.95	1,00,96.95	1,05,79.60	+4,82.65

उपरोक्त क्रम सं० (7) और (13) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत एवं क्रम सं० (1) से (4) एवं (15) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/आधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ:

(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प-न्यायिकेतर 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अन्य व्यय मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	0.47	+0.47
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 47,474 के कारण है।

(2)	800 अन्य व्यय 03 निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	0.30	+0.30
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 30,000 के कारण है।

(3)	2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर 00 800 अन्य व्यय 03 मोटर स्पीट एवं लुब्रीकेन्ट के कराधिभार के सापेक्ष निधि को सक्रमण मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	4.96	+4.96
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,50,353 तथा ₹ 1,45,327 के कारण है।

(4)	2047 अन्य राजकोषीय सेवायें 00				
-----	----------------------------------	--	--	--	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	800 अन्य व्यय			
	03 भारतीय भांगिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	65.31		
	पूरक	2.50	57.62	13,56.08
	पुनर्वि०	-10.19		+12,98.46

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 13,00,54,492 के कारण है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(5)	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
	00			
	092 अन्य कार्यालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	10.61
	पुनर्वि०	0.00		+10.61

वास्तविक व्यय वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 10,61,428 के कारण है।

(6)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
	00			
	200 अन्य विभिन्न क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन			
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों का समनुदेशन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	7,79.25
	पुनर्वि०	0.00		+7,79.25

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,79,25,499 के कारण है।


**राजस्व:
प्रभारित-**

- (vii) ₹ 1,40,74.88 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 1,40,74.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 30,47.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	2049 ब्याज अदायगियां			
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
	10 राज्य विकास ऋण, 2010			
	मूल	26,20.72	26,20.72	5,00.63
				-21,20.09
(2)	14 राज्य विकास ऋण जो 2003-04 में प्राप्त हुआ			
	मूल	84,46.14	84,46.14	84,42.71
				-3.43

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	15 राज्य विकास ऋण जो 2004-05 में प्राप्त हुआ मूल	19,04.03	19,04.03	19,00.34	-3.69
(4)	17 राज्य विकास ऋण जो 2006-07 में प्राप्त हुआ मूल	30,38.97	30,38.97	30,25.61	-13.36
(5)	19 राज्य विकास ऋण जो 2008-09 में प्राप्त हुआ मूल	71,83.10	71,83.10	53,08.00	18,75.10
(6)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	10,00.00	10,00.00	94.90	-9,05.10
(7)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल	5,97,28.00	5,97,28.00	5,47,35.16	-49,92.84
(8)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	5,00.00	5,00.00	3,09.63	-1,90.37
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,72,524 भी सम्मिलित है।					
(9)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	74,15.63	-25,84.37
(10)	11 उ०प्र० राज्य वि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड) मूल	34,00.00	34,00.00	14,58.60	-19,41.40
(11)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्ध पर व्यय मूल	3,00.00	3,00.00	1,57.30	-1,42.70
(12)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	2,50.00	2,50.00	1,12.85	-1,37.15
(13)	108 बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज 03 कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना पर ब्याज मूल	1,00.00	1,00.00	21.00	-79.00
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 21,00,000 भी सम्मिलित है।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(14)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	101 जमाओं पर ब्याज			
	03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी.एल.ए. में) अवशेष			
	मूल	65,00.00	65,00.00	11,70.50
				-53,29.50
(15)	701 विविध			
	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज			
	मूल	0.01		
			90.01	40.00
	पूरक	90.00		
				-50.01
(16)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	06 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिकी से सम्बन्धित धनराशि			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,07.37
				-92.63
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
	00			
	797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहत ऋण शोधन निधि का अन्तरण			
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00
				-10,00.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(2)	2049 ब्याज अदायगियां			
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
	21 राज्य विकास ऋण जो 2010-11 में प्राप्त किए गए			
	पूरक	29,57.00	29,57.00	0.00
				-29,57.00
(3)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
	05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	07 राज्य विकास ऋण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	47.69
	पुनर्वि०	0.00		+47.69
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 21,05,000, ₹ 21,05,000 एवं ₹ 5,59,291 भी सम्मिलित है।			

(2)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	04 पूर्वोत्तर उ०प्र० के नैगोसिएटेड ऋण के प्रभाजित अंश पर ब्याज			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	54.23
	पुनर्वि०	0.00		+54.23
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,96,912 एवं ₹ 35,26,472 भी सम्मिलित है।			

पूँजीगत:

दत्तमत—

- (xiii) ₹ 8,77.95 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 3,23.18 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (xiv) ₹ 8,77.95 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 11,77.81 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (xv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य भवन			
	03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	1,00.00	1,00.00	53.74
				-46.26
(2)	05 वाणिज्य कर/कम्पोजिट चौकी का निर्माण			
	मूल	7,50.00		
			5,86.13	2,27.85
	पुनर्वि०	-1,63.87		-3,58.28

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,00,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 0.80 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,63.07 लाख की कमी विभिन्न कारणों से बचत का होना सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	06 कोषागार/उपकोषागार के निर्माण पूरक	1,94.31	1,94.31	1,86.86	-7.45
(4)	09 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण मूल	15,00.00	13,85.03	13,85.03	0.00
	पुनर्वि०	-1,14.97			
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,14.97 लाख की कमी का कारण विभिन्न कारणों से हुई बचत को सूचित किया गया।				
(5)	11 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवनों का निर्माण मूल	50.01	50.01	25.00	-25.01
(6)	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 02 शहरी आवास 800 अन्य भवन 04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि मूल	5,00.00	7,00.00	65.00	-6,35.00
	पूरक	2,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	12 मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना मूल	4,00.00	29.78	29.78	0.00
	पुनर्वि०	-3,70.22			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-08-2010 को ₹ 1,55.93 लाख, दिनांक 13-09-2010 को ₹ 79.46 लाख, दिनांक 16-09-2011 को ₹ 75.00 लाख, दिनांक 27-09-2010 को ₹ 29.37 लाख, दिनांक 29-09-2010 को ₹ 10.24 लाख एवं दिनांक 04-03-2011 को ₹ 19.83 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.39 लाख की कमी का कारण योजना में निधि की कम आवश्यकता होना सूचित किया गया।				
(8)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 102 सामुदायिक विकास 91 जिला योजना मूल	15,00.00	17,43.50	17,05.59	-37.91
	पूरक	2,43.50			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,43.50 लाख की वृद्धि सीमान्त विकास खण्डों के विकास के लिए अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				



(xx) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00 101 बाजार कर्ज 06 बिना ब्याज के बजार कर्ज मूल 1,02,00.00 पुनर्वि० -99,19.75	2,80.25	0.00	-2,80.25
(2)	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज 01 अन्य संस्थाओं से कर्ज मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00
(3)	800 अन्य ऋण 03 अन्य ऋण मूल 10.00	10.00	0.00	-10.00
(4)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज 800 अन्य कर्ज 04 भूमि तथा जल संरक्षण मूल 30.00	30.00	0.00	-30.00
(5)	06 सड़कें तथा पुल मूल 2.00	2.00	0.00	-2.00
(6)	09 फसल कृषि कर्म मूल 20.00	20.00	0.00	-20.00
(7)	10 अन्य मूल 20.00	20.00	0.00	-20.00
(8)	07 1984-85 से पूर्व के कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 अन्य कर्ज मूल 5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xxi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00 101 बाजार कर 03 ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान मूल 90,00.00	90,00.00	1,01,50.24	+11,50.24
(2)	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान मूल 7,00,00.00	7,00,00.00	7,05,87.00	+5,87.00
(3)	111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति 03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान मूल 1,50,00.00	1,50,00.00	1,52,89.75	+2,89.75
(4)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 01 आयोजनेत्तर कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 पूर्वोत्तर उ०प्र० के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी मूल 1,00.00	1,00.00	1,30.01	+30.01
(5)	04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 सहकारिता मूल 1,60.00	1,60.00	1,79.24	+19.24

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को 18.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन व्यय, बिक्री व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय, कम्प्यूटर के अनुरक्षण एवं लेखन सामग्री के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-03-2011 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि विद्युत व्यय एवं अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 32.42 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(2)	04 भट्ठियां			
	मूल	7,25.34		
	पूरक	6.30	6,19.25	6,29.83
	पुनर्वि०	-1,12.39		+10.58

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,47,215 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को 6.30 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान एवं किराया उपशुल्क के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-03-2011 को ₹ 2.50 लाख की कमी तथा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,09.89 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iv) पूँजीगत प्रभाग में ₹ 0.01 लाख की के प्रावधान वर्ष पर्यन्त अप्रयुक्त रहे।

अनुदान सं० ०९ लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹में)
-----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित—

मूल	6,68,86			
		8,37,69	7,56,18	-81,51
पूरक	1,68,83			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

प्रभारित—

मूल	1,00,00			
		6,31,33	2,02,45	-4,28,88
पूरक	5,31,33			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				3,36,87

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

प्रभारित—

- (i) ₹ 81.51 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 81.51 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक विनियोग ₹ 1,68.83 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
	2051 लोक सेवा आयोग			
	00			
	102 राज्य लोक सेवा आयोग			
	03 राज्य लोक सेवा आयोग			
	मूल	6,68.86		
			8,37.69	7,56.18
	पूरक	1,68.83		-81.51

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,68.83 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूंजीगत :

प्रभारित—

- (iv) ₹ 4,28.88 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 3,36.87 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (v) ₹ 4,28.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक विनियोग ₹ 5,31.33 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (vi) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
03	लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पूरक	5,31.33	2,94.46	2,02.45
	पुनर्वि०	-3,36.87		-92.01

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,31.33 लाख की वृद्धि लोक सेवा आयोग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को 3,36.87 लाख की कमी का कारण वृहत निर्माण कार्य में बचत होना सूचित किया गया। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2055 पुलिस			
2056 जेलें			
दत्तमत—			
मूल	5,46,68,69		
		6,29,83,96	-9,24,83
पूरक	83,15,27		
			-6,62,65
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			
प्रभारित—			
मूल	00		
		00	+43
पूरक	00	43	
पूंजीगत :			
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत—			
मूल	20,15,02		
		20,15,02	-4,11,50
पूरक	00		
			78,92
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			
टिप्पणियां एवं टीकायें			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 9,24.83 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 6,62.65 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।			
(ii) ₹ 9,24.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 83,15.27 लाख अत्याधिक सिद्ध हुए।			
(iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2055 पुलिस 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय मूल 14,96.22 पूरक 1,72.50 पुनर्वि० -44.60	16,24.12	16,25.61	+1.49
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 76,803, ₹ 26,892 तथा ₹ 50,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 10.19 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 34.41 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।</p>				
(2)	003 शिक्षा और प्रशिक्षण 04 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य मूल 4,01.98 पूरक 22.25 पुनर्वि० -63.40	3,60.83	3,61.33	+0.50
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 57.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.40 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।</p>				
(3)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 03 अभिसूचना अधिष्ठान मूल 30,49.51 पूरक 9,23.30 पुनर्वि० -4,98.86	34,73.95	34,72.67	-1.28
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 4,51.13 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 47.73 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।</p>				
(4)	04 सुरक्षा व्यवस्था मूल 6,67.68 पूरक 1,44.50 पुनर्वि० -85.16	7,27.02	7,28.92	+1.90
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,90,862 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 62.04 लाख, दिनांक 28-03-2011 को ₹ 0.50 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22.62 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।</p>				
(5)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण मूल 93.98 पूरक 2.35 पुनर्वि० -15.30	81.03	83.96	+2.93
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 11.75 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.55 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।</p>				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(6)	104 विशेष पुलिस 03 राज्य शास्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य			
	मूल	1,01,98.70		
	पूरक	2,32.30	90,91.25	90,66.39
	पुनर्वि०	-13,39.75		-24.86
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,11,607 एवं ₹ 14,725 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 तथा 28-03-2011 को ₹ 13,00.27 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 39.48 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(7)	04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना			
	मूल	14,60.36		
	पूरक	9,47.10	23,83.39	23,79.27
	पुनर्वि०	-24.07		-4.12
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 9.13 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को 14.94 लाख की कमी इंडिया रिजर्व वाहिनी के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(8)	109 जिला पुलिस 04 रेडियो अधिष्ठान			
	मूल	22,44.51		
	पूरक	2,44.80	24,44.67	24,73.78
	पुनर्वि०	-44.64		+29.11
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,40,876 भी सम्मिलित है।			
(9)	07 घुडसवार पुलिस इकाई			
	मूल	1,44.12		
	पूरक	5.00	1,39.64	1,39.53
	पुनर्वि०	-9.48		-0.11
(10)	08 यातायात व्यवस्था			
	मूल	19.00		
			14.49	13.98
	पुनर्वि०	-4.51		-0.51
(11)	09 जल पुलिस			
	मूल	3.75		
	पूरक	0.50	1.70	1.70
	पुनर्वि०	-2.55		0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(12)	11 श्वान दल				
	मूल	6.00			
	पूरक	0.50	2.99	2.99	0.00
	पुनर्वि०	-3.51			
(13)	110 ग्राम पुलिस				
	03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान				
	मूल	1,11.00			
			1,08.92	1,07.14	-1.78
	पुनर्वि०	-2.08			
(14)	111 रेलवे पुलिस				
	03 मुख्य				
	मूल	1,42.16			
	पूरक	10.70	1,44.41	1,46.96	+2.55
	पुनर्वि०	-8.45			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 60,013 भी सम्मिलित है।					
(15)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण				
	04 चिकित्सालय व्यय				
	मूल	1,70.60			
	पूरक	1.50	1,70.39	1,42.21	-28.18
	पुनर्वि०	-1.71			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 51,924, ₹ 64,897 एवं ₹ 23,492 भी सम्मिलित है।					
(16)	05 खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं टूर्नामेन्ट के सम्बन्ध में व्यय				
	मूल	90.00			
			77.97	78.45	+0.48
	पुनर्वि०	-12.03			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 47,850 भी सम्मिलित है।					
(17)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (50%)				
	मूल	6,50.00			
			4,78.30	4,78.30	0.00
	पुनर्वि०	-1,71.70			
उपरोक्त क्रम सं० (8) से (17) के शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(18)	800 अन्य व्यय 03 अभियोजन अधिष्ठान मूल	3,21.81	3,21.81	2,56.04	-65.77
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 79,386 एवं ₹ 8,721 भी सम्मिलित है।					
(19)	11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद् मूल	15.71	21.41	14.88	-6.53
	पूरक	5.70			
(20)	13 निर्वाचन मूल	1,80.00	1,19.62	1,19.62	0.00
	पुनर्वि०	-60.38			
(21)	16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान मूल	72.40	90.03	90.03	0.00
	पूरक	23.86			
	पुनर्वि०	-6.23			
(22)	2056 जेलें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 कारागार अधिष्ठान मूल	18,00.54	19,55.04	17,27.59	-2,27.45
	पूरक	1,54.50			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 6,81,225 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,54.50 लाख की वृद्धि जेल अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(23)	04 कारागार मुख्यालय मूल	55.82	56.62	51.24	
	पूरक	0.80			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहाँ परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2055 पुलिस 00			
	800 अन्य व्यय			
	05 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार मूल	5.00	5.00	0.00
				-5.00
(2)	15 राज्य सुरक्षा आयोग मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00		

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2055 पुलिस 00				
	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता				
	05 आपराधिक अन्वेषण				
	मूल	3,02.35			
	पूरक	54.11	3,65.25	3,65.44	+0.19
	पुनर्वि०	8.79			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 14.39 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.60 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर थे।

(2)	109 जिला पुलिस 03 जिला पुलिस (मुख्य)				
	मूल	2,65,01.00			
	पूरक	43,83.00	3,24,40.55	3,24,55.04	+14.49
	पुनर्वि०	15,56.55			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उच्चत का समायोजन कमशः ₹ 8,36,168 तथा ₹ 90,233 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 17,17.71 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,61.16 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	05 मोटर परिवहन अधिष्ठान			
	मूल	17,14.92		
	पूरक	79.50	18,41.62	18,40.68
	पुनर्वि०	47.20		-0.94
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 56.90 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.70 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	800 अन्य व्यय			
	04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान			
	मूल	21,35.30		
	पूरक	39.00	22,39.99	22,80.98
	पुनर्वि०	65.69		+40.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 40,50,891 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 1,34.95 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 69.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	10 कुम्भ मेला व्यवस्था			
	मूल	3,16.11		
	पूरक	8,59.00	12,30.58	12,33.18
	पुनर्वि०	55.47		+2.60
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,00,023 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-09-2010 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि आपूर्तिकर्ताओं के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.53 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	17 स्पेशल टास्क फोर्स			
	मूल	53.77		
			60.51	72.31
	पुनर्वि०	6.74		+11.80
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 9.60 लाख की वृद्धि मजदूरी, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.86 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

प्रभारित-

(vi) प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत ₹ 0.43 लाख के व्यय निम्नानुसार थे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2055 पुलिस			
	00			
	109 जिला पुलिस			
	03 जिला पुलिस (मुख्य)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.43
	पुनर्वि०	0.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए।

मुख्य लेखाशीर्ष 2055 'पुलिस' के विभिन्न उपशीर्षों में माह सितम्बर 2010 को ₹ 81,54.27 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान द्वारा पुलिस मुख्यालय, शिखा एवं प्रशिक्षण, अभिसूचना अधिष्ठान, सुरक्षा व्यवस्था अधिष्ठान, आपराधिक अन्वेषण, भारत-नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण, राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य, इण्डिया रिजर्व वाहिनी अधिष्ठान, जिला पुलिस मुख्य, रेडियो अधिष्ठान, मोटर परिवहन अधिष्ठान, घुडसवार पुलिस इकाई, जल पुलिस, श्वान दल, रेलवे पुलिस मुख्य, पुलिस कार्मिकों का कल्याण, अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान तथा राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु किए गए।

पूजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 4,11.50 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 78.92 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
4055	पुलिस पर पूजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 जेलों का निर्माण/भूमि क्रय			
	मूल	5,00.00	5,00.00	3,31.39
				-1,68.61

उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 जेलों का आधुनिकीकरण			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
				-5,00.00

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	211 पुलिस आवास			
	04 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	2,75.01		
		2,75.00	3,74.93	+99.93
	पुनर्वि०	-0.01		
(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,00.00		
		2,21.09	3,43.67	+1,22.58
	पुनर्वि०	-78.91		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,22,38,000 भी सम्मिलित है।
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 78.91 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपयोग न हो पाने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।

(xi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

(1)	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	211 पुलिस आवास			
	03 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य) मूल	2,50.00	2,50.00	3,08.21
				+58.21

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 58,21,000 भी सम्मिलित है।

(2)	800 अन्य व्यय			
	05 पुलिस आधुनिकीकरण मूल	0.01	0.01	55.32
				+55.31

वास्तविक व्यय वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 55,32,000 के कारण है।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2202 सामान्य शिक्षा
2203 तकनीकी शिक्षा
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें
2205 कला एवं संस्कृति

दत्तमत—

मूल	28,64,34,04			
		32,38,48,73	30,62,46,92	-1,76,01,81
पूरक	3,74,14,69			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				1,93,47,91

प्रभारित—

मूल	2			
		2	00	-2
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

पूंजीगत:

4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	47,63,09			
		1,59,60,11	99,40,12	-60,19,99
पूरक	1,11,97,02			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				56,89,18

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,76,01.81 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 1,93,47.91 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) ₹ 1,76,01.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 3,74,14.69 लाख अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 10,25.00 पुनर्वि० -8,54.72	1,70.28	6,84.40	+5,14.12
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,14,15,271 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8,54.72 लाख की कमी केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(2)	14 सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान मूल 4,50.00 पुनर्वि० -83.12	4,50.00	4,43.24	-6.76
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,16,562 भी सम्मिलित है।			
(3)	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान मूल 27,36.00 पुनर्वि० -83.12	27,36.00	20,71.89	-6,64.11
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,60,000 भी सम्मिलित है।			
(4)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल 4,00.00 पुनर्वि० -83.12	3,16.88	3,16.87	-0.01
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 83.12 लाख की कमी मांग प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(5)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 04 प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पन्द्रह ₹ प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति मूल 10.00 पुनर्वि० -3.90	6.10	6.02	-0.08
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.90 लाख की कमी मांग प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(6)	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान मूल 9,26.83 पूरक 0.01 पुनर्वि० -1,80.18	7,46.66	7,17.94	-28.72

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 80,129 एवं ₹ 3,151 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 तथा 16-03-2011 को ₹ 50.83 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,29.35 की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,25.81	3,34.54	3,23.46	-11.08
	पुनर्वि०	8.73			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 22.83 लाख की वृद्धि माह फरवरी 2011 के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.10 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(8)	101 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल	16,50.62	14,10.66	13,64...	-46.10
	पुनर्वि०	-2,39.96			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,23,889, ₹ 1,72,171 एवं ₹ 2,81,963 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 1,95.60 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 44.36 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन एवं महंगाई भत्ते में हुई बचत के कारण की गई।				
(9)	107 छात्रवृत्तियां 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3.44	1.40	3.16	+1.76
	पुनर्वि०	-2.04			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,51,300 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.04 लाख के अभ्यर्पण प्रावधान के अधिक आवंटन के कारण किए गए।				
(10)	05 देश के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना मूल	2.60	0.25	0.25	0.00
	पुनर्वि०	-2.35			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.35 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(11)	07 अवर उच्चविद्यालय (कक्षा 7-8) पर अतिरिक्त छात्र वृत्तियों की व्यवस्था मूल	1.80	0.09	0.06	-0.03
	पुनर्वि०	-1.71			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.71 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(12)	09 प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था मूल	10.00	10.00	8.79	-1.21
(13)	108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद् मूल	5,36.50	5,36.50	5,10.16	-26.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 39,52,812 एवं ₹ 5,706 भी सम्मिलित है।				
(14)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान मूल	5,79.32	5,79.32	5,65.22	-14.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 19,225 भी-सम्मिलित है।				
(15)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 05 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना तथा राजकीय जू0हा0 स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर कर्मोनयन मूल	4,67.15			
	पूरक	0.03	1,53.03	1,75.54	+22.51
	पुनर्वि०	-3,14.15			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,98,164, ₹ 70,555 एवं ₹ 4,838 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 को ₹ 1,37.91 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,76.24 लाख की कमी अध्यापकों के रिक्त पदों को न भरे जाने से हुई बचत के कारण की गई।				
(16)	09 नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना तथा कर्मोनयन मूल	4,26.86			
	पूरक	0.03	12.05	12.00	-0.05
	पुनर्वि०	-4,14.84			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 को ₹ 2,70.00 लाख, 28-03-2011 को ₹ 91.98 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 52.86 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।				
(17)	10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल	2,07.64			
			1,10.34	80.24	-30.10
	पुनर्वि०	-97.30			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 97.30 लाख के अभ्यर्पण योजना को सर्व शिक्षा योजना के साथ संलग्न किए जाने के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(18)	11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल	2,67.02		
	पुनर्वि०	-1,90.81	76.21	65.68
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 1,39.38 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 51.43 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			-10.53
(19)	110 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 03 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान मूल	2,15,90.00		
	पूरक	71.00	1,83,99.43	1,92,89.61
	पुनर्वि०	-32,61.57		+8,90.18
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,25,98,087, ₹ 2,73,68,345 एवं ₹ 21,32,119 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,45.06 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.51 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई।			
(20)	04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल	2,07.20		
	पुनर्वि०	-1,57.06	50.14	60.76
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,48,192 एवं ₹ 9,60,222 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06-10-2010 को ₹ 28.60 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,28.46 लाख की कमी पी०टी० अध्यापकों के मानदेय में हुई बचत के कारण की गई।			+10.62
(21)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,16,60.00		
	पूरक	1,44.75	26,45.70	26,45.37
	पुनर्वि०	-91,59.05		-0.33
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 18,009 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28-03-2011 को ₹ 91.98 लाख की वृद्धि केन्द्र पोषित बालिका प्रोत्साहन माध्यमिक शिक्षा 2010-11 योजना के संचालन हेतु निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 92,51.03 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के कम प्राप्त होने तथा मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(22)	09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान मूल	2,75.00		
	पुनर्वि०	-1,69.03	1,05.97	1,05.97
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,69.03 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(23)	12 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना मूल	40.00	40.00	36.39	-3.61
(24)	14 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल	45.00			
	पुनर्वि०	-2.91	42.09	29.89	-12.20
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.91 लाख के अभ्यर्षण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(25)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 उच्च शिक्षा निदेशालय मूल	2,12.51			
	पूरक	99.20	3,07.20	3,09.58	+2.38
	पुनर्वि०	-4.51			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,39,744 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04-01-2011 को ₹ 2.71 लाख की वृद्धि गाड़ियों के रख-रखाव, मशीन एवं उपकरणों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.22 लाख के अभ्यर्षण स्वीकृत पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(26)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 03 कुमाऊं विश्वविद्यालय मूल	22,00.00			
	पूरक	9,58.82	23,82.91	25,33.31	+1,50.40
	पुनर्वि०	-7,75.91			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 39,942, ₹ 350 एवं ₹ 1,50,00,000 भी सम्मिलित है।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7,75.91 लाख के अभ्यर्षण प्रवक्ताओं तथा श्रेणी-III के स्वीकृत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत के कारण किए गए।				
(27)	05 दून विश्वविद्यालय मूल	11,00.00			
	पूरक	11,00.00	11,02.82	11,02.82	0.00
	पुनर्वि०	-10,97.18			
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-03-2011 को ₹ 97.00 लाख एवं अभ्यर्षण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10,00.18 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(28)	06 संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मूल 1,00.00	11,50.98	10,50.00	-1,00.98
	पूरक 10,50.98			
(29)	07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मूल 4,50.00	3,25.21	3,25.78	+0.57
	पुनर्वि० -1,24.79			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 56,488 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-03-2011 को ₹ 97.00 लाख की वृद्धि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,21.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।			
(30)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय मूल 59,54.62	70,26.66	70,42.60	+15.94
	पूरक 20,14.00			
	पुनर्वि० -9,41.96			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 14,41,622, ₹ 1,56,257 एवं ₹ 872 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-03-2011 को ₹ 1.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9,40.96 लाख की कमी अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई।			
(31)	04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश मूल 6,22.21	9,19.78	9,20.22	+0.44
	पूरक 3,43.80			
	पुनर्वि० -46.23			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 37,034 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 46.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(32)	08 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मूल 7,86.81	12,66.11	12,66.31	+0.20
	पूरक 5,87.00			
	पुनर्वि० -1,07.70			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,07.70 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(33)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान			
	मूल	41,10.00		
	पूरक	20,20.00	57,37.38	57,37.38
	पुनर्वि०	-3,92.62		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,92.62 लाख के अभ्यर्पण वेतन हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(34)	05 वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में वृद्धि			
	मूल	1,51.50		
			1,36.52	1,36.90
	पुनर्वि०	-14.98		+0.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 37,987 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(35)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,73.45		
	पूरक	13.50	2,52.97	2,52.24
	पुनर्वि०	-33.98		-0.73
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 33.98 लाख के अभ्यर्पण राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष कैम्प (75% के०स०) राष्ट्रीय सेवा योजना अधिष्ठान (के०पो०) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(36)	04 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान			
	मूल	6.00		
			0.40	0.40
	पुनर्वि०	-5.60		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.60 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(37)	05 भाषा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	70.62	70.62	43.33
				-27.29
(38)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन			
	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	1,07.81		
			12.00	12.00
	पुनर्वि०	-95.81		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 95.81 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(39)	07 संस्थान की शोध पत्रिका का प्रकाशन पूरक	10.00	4.60	4.60	0.00
	पुनर्वि०	-5.40			
(40)	11 राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय भाषा सम्मेलन पूरक	50.00	15.25	15.25	0.00
	पुनर्वि०	-34.75			
(41)	13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी का अधिष्ठान पूरक	86.81	13.80	13.80	0.00
	पुनर्वि०	-73.01			
उपरोक्त क्रम सं० (39) से (41) के शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।					
(42)	103 संस्कृत शिक्षा 03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	2,45.69	2,45.69	1,08.37	-1,37.32
(43)	04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान मूल	13,41.50	13,41.50	13,04.02	-37.48
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 12,03,142 भी सम्मिलित है।					
(44)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण मूल	84.08	84.08	6.82	-77.26
(45)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल	30.97	18.92	18.92	0.00
	पुनर्वि०	-12.05			
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।					
(46)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	15,67.06	15,37.70	15,48.47	+10.77
	पुनर्वि०	-29.36			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 22,33,405 भी सम्मिलित है।					

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 29.36 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(47)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष)			
	मूल	1,84.01		
	पुनर्वि०	-56.62		
		1,27.39	1,30.49	+3.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,39,263 एवं ₹ 4,15,742 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 56.62 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(48)	800 अन्य व्यय			
	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल			
	मूल	10,72.01		
	पूरक	11.00	7,64.74	7,66.19
	पुनर्वि०	-3,18.27		+1.45
(49)	05 एन०सी०सी० रिमाण्ड एन्ड वेटनरी स्कवार्डन की स्थापना			
	मूल	27.88		
			16.73	16.77
	पुनर्वि०	-11.15		+0.04
(50)	07 एयर स्कवार्डन एन०सी०सी० की स्थापना			
	मूल	22.78		
			16.29	14.75
	पुनर्वि०	-6.49		-1.54
	उपरोक्त क्रम सं० (47) से (49) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को किए गए अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण थे।			
(51)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय			
	मूल	73.88		
			69.01	62.95
	पुनर्वि०	-4.87		-6.06
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2011 को ₹ 4.87 लाख की कमी मानदेय एवं मशीनरी में हुई बचत के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(52)	104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 03 के०एल० पॉलीटेक्निक रुड़की मूल 2,50.00 पुनर्वि० -50.00	2,00.00	2,61.98	+61.98
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 11,98,000 भी सम्मिलित है।				
(53)	105 बहु शिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय 03 सामान्य पॉलीटेक्निक मूल 34,47.79 पुनर्वि० -4,63.87	29,83.92	29,42.87	-41.05
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,33,667 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,63.87 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।				
(54)	112 इन्जीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 पंत कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, पंतनगर को सहायक अनुदान मूल 9,25.00 पूरक 1,56.81 पुनर्वि० -83.00	9,98.81	10,48.81	+50.00
(55)	04 इन्जीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोडा) मूल 7,00.01 पूरक 2,76.40 पुनर्वि० -0.01	9,76.40	8,98.92	-77.48
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 22,52,000 भी सम्मिलित है।				
(56)	800 अन्य व्यय 04 स्किल डेवलपमेंट योजना मूल 20.00	20.00	10.00	-10.00
(57)	97 वाहय सहायतित परियोजनाएं मूल 20,00.00 पुनर्वि० -19,75.00	25.00	25.00	0.00
(58)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 खेलकूद निदेशालय मूल 3,34.60 पूरक 4.00 पुनर्वि० -11.18	3,27.42	3,22.38	-5.04

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,23,811 तथा ₹ 61,775 भी सम्मिलित हैं।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(59)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण			
	मूल	4,42.86		
	पूरक	1,13.70	5,34.34	5,34.37
	पुनर्वि०	-22.22		+0.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,809 भी सम्मिलित है।			
(60)	91 जिला योजना			
	मूल	8,91.79		
	पुनर्वि०	-91.49	8,00.30	7,99.18
				-1.12
(61)	104 खेलकूद			
	03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता			
	मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-9.85	0.15	1.65
				+1.50
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,49,908 भी सम्मिलित है।			
(62)	04 क्रीड़ा छात्रवास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय			
	मूल	45.00		
	पुनर्वि०	-1.81	43.19	43.19
				0.00
(63)	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार			
	मूल	21.00		
	पुनर्वि०	-20.00	1.00	1.00
				0.00
(64)	08 नेहरू पर्वतारोहण संस्था को अनुदान			
	मूल	2,32.53		
	पूरक	1,32.52	3,32.52	3,32.52
	पुनर्वि०	-32.53		0.00
(65)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार			
	मूल	5.00		
	पूरक	20.00	22.22	22.22
	पुनर्वि०	-2.78		0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(66)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान			
	मूल	30.00		
	पुनर्वि०	-24.00	6.00	6.00
				0.00
(67)	14 प्रतियोगिताओं का आयोजन			
	मूल	8.02		
	पुनर्वि०	-4.00	4.02	4.00
				-0.02
(68)	24 सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता			
	मूल	5.00		
	पुनर्वि०	-3.56	1.44	1.44
				0.00
(69)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	101 ललित कला शिक्षा			
	03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय			
	मूल	1,19.94		
	पूरक	2.00	97.63	99.22
	पुनर्वि०	-24.31		
				+1.59
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,38,806 भी सम्मिलित है।			
(70)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	12.75		
	पुनर्वि०	-12.63	0.12	0.12
				0.00
(71)	04 स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान			
	मूल	9.41		
	पुनर्वि०	-1.71	7.70	7.67
				-0.03
(72)	12 शहीद स्मारक			
	मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-7.12	2.88	2.88
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(73)	33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता मूल 15.00 पुनर्वि० -5.00	10.00	10.00	0.00
(74)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का अडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण पूरक 10.00 पुनर्वि० -7.00	3.00	3.00	0.00
(75)	103 पुरातत्व विज्ञान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 6.73 पुनर्वि० -1.77	4.96	4.15	-0.81
(76)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल 64.01 पुनर्वि० -0.54	63.47	53.72	-9.75
(77)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख मूल 73.59 पुनर्वि० -10.39	63.20	62.88	-0.32
(78)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय मूल 1,28.01 पुनर्वि० -15.65	1,12.36	1,02.34	-10.02
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,250 भी सम्मिलित है।				
(79)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल 73.35 पूरक 1.75 पुनर्वि० -9.61	65.49	65.47	-0.02

उपरोक्त क्रम सं० (57) से (79) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को किए गए अभ्यर्पण मुख्यतः अधिष्ठान व्ययों में बचत तथा कड़े आर्थिक उपायों के कारण थे।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 21 पोषाहार के ढुलान भाड़े का भुगतान मूल 10.20 पुनर्वि० -10.20	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 राज्य शिक्षा उन्नयन समिति के कार्यालय की स्थापना मूल 21.50 पुनर्वि० -21.50	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण पूरक 10.00 पुनर्वि० -10.00	0.00	0.00	0.00
(4)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 08 गढ़वाल मण्डल में एफीलिटींग विश्वविद्यालय की स्थापना मूल 20.00 पुनर्वि० -20.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना पूरक 50.00 पुनर्वि० -50.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	107 छात्रवृत्तियां 05 इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना. मूल 5.00			
	पुनर्वि० -5.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	800 अन्य व्यय 05 शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में रोवर्स रैन्जर्स कैम्प की योजना लागू करना मूल 0.50			
	पुनर्वि० -0.50	0.00	0.00	0.00
(8)	08 एम.बी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्यों के मानदेय आदि का भुगतान मूल 3.00			
	पुनर्वि० -3.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(9)	05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 05 उत्तराखण्ड भाषा निधि पूरक 2,00.00			
	पुनर्वि० -2,00.00	0.00	0.00	0.00
(10)	06 कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पूरक 25.00			
	पुनर्वि० -25.00	0.00	0.00	0.00
(11)	2203 तकनीकी शिक्षा 00 104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 04 मान्यता प्राप्त प्राविधिक निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 07 स्ववित्त पोषित इजी०/बी० फार्मा संस्थानों में फीस निर्धारण समिति के सदस्यों को मानदेय आदि का भुगतान मूल 5.00 पुनर्वि० -5.00	0.00	0.00	0.00
(13)	08 तकनीकी विश्वविद्यालय मूल 1,00.00 पुनर्वि० -50.00 वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	50.00	0.00	-50.00
(14)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 07 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम मूल 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00 वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	0.00	0.00
(15)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल 20.00 पुनर्वि० -15.92 वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	4.08	0.00	-4.08
(16)	2205 कला एवं संस्कृति 00 102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना मूल 3.40 पुनर्वि० -3.40 वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	0.00	0.00
(17)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन मूल 20.00 पुनर्वि० -20.00 वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(18)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का कय मूल	20.00		
	पुनर्वि०	-20.00	0.00	0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(19)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-10.00	0.00	0.00
	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(20)	32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मूल	15.00		
	पुनर्वि०	-15.00	0.00	0.00
(21)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	40.00		
	पुनर्वि०	-40.00	0.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	65,00.00		
	पूरक	18,15.24	1,31,23.11	1,31,33.11
	पुनर्वि०	48,07.87		+10.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 10,00,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 48,07.87 लाख की वृद्धि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2010-11 में रसोई घर तथा भण्डार के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण मूल 10,66,08.03 पुनर्वि० -11.04	10,65,96.99	10,70,62.42	+4,65.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,45,25,494 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 11.04 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं केजी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता मूल 45,00.00 पूरक 15,00.00 पुनर्वि० 5,00.00	65,00.00	72,65.01	+7,65.01
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 8,71,41,234 एवं ₹ 48,00,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-02-2011 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5,00.00 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(4)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,52,50.00 पूरक 63,60.14 पुनर्वि० -79,07.93	1,37,02.21	1,37,02.21	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा ₹ 79,07.93 लाख की कमी सर्व शिक्षा अभियान में हुई बचत के कारण की गई।			
(5)	02 माध्यमिक शिक्षा 004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 03 सीमेट की स्थापना मूल 85.63 पुनर्वि० 22.80	1,08.43	98.71	-9.72
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06-10-2010 को ₹ 28.60 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.80 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण किए गए।			
(6)	101 निरीक्षण 04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना मूल 11,77.05 पुनर्वि० 3,52.57	15,29.62	14,53.16	-76.46
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 को ₹ 4,07.91 लाख की वृद्धि खण्ड स्तर पर			

वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 55.34 लाख के अभ्यर्पण विद्युत में बचत तथा जिला स्तर से मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 03 बालक एवं बालिका				
	मूल	7,38,99.50			
	पूरक	1,70,92.03	9,63,35.94	9,63,58.22	+22.28
	पुनर्वि०	53,44.41			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 82,76,728, ₹ 8,68,274, ₹ 5,002, ₹ 1,31,827, ₹ 8,94,460 तथा ₹ 20,62,873 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 53,58.63 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.22 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण किए गए।				
(8)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना				
	मूल	6,30.40			
	पुनर्वि०	87.39	7,17.79	7,03.24	-14.55
(9)	08 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीकरण				
	मूल	8,92.12			
	पुनर्वि०	2,42.66	11,34.78	11,35.82	+1.04
(10)	800 अन्य व्यय				
	07 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन				
	मूल	10.00			
	पुनर्वि०	11.77	21.77	20.06	-1.71
	उपरोक्त क्रम सं० (8) से (10) के शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(11)	2203 तकनीकी शिक्षा				
	00				
	800 अन्य व्यय				
	03 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद				
	मूल	1,92.36			
	पूरक	-15.40	1,76.96	2,19.95	+42.99

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी०आर०डी०स्वयं सेवक मूल 0.03 पुनर्वि० -0.03	0.00	4.08	+4.08
(13)	104 खेलकूद 13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान मूल 1,90.00 पूरक 10.00 पुनर्वि० 12.57	2,12.57	2,12.57	0.00
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 32.52 लाख की वृद्धि स्पोर्ट्स कालेज के संचालन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 19.95 लाख के अभ्यर्पण छोटे वेतन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण न होने के कारण किए गए।</p>				
(14)	2205 कला एवं संस्कृति 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय मूल 2,01.70 पूरक 1,54.60 पुनर्वि० 33.67	3,89.97	3,89.92	-0.05
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 0.20 लाख एवं दिनांक 24-03-2011 को ₹ 41.90 लाख की वृद्धि स्वतंत्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, गणतंत्र दिवस, पारम्परिक मेले, त्योहार इत्यादि के लिए देय भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.43 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण किए गए।</p>				
(15)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 09 वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन मूल 20.00 पुनर्वि० 1.00	21.00	22.28	+1.28
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 1,28,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-03-2011 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि प्रसिद्ध वृद्ध कलाकारों, लेखकों को बढ़ी हुई पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(16)	34 धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थाई निवासियों को आर्थिक सहायता पूरक 5.00 पुनर्वि० 8.25	13.25	13.25	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-03-2011 को ₹ 10.50 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों की धार्मिक यात्राओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.25 लाख के अभ्यर्पण उक्त शीर्ष में बचत होने के कारण किए गए।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय अधिष्ठाान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.97
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,96,726 के कारण है।			
(2)	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	03 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.39
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 5,297 एवं ₹ 33,555 के कारण है।			
(3)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,08.80
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,08,79,534 के कारण है।			
(4)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
	15 गैर सरकारी मा. विद्यालयों को संबद्ध प्राइमरी कक्षाओं हेतु सहायक अनुदान (बालक)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.19
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 5,18,596 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	17 शिक्षक बन्धुओं को मानदेय का भुगतान			
	मूल	2.00	2.00	6.61
	पूरक			+4.61
	पुनर्वि०			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 34,258, ₹ 47,847, ₹ 3,33,910 एवं ₹ 1,35,520 सम्मिलित है।			
(6)	104 निरीक्षण			
	03 क्षेत्रीय निरीक्षण स्टॉफ			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	10.67
	पुनर्वि०	0.00		+10.67
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,14,752 तथा ₹ 7,52,627 के कारण है।			
(7)	107 अध्यापक प्रशिक्षण			
	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थाएं (पुरुष)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	19.85
	पुनर्वि०	0.00		+19.85
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 19,84,928 सम्मिलित है।			
(8)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
	05 नए शासकीय हाईस्कूलों की स्थापना तथा जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.13
	पुनर्वि०	0.00		+1.13
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,12,747 के कारण है।			
(9)	800 अन्य व्यय			
	04 पदम सिंह छात्रवृत्ति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.19
	पुनर्वि०	0.00		+0.19
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 19,000 के कारण है।			
(10)	02. माध्यमिक शिक्षा			
	107 छात्रवृत्तियां			
	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं और छात्रवृत्ति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.23
	पुनर्वि०	0.00		+13.23
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 13,22,622 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	108 परीक्षाएं			
	05 उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.03
	पुनर्वि०	0.00		+0.03
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,871 के कारण है।			
(12)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.36
	पुनर्वि०	0.00		+0.36
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 36,476 के कारण है।			
(13)	04 राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग/विषय का समावेश			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.98
	पुनर्वि०	0.00		+2.98
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,98,111 के कारण है।			
(14)	06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	39.71
	पुनर्वि०	0.00		+39.71
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 39,33,882 तथा ₹ 37,109 के कारण है।			
(15)	91 राजकीय हाईस्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.51
	पुनर्वि०	0.00		+1.51
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,47,763 एवं ₹ 3,078 के कारण है।			
(16)	800 अन्य व्यय			
	08 अन्य व्यय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.92
	पुनर्वि०	0.00		+5.92
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,59,286 तथा ₹ 3,32,579 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(17)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
	06 राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना			
	मूल	0.02		
	पुनर्वि०	-0.02		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,62,319 के कारण है।	0.00	2.62	+2.62
(18)	91 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	8.47
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,66,161 तथा ₹ 5,80,987 के कारण है।			+8.47
(19)	107 छात्रवृत्तियां			
	03 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना			
	मूल	0.50		
	पुनर्वि०	-0.50		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 42,145 के कारण है।	0.00	0.42	+0.42
(20)	80 सामान्य			
	003 प्रशिक्षण			
	04 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक) (महिला)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.44
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 43,572 के कारण है।			+0.44
(21)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें			
	00			
	102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
	03 राष्ट्रीय युवा छात्र संगठन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	72.92
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 72,91,910 के कारण है।			+72.92

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(22)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
	03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान			
	मूल	10.00		
			50.00	50.92
	पूरक	40.00		+0.92

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 92,146 भी सम्मिलित है।

अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान जो कि उपरोक्त उपशीर्षों के अन्तर्गत दर्शाये गए हैं निम्न उद्देश्यों हेतु प्राप्त किए गए—

प्रारम्भिक शिक्षा

- प्रारम्भिक शिक्षा हेतु माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 96,75.38 लाख मध्याह्न भोजन का संचालन, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं के.जी. नर्सरी विद्यालयों को सहायता, सर्व शिक्षा अभियान के संचालन (33% राज्यांश) 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन के कारण प्राप्त किया गया।

माध्यमिक शिक्षा

माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,73,17.85 लाख के अनुपूरक अनुदान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण प्राप्त किए गए—

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों (शिक्षण/शिक्षणेत्तर) को वेतन इत्यादि का भुगतान।
- नए राजकीय हाईस्कूलों का संचालन तथा जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण।
- नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना एवं इनका उच्चीकरण
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण
- गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान
- कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी/बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि

विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

माह सितम्बर 2010 को ₹ 82,37.30 लाख के अनुपूरक अनुदान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण प्राप्त किए गए—

- उच्च शिक्षा निदेशालय के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान।
- दून विश्वविद्यालय तथा कुमाऊ विश्वविद्यालय को सहायता।
- संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान।
- राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान, सुदृढीकरण, उन्नयन, नए विषयों का समावेश, नए महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण तथा राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ (100% के०स०) हेतु बजट प्रावधान।

भाषा विकास

माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,19.31 लाख के अनुपूरक अनुदान का प्रावधान निम्न संस्थाओं, स्थापनाओं हेतु निधि की आवश्यकताओं के कारण प्राप्त किए गए—

- उत्तराखण्ड भाषा निधि
- कार्यशाला/प्राशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सहायक अनुदान
- संस्थान की शोध पत्रिका के प्रकाशन हेतु सहायक अनुदान
- उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान
- साहित्यकारों के सम्मान हेतु सहायक अनुदान
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन हेतु सहायक अनुदान
- पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों के क्रय हेतु सहायक अनुदान
- उत्तराखण्ड भूमि अकादमी के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु सहायक अनुदान

तकनीकी शिक्षा

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11,02.78 लाख की वृद्धि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के कर्मियों को वेतन इत्यादि के भुगतान, पालीटेक्निक रूड़की को अनुदान, बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय तथा इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)/घुड़दौड़ी (पौड़ी) को अनुदान के कारण की गई।

खेल एवं युवा सेवाएं

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,87.72 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—

- खेल निदेशालय, प्रादेशिक विकास दल, युवा कल्याण एवं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु सहायक अनुदान।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रादेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था हेतु सहायक अनुदान।
- स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून को सहायक अनुदान।
- प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु सहायक अनुदान।

कला एवं संस्कृति

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,63.35 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से निधि की आवश्यकता के कारण की गई—

- सांस्कृतिक विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु
- भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय के व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु प्रावधान
- कला एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान
- राज्य के स्थाई निवासियों को धार्मिक यात्राओं हेतु अनुदान
- मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु अनुदान
- स्पर्श गंगा योजना का आयोजन
- संग्रहालय अधिष्ठान के विद्युत देयों के भुगतान हेतु प्रावधान

राजस्व :

प्रभारित—

(vii) खेल एवं युवा सेवाएं हेतु प्रावधानित ₹ 0.02 लाख के प्रभारित विनियोग अप्रयुक्त रहे।

पूँजीगत :
दत्तमत-

- (viii) ₹ 60,19.99 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 56,89.18 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
 (ix) ₹ 60,19.99 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 1,11,97.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
 (x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 11 राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन हीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण			
	मूल	5,00.00		
	पूरक	63,34.37	38,61.15	37,16.74
	पुनर्वि०	-29,73.22		-1,44.41
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 29,73.22 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(2)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
	मूल	2,50.00		
	पूरक	7,50.00	1,00.00	1,00.00
	पुनर्वि०	-9,00.00		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9,00.00 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पूरक	1,00.00	50.57	50.57
	पुनर्वि०	-1,49.43		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,49.43 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(4)	22 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के आवासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पूरक	4,00.00	30.00	30.00
	पुनर्वि०	-4,70.00		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,70.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(5)	91 जिला योजना			
	मूल	11,32.50		
	पूरक	20,81.85	31,82.76	31,79.28
	पुनर्वि०	-31.59		-3.48
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 31.59 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 05 उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण मूल 25.00		4.10	4.10	0.00
	पुनर्वि० -20.90				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-03-2011 एवं 15-03-2011 को ₹ 20.90 लाख की कमी भवनों के निर्माण हेतु टी०ए०सी० के अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण की गई।				
(7)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 05 कोटाबाग रामनगर में महिला पालीटेक्निक की स्थापना मूल 50.00		25.00	25.00	0.00
	पुनर्वि० -25.00				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 25.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(8)	16 पालिटेक्निकों हेतु भूमि कय/भवन निर्माण मूल 2,50.00		2,38.06	2,38.06	0.00
	पुनर्वि० -11.94				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 11.94 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(9)	105 इजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 एन०आई०टी० की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण मूल 1,00.00		30.75	30.75	0.00
	पुनर्वि० -69.25				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 69.25 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(10)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 80.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० -51.00		79.00	79.00	0.00
(11)	04 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य) मूल 50.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० -71.68		28.32	28.32	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(12)	91 जिला योजना मूल	2,57.56	2,46.46	2,46.46	0.00
	पुनर्वि०	-11.10			
	उपरोक्त क्रम सं० (10) से (12) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा कमी शासन के निर्देशानुसार एजेन्सी द्वारा प्राकलन तैयार नहीं किए जाने के कारण की गई।				
(13)	04 कला और संस्कृति 106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण मूल	85.00	76.70	77.69	+0.99
	पूरक	2,15.00			
	पुनर्वि०	-2,23.30			
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,23.30 लाख की कमी पर्याप्त निधि स्वीकृत न होने के कारण की गई।				
(14)	04 महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण मूल	10.00	38.15	38.15	0.00
	पूरक	30.00			
	पुनर्वि०	-1.85			
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.85 लाख की कमी महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण की गई।				
	(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 17 शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-2,00.00			
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	20 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 13 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन मूल	20.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-20.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(4)	205 भाषा विकास 03 संस्कृत विद्यालयों में पेयजल टैंक एवं शौचालयों का निर्माण मूल 83.00	83.00	0.00	-83.00
(5)	04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी भवन का निर्माण मूल 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00	0.00	0.00	0.00
(6)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 07 काण्डा (बागेश्वर) पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल 50.00 पुनर्वि० -25.00	25.00	0.00	-25.00
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	11 गोपेश्वर (चमोली) में महिला पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल 50.00 पुनर्वि० -25.00	25.00	0.00	-25.00
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(8)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 05 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य) मूल 50.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० -1,00.00	0.00	0.00	0.00
(9)	09 अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण मूल 25.00 पूरक 25.00 पुनर्वि० -50.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(10)	13 देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण मूल 50.00 पूरक 25.00 पुनर्वि० -75.00	0.00	0.00	0.00
(11)	14 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज भवन का निर्माण पूरक 82.30 पुनर्वि० -82.30	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	04 कला और संस्कृति			
	106 संग्राहालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए			
	पूरक	50.00	50.00	0.00
(13)	05 नेहरू हेरिटेज सेंटर			
	पूरक	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		
(14)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	पूरक	50.00	50.00	0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
	04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन कय			
	मूल	1,00.00		
			1,20.90	1,20.90
	पुनर्वि०	20.90		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-03-2011 को ₹ 10.00 लाख एवं दिनांक 15-03-2011 को ₹ 10.90 लाख की वृद्धि शासकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढीकरण			
	मूल	2,00.00		
			2,50.00	3,00.00
	पुनर्वि०	50.00		+50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुशिल्प संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून हेतु भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211 परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	6,88,07,43	7,16,12,49	5,91,73,24	-1,24,39,25
पूरक	28,05,06			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

प्रभारित-

मूल	00	00	2	+2
पूरक	00			

पूँजीगत:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,10,66,76	1,29,40,42	66,88,88	-62,51,54
पूरक	18,73,66			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				40

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,24,39.25 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,24,39.25 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को ₹ 28,05.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- (1) 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय अधिष्ठान			
	मूल	6,13.73		
	पूरक	2.10		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,09,741 भी सम्मिलित है।	6,15.83	6,04.74	-11.09
(2)	05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन			
	मूल	25.00	25.00	13.00
				-12.00
(3)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	05 क्षय रोग रुजालय (क्लीनिक)			
	मूल	5,86.21	5,86.21	5,17.62
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 72,257 भी सम्मिलित है।			-68.59
(4)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	40.99	40.99	40.44
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,09,849 तथा ₹ 5,385 भी सम्मिलित है।			-0.55
(5)	14 विधान सभा में रा0एलो0 औषधालय की स्थापना			
	मूल	24.76	24.76	22.95
				-1.81
(6)	15 राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान			
	मूल	11,50.00		
	पूरक	9,00.00	20,50.00	20,30.00
				-20.00
(7)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान			
	मूल	7,79.66	7,79.66	7,66.04
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,55,625 भी सम्मिलित है।			-13.62
(8)	19 केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना			
	मूल	13.50	13.50	11.70
				-1.80
(9)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	10.47	10.47	6.03
				-4.44
(10)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	1,08.42	1,08.42	90.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 66,514 एवं ₹ 28,201 भी सम्मिलित है।			-17.90

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(11)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम मूल	2,44.91	2,44.91	2,20.17	-24.74
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,21,939 भी सम्मिलित है।				
(12)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना मूल	75.16	76.66	52.93	-23.73
	पूरक	1.50			
(13)	800 अन्य व्यय 06 तीर्थयात्रा मार्गों पर सफाई/चिकित्सा सुविधा मूल	50.00	50.00	40.12	-9.88
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,02,794 भी सम्मिलित है।				
(14)	07 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान मूल	50.00	50.00	46.41	-3.59
(15)	09 विभिन्न मेलों में स्वच्छता एवं चिकित्सा व्यवस्था मूल	25.00	25.00	11.70	-13.30
(16)	11 नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के रोगियों के परिचरों हेतु विश्राम गृह मूल	11.00	11.00	9.18	-1.82
(17)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	42.03	42.03	24.04	-17.99
(18)	03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	4,44.35	4,65.35	4,43.22	-22.13
	पुनर्वि०	21.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 15,631, ₹ 32,010 एवं ₹ 76,501 भी सम्मिलित है।				
(19)	04 विभागीय औषधीय विनिर्माण मूल	1,55.15	1,55.15	1,42.63	-12.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 584 भी सम्मिलित है।				
(20)	08 आयुर्वेदिक मूल	50,88.25	52,46.26	51,40.19	-1,06.07
	पूरक	53.01			
	पुनर्वि०	1,05.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 15,27,825, ₹ 20,58,047 एवं ₹ 92,399 भी सम्मिलित है।
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 1,05.00 लाख की वृद्धि आयुर्वेदिक अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(21)	11 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता मूल	3,00.01	3,00.01	1,04.00	-1,96.01
(22)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्राशासन मूल	41.04			
	पूरक	14.55	59.98	48.48	-11.50
	पुनर्वि०	4.39			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 2,01,462 एवं ₹ 69,175 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 4.39 लाख की वृद्धि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों के वेतन के भुगतान एवं छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत अवशेष वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(23)	04 अस्पताल तथा औषधालय मूल	2,88.38			
	पूरक	9.67	3,00.24	2,61.29	-38.95
	पुनर्वि०	2.19			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 36,464, ₹ 4,580 एवं ₹ 43,936 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.19 लाख की वृद्धि विधान सभा में तैनात कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(24)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति 101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 03 सुदूर क्षेत्र के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था मूल	20,16.29	20,16.29	16,55.71	-3,60.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,53,063 भी सम्मिलित है।				
(25)	04 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित) मूल	21.80	21.80	7.99	-13.81
(26)	05 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना मूल	80.00			
	पूरक	26.51	1,06.51	69.44	-37.07

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(27)	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	30,56.59	30,56.59	28,77.55	-1,79.04
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 43,05,119 भी सम्मिलित है।				
(28)	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	38,38.02	38,32.42	34,94.04	-3,38.38
	पुनर्वि०	-5.60			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-10-2010 को ₹ 5.60 लाख की कमी का कारण वेतन एवं महंगाई भत्ते में बचत होना सूचित किया गया।				
(29)	91 जिला योजना मूल	1,73.84	1,73.84	1,47.98	-25.86
(30)	110 अस्पताल तथा औषधालय 06 क्षय रोग रुजालय मूल	9,35.16	9,35.16	8,49.34	-85.82
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,43,854 भी सम्मिलित है।				
(31)	10 टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा मूल	60.55	60.55	61.96	+1.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,44,518 एवं ₹ 3,88,878 भी सम्मिलित है।				
(32)	11 ब्लड बैंक की स्थापना मूल	42.43	42.43	34.21	-8.22
(33)	17 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल	41,12.21	41,12.21	36,71.25	-4,40.96
(34)	18 ग्रामीण महिला चिकित्सालयों की स्थापना मूल	2,63.11	2,63.11	2,07.70	-55.41
(35)	19 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेन्टर की स्थापना मूल	1,00.01	1,00.01	82.79	-17.22
(36)	22 चिकित्सा-स्वास्थ्य सलाहकार का अधिष्ठान पूरक	12.30	12.30	4.93	-7.37
(37)	23 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार परिषद् का अधिष्ठान पूरक	20.10	20.10	7.67	-12.43

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(38)	91 जिला योजना मूल	2,12.75	2,12.75	1,94.45	-18.30
(39)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	75.66	75.66	44.01	-31.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,39,226 भी सम्मिलित है।				
(40)	03 प्रदेश में अंधेपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास मूल	1,68.62	1,68.62	1,59.40	-9.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,68,981, ₹ 14,837, ₹ 2,467 एवं ₹ 8,284 भी सम्मिलित है।				
(41)	04 निजी चिकित्सीय/निदान केन्द्र की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.07	-9.93
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,121 भी सम्मिलित है।				
(42)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 03 अस्पताल और औषधालय मूल	8,08.77	8,02.19	5,19.19	-2,83.00
	पुनर्वि०	-6.58			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,39,648 एवं ₹ 24,856 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 6.58 लाख की कमी का कारण वेतन एवं महंगाई भत्ते में बचत का होना सूचित किया गया।				
(43)	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 101 आयुर्वेद 06 अन्य व्यय मूल	12,86.98	11,63.98	10,54.20	-1,09.78
	पूरक	3.00			
	पुनर्वि०	-1,26.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,20,035 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 1,26.00 लाख की कमी का कारण वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों में बचत का होना सूचित किया गया।				
(44)	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 03 शिक्षा मूल	1,25.00	1,25.00	77.28	-47.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(45)	04 मेडिकल कालेज मूल	1,30,70.95	1,30,70.95	72,07.84	-58,63.11
(46)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा मूल	7,99.99			
	पूरक	1,79.00	9,78.99	2,53.22	-7,25.77
(47)	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान व्यय मूल	58.53	58.53	53.96	-4.57
(48)	003 प्रशिक्षण 03 सम्मागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मूल	1,73.73			
	पूरक	6.50	1,80.23	1,56.52	-23.71
(49)	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,38.56	2,38.56	1,48.16	-90.40
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 15,83,017 एवं ₹ 35,618 भी सम्मिलित है।				
(50)	03 लोक स्वास्थ्य मूल	14,03.03	14,03.03	13,39.69	-63.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,77,590, ₹ 2,90,581, ₹ 6,931 एवं ₹ 21,759 भी सम्मिलित है।				
(51)	04 महामारी निरोधक क्रियायें मूल	4,63.51	4,63.51	4,10.92	-52.59
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,92,146 एवं ₹ 6,121 भी सम्मिलित है।				
(52)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण मूल	26,43.01	26,43.01	22,74.62	-3,68.39
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 33,544 एवं ₹ 1,33,458 भी सम्मिलित है।				
(53)	06 कुष्ठ रोगियों की सहायता मूल	4,70.51	4,70.51	4,44.03	-26.48
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,31,538 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(54)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल 23,10.00 पूरक 4,25.00	27,35.00	8,92.72	-18,42.28
(55)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मूल 2,09.87 वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 12,116 भी सम्मिलित है।	2,09.87	1,79.07	-30.80
(56)	104 औषधि नियंत्रण 03 ड्रग कन्ट्रोल मूल 79.70	79.70	65.49	-14.21
(57)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 3,16.90 पूरक 1,50.00 वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 927 भी सम्मिलित है।	4,66.90	3,08.96	-1,57.94
(58)	04 जन्म मरण सम्बन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था मूल 18.33 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,120 एवं ₹ 4,816 भी सम्मिलित है।	18.33	13.64	-4.69
(59)	06 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भवनों के मरम्मत अनुरक्षण निर्माण कार्य मूल 25.00	25.00	10.99	-14.01
(60)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण मूल 55.00	55.00	54.07	-0.93
(61)	11 पार्ट टाइम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय मूल 1,00.00	1,00.00	68.74	-31.26
(62)	2211 परिवार कल्याण 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 5,13.73 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,24,364, ₹ 2,02,984, ₹ 20,861 एवं ₹ 16,099 भी सम्मिलित है।	5,13.73	4,37.19	-76.54

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(63)	003 प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	2,04.51		
			2,09.51	1,35.27
	पूरक	5.00		
				-74.24

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 59,180 एवं ₹ 67,451 भी सम्मिलित है।

(64)	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	54,47.01	54,47.01	47,28.29
				-7,18.72

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,16,329, ₹ 6,26,994, ₹ 3,36,839 एवं ₹ 23,967 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत को अभ्यर्पित नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 मानव अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञ सेवा			
	मूल	1.10	1.10	0.00
				-1.10
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
	06 टेली मेडिसिन की व्यवस्था			
	मूल	15.00	15.00	0.00
				-15.00
(3)	800 अन्य व्यय			
	12 कैश विहीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
	102 होम्योपैथी			
	91 जिला योजना			
	मूल	8.00	8.00	0.00
				-8.00
(5)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	21 ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 01 केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	19.01	19.01	0.00 -19.01
(7)	06 लोक स्वास्थ्य 101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 08 राज्य एडस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मूल	2.00	2.00	0.00 -2.00
(8)	09 इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट मूल	22.34	22.34	0.00 -22.34
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(9)	800 अन्य व्यय 09 दैवी आपदा व दुर्घटनाओं में उपचार हेतु चिकित्सा आपदा निधि मूल	5.00	5.00	0.00 -5.00
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मूल	68,78.00	74,22.79	75,35.94	+1,13.15
	पूरक	5,44.79			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उच्यन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,95,621, ₹ 13,54,468 एवं ₹ 34,031 भी सम्मिलित है।

(2)	11 ब्लड बैंक की स्थापना मूल	75.61	75.61	79.53	+3.92
-----	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

(3)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में रा0एलोपैथिक औषधालय की स्थापना मूल	34.53	34.53	36.07	+1.54
-----	--	-------	-------	-------	-------

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण मूल	8.12	13.72	13.58	-0.14
	पुनर्वि०	5.60			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.60 लाख का प्रावधान उक्त शीर्ष के अन्तर्गत कम आवंटन प्राप्त होने के कारण किए गए।				
(5)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 91 जिला योजना मूल	2,88.13	2,88.13	3,22.92	+34.79
(6)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	15,40.00	15,40.00	17,55.89	+2,15.89
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 13,48,450 एवं ₹ 2,02,408 भी सम्मिलित है।				
(7)	09 एलौपैथिक चिकित्सालय और औषधालय मूल	30,19.34	30,19.34	30,87.68	+68.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 16,343, ₹ 7,18,039 एवं ₹ 12,50,000 भी सम्मिलित है।				
(8)	06 लोक स्वास्थ्य 003 प्रशिक्षण 04 राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र मूल	13.95	13.95	18.23	+4.28
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 70,241 भी सम्मिलित है।				
(9)	107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें 03 प्रभाग के मुख्य स्थानों पर प्रयोगशालायें मूल	10.05	10.05	19.55	+9.50
(10)	2211 परिवार कल्याण 00 102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,89.56	2,89.56	3,03.55	+13.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,45,877 एवं ₹ 4,262 भी सम्मिलित है।				

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के परिणाम स्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 03 अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.63
	पुनर्वि०	0.00		+1.63
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 43,083, ₹ 62,407 एवं ₹ 57,805 के कारण है।			
(2)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.02
	पुनर्वि०	0.00		+0.02
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 2,400 के कारण है।			
(3)	04 नर्स सेवाएं			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	37.11
	पुनर्वि०	0.00		+37.11
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 11,11,907 एवं ₹ 25,99,106 के कारण है।			
(4)	06 कुष्ठ रोगियों को सहायक अनुदान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.71
	पुनर्वि०	0.00		+13.71
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 10,33,364 एवं ₹ 3,37,679 के कारण है।			
(5)	07 जिला एवं अन्य चिकित्सालयों में ई०एन०टी०/आंख/आर्थोपेडिक यूनिट की स्थापना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.79
	पुनर्वि०	0.00		+0.79
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 40,777 एवं ₹ 37,929 के कारण है।			
(6)	97 वाह्य सहायतित परियोजनायें			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.01	1.65
	पुनर्वि०	0.00		+1.64

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,65,000 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	800 अन्य व्यय			
	04 राजकीय चिकित्सालयों में डीजल जनरेटर हेतु डीजल की व्यवस्था			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.06
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 5,520 के कारण है।

(8)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
	101 आयुर्वेद			
	05 अस्पताल तथा रूजालय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.96
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 95,634 के कारण है।

(9)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 कुष्ठ रोगियों को सहायता			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.83
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 9,38,999, ₹ 4,16,965 एवं ₹ 26,994 के कारण है।

(10)	05 प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.94
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 2,94,235 के कारण है।

(11)	07 नर्सिंग सेवायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	11.82
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,70,244, ₹ 9,40,230, ₹ 7,000 एवं ₹ 64,324 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(12)	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
	07 स्वास्थ्य मेला			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.01	0.49
	पुनर्वि०	0.00		+0.48

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 49,050 के कारण है।

(13)	800 अन्य व्यय			
	03 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों का विस्तारीकरण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.10
	पुनर्वि०	0.00		+0.10

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 9,858 के कारण है।

(14)	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	103 मातृ तथा बाल स्वास्थ्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.47
	पुनर्वि०	0.00		+0.47

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 46,823 के कारण है।

(15)	104 परिवहन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.08
	पुनर्वि०	0.00		+0.08

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 2,902 एवं ₹ 4,838 के कारण है।

(16)	105 क्षतिपूर्ति			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.65
	पुनर्वि०	0.00		+0.65

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 35,000, ₹ 10,000 एवं ₹ 20,000 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(17)	106 सार्वजनिक शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.01
	पुनर्वि०	0.00		+0.01

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 914 के कारण है।

(18)	200 अन्य सेवायें तथा पूर्तियां			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.01	12.46
	पुनर्वि०	0.00		+12.45

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,77,097 एवं ₹ 9,69,056 के कारण है।

प्रभारित-

- (vii) प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत बिना विनियोजन के ₹ 0.02 लाख के व्यय परिलक्षित हुए। बिना विनियोग के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 28,05.06 लाख की वृद्धि जो कि उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित की गई है निम्न चिकित्सा योजनाओं के कर्मियों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-

- मुख्यालय अधिष्ठान
- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय
- राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
- एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) शाख की स्थापना (100% के०स०)
- आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान
- होम्योपैथी निदेशालय
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना
- राजकीय स्वायत्तता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान
- चिकित्सा स्वास्थ्य सलाहकार परिषद् का अधिष्ठान
- आयुष फार्मेशियों के सुदृढीकरण हेतु मशीनें एवं उपकरणों की खरीद
- आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों का प्रान्तीयकरण
- स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून की स्थापना
- समभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (25% राज्यांश)
- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन

पूजीगत: दत्तमत-

- (viii) ₹ 62,51.54 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 0.40 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(ix) ₹ 62,51.54 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 18,73.66 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 शव विच्छेदन मूल	60.00	60.00	21.56	-38.44
(2)	10 नये जनपद बागेश्वर, चंपावत तथा रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालयों का निर्माण मूल	1,00.00	1,12.82	1,00.00	-12.82
	पूरक	12.82			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 12.82 लाख की वृद्धि जिला चिकित्सालय बागेश्वर, चम्पावत एवं रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	17 अनावासीय भवनों में वहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण मूल	2,50.00	7,50.00	6,74.87	-75.13
	पूरक	5,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि अनावासीय भवनों के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(4)	18 राष्ट्रीय राज मार्गों पर ट्रामा सेंटर का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	23.39	-76.61
(5)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना) मूल	50.00	1,00.00	38.90	-61.10
	पूरक	50.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(6)	91 जिला योजना मूल	2,00.00	3,45.88	2,82.17	-63.71
	पूरक	1,45.88			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,45.88 लाख की वृद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	110 अस्पताल तथा औषधालय 91 जिला योजना मूल	7,16.91	7,35.80	7,12.60	-23.20
	पूरक	18.89			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 18.89 लाख की वृद्धि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(8)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	0.02	16.87	16.85	-0.02
	पूरक	16.85			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 5,91,000 तथा ₹ 16,49,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 16.85 लाख की वृद्धि आयुष फार्मेशियों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(9)	03 राज्य सेक्टर मूल	40.00	40.00	27.53	-12.47
(10)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 06 अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण मूल	5,00.00	5,00.00	25.00	-4,75.00
(11)	08 दून मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	30,00.00	29,99.60	1,69.60	-28,30.00
	पुनर्वि०	-0.40			
(12)	09 राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना मूल	30,58.00	30,58.00	7,50.22	-23,07.78
(13)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा 03 उप-केन्द्रों के भवनों का निर्माण मूल	59.60	59.60	5.83	-53.77
(14)	91 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना) मूल	3,87.22	3,97.22	3,94.05	-3.17
	पूरक	10.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत उप केन्द्रों (जिला योजना) के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 21 सी0एम0ओ0 कार्यालय भवन का निर्माण मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 09 ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य मूल 10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(4)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 105 एलोपैथी 07 एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण मूल 2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
(5)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00 103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य 03 ए0एन0एम0टी0सी0 का भवन निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय
-----	---

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	04 ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य			
	मूल	20.00	21.10	+1.10
(2)	19 देहरादून में बी०एस०सी० नर्सिंग कालेज के भवन का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,80.00	+80.00
(3)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	3,00.00		
	पूरक	2,00.00	5,87.41	+87.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 20,17,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	07 एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण			
	मूल	40.00	74.76	+34.76
(5)	800 अन्य व्यय			
	91 जिला योजना			
	मूल	4,05.00	9,46.48	+22.26
	पूरक	5,19.22		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,19.22 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई—			
	➤ राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	➤ अपूर्ण निर्माण कार्यों का निर्माण			
	➤ होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण			
(6)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
	04 निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन.पी.वी. का भुगतान			
	मूल	0.01	16.16	+16.15
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2215 जल पूर्ति तथा सफाई
2217 शहरी विकास

दत्तमत—

मूल	7,48,10,61			
		8,47,77,60	4,74,98,08	3,72,79,52
पूरक	99,66,99			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011) 1,65,26
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,90,32 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 3,72,79.52 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,65.26 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 3,72,79.52 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 99,66.99 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जलपूर्ति			
	101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
	05 नगरीय पेय जल			
	मूल	70,60.00		
	पूरक	21,00.00	89,60.00	-4.24
	पुनर्वि०	-2,00.00		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—

- नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान
- नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु अनुदान
- हैण्ड पम्पों की मरम्मत/रख-रखाव आयरन रिमूवल यंत्र हेतु अनुदान
- पंपिंग योजनाओं के रख-रखाव हेतु अनुदान
- नगरीय पेयजल योजनाओं का रख-रखाव

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-11-2010 को ₹ 2,00.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	07 केन्द्र पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान पूरक	15,00.00	15,00.00	9,00.00	-6,00.00
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान केन्द्र पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(3)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 03 ग्रामीण पेयजल (राज्य सेक्टर) मूल	15,00.00	16,00.00	12,02.95	-3,97.05
	पूरक	1,00.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 30,00,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर को अनुदान देने हेतु की गई।				
(4)	91 जिला योजना मूल	53,99.38	91,21.38	87,27.93	-3,93.45
	पूरक	37,22.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 37,22.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना तथा हैण्डपंपों के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित मूल	1,75,00.00	1,75,00.00	1,45,00.00	-30,00.00
(6)	02 मल निकासी एवं सफाई 105 सफाई सेवाएं 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	13,60.00	21,00.32	8,43.91	-12,56.41
	पूरक	7,40.32			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,40.32 लाख की वृद्धि ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (75% के0स0) को अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण 03 गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज 1 व 2) मूल	8,00.00	14,00.00	3,73.24	-10,26.76
	पूरक	6,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि गंगा कार्यकारी योजना के रख-रखाव हेतु जल निगम को अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(8)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	2,95.66		
	पूरक	3.69		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3.69 लाख की वृद्धि मजदूरी, अन्य भत्ते, गाड़ियों के रख-रखाव एवं पेट्रोल इत्यादि की खरीद, किराया एवं कम्प्यूटरों के रख-रखाव तथा लेखन सामाग्री की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	2,99.35	2,58.45	-40.90
(9)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	94.41		
	पूरक	15.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 8,487 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	1,09.41	97.65	-11.76
(10)	08 परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु			
	मूल	50.01	50.01	45.48
(11)	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50,77.10	50,77.10	38,40.78
(12)	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	2,64.01		
	पूरक	5,60.00	6,74.01	3,39.52
	पुनर्वि०	-1,50.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,60.00 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—			
	➤ उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि हेतु अनुदान			
	➤ नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु अनुदान			
	➤ नवीन चकराता विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन हेतु अनुदान			
	➤ टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन हेतु अनुदान			
(13)	97 वाहय सहायतित योजना			
	मूल	92,61.97	92,61.97	25,72.92
(14)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,19,05.16	2,19,05.16	21,50.38
				-1,97,54.78

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(15)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 स्थानीय निकाय अधिष्ठान			
	मूल	74.63		
			85.33	
			81.91	-3.42
	पूरक	10.70		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.70 लाख की वृद्धि वेतन, मजदूरी, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं किराये के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(16)	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 नगर पंचायतों का चुनाव			
	मूल	1,04.31		
	पूरक	17.76	1,11.47	1,95.03
	पुनर्वि०	-10.60		+83.56
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,60,748, ₹ 68,990 एवं ₹ 84,46,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 17.76 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10.60 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरे जाने तथा अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(17)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग			
	मूल	9.47	9.47	6.48
				-2.99
(18)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	15,00.00	15,00.00	9,71.00
				-5,29.00
(19)	03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान			
	पूरक	1,73.32	1,73.32	1,09.57
				-63.75
(20)	04 शहरी भूमि सीमा रोपण			
	मूल	46.29	46.29	43.85
				-2.44
(21)	06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान			
	पूरक	13.35	13.35	6.28
				-7.07
(22)	07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्			
	पूरक	7.40		
			2.74	
			2.74	0.00
	पुनर्वि०	-4.66		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.40 लाख का प्रावधान उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.66 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति 101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 -10,00.00
(2)	06 चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना मूल	50.00	50.00	0.00 -50.00
(3)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,66.72	2,66.72	0.00 -2,66.72
(4)	04 जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 -1,00.00
(5)	08 गंगा नदी में प्रदूषण नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्य पूरक	5,00.00	5,00.00	0.00 -5,00.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख के प्रावधान गंगा नदी में प्रदूषण नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्य हेतु प्रदान किए गए।				
(6)	02 मल निकासी एवं सफाई 107 मल निकासी सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	6,62.37	6,62.37	0.00 -6,62.37
(7)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800 अन्य व्यय 04 कम्प्यूटरीकरण एवं जी.आई.एस. योजना मूल	25.00	25.00	0.00 -25.00

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जलपूर्ति			
	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
	07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
	मूल	2,00.00		
			4,00.00	8,00.00
	पुनर्वि०	2,00.00		+4,00.00
(2)	02 मल निकासी एवं सफाई			
	106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण			
	05 गंगा-यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना			
	मूल	20.00	20.00	38.51
				+18.51
(3)	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	2,64.01		
			1,14.01	3,39.52
	पुनर्वि०	-1,50.00		+2,25.51

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,50.00 लाख के अभ्यर्पण टिहरी बांध क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।

(4)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद्			
	मूल	6.30		
			15.07	17.74
	पूरक	8.77		+2.67

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 8.77 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के लिए की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के परिणाम स्वरूप परिलक्षित हुए:

2215	जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जलपूर्ति			
	800 अन्य व्यय			
	03 पेयजल सलाहकार समिति			
	मूल	4.50		
			22.50	3,66.00
	पूरक	18.00		+3,43.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,43,50,000 भी सम्मिलित है।

अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2220 सूचना तथा प्रचार

दत्तमत—

मूल	20,31,40			
		40,59,23	37,29,29	-3,29,94
पूरक	20,27,83			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				2,40,57

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	50,00			
		50,00	00	-50,00
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				-50,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 3,29.94 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 2,40.57 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) ₹ 3,29.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 20,27.83 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2220 सूचना तथा प्रसार			
	01 फिल्म			
	105 फिल्मों का निर्माण			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	49.90		
			39.49	39.48
	पुनर्वि०	-10.41		-0.01

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10.41 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	60 अन्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	3,31.11		
			3,22.94	3,22.60
	पुनर्वि०	-8.17		-0.34

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,623 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-12-2010 को ₹ 51.45 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई-

- आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु क्योंकि स्वीकृत पद रिक्त रहे।
- कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता
- निदेशालय के पास अपना भवन न होने के कारण किराए के भवन का किराया भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता।
- पत्रकारों को टैक्सी/गाड़ियां, ठहरने की व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री द्वारा प्रेसकान्फर्न्स किए जाने हेतु अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
- कम्प्यूटरों के रख-रखाव

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 59.62 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

(3)	101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार			
	05 अधिष्ठान			
	मूल	10,34.20		
	पूरक	20,00.00	26,78.12	25,90.21
	पुनर्वि०	-3,56.08		-87.91

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 41,600 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-12-2010 को ₹ 2,00.00 लाख एवं दिनांक 23-12-2010 को ₹ 1,38.85 लाख की कमी विज्ञापन व्ययों में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 17.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(4)	102 सूचना केन्द्र			
	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान			
	मूल	66.33		
			48.13	48.54
	पुनर्वि०	-18.20		+0.41

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 40,608 एवं ₹ 768 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 18.20 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	91 जिला योजना मूल	6.00		
	पुनर्वि०	-0.97	5.03	5.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.97 लाख के अभ्यर्पण फोटोग्राफी योजना के अन्तर्गत अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			-0.03
(6)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान मूल	2,27.16		
	पूरक	20.18	2,00.95	2,01.91
	पुनर्वि०	-46.39		+0.96
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 89,140 एवं ₹ 6,572 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.18 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 46.39 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	04 जिला सूचना कार्यालय का सुदृढीकरण (जि०यो०) मूल	8.00		
	पुनर्वि०	-0.13	7.87	5.35
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.13 लाख के अभ्यर्पण कम्प्यूटरों एवं रख-रखाव में हुई बचत के कारण किए गए।			-2.52
(8)	109 फोटो सेवायें 03 अधिष्ठान मूल	34.80		
	पुनर्वि०	-6.73	28.07	28.07
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-12-2010 को ₹ 2.40 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.13 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			0.00
(9)	800 अन्य व्यय 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मूल	5.00		
	पुनर्वि०	-4.66	0.34	0.34
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.66 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए। उपरोक्त क्रम सं० (3), (4) एवं (7) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।			0.00

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2220 सूचना तथा प्रचार 01 फिल्म 105 फिल्मों का निर्माण 06 फिल्म परिषद् की स्थापना मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.00		0.00
(2)	60 अन्य 102 सूचना केन्द्र 04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर मूल	7.65		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-7.65		0.00
(3)	103 प्रेस सेवा सूचना 03 उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2220 सूचना तथा प्रचार 60 अन्य 103 प्रेस सूचना सेवायें 04 पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना मूल	0.60		
			2,00.60	2,00.60
	पुनर्वि०	2,00.00		0.00
(2)	110 प्रकाशन 03 अधिष्ठान मूल	70.80		
			1,52.53	1,52.53
	पुनर्वि०	81.73		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-11-2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पत्रकार कल्याण कोष हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-11-2010 को ₹ 85.00 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई—

- राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास पुस्तिका का प्रकाशन
 - मासिक पत्रिका "देव भूमि सन्देश" का प्रकाशन
 - सूचना निर्देशिनी एवं कलैण्डर 2011 का प्रकाशन
- दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.27 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

पूँजीगत :

दत्तमत-

- (vi) पूँजीगत अनुदान का ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
- (vii) अप्रयुक्त प्रावधान निम्नतः रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
60	अन्य			
051	निर्माण			
03	सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत-			
मूल	3,75,77,31		
		4,65,25,84	-83,72,33
पूरक	89,48,53		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			4,30,60
प्रभारित-			
मूल	00		
		00	+40
पूरक	00		

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,07,59 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

- 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	5,90,06		
		17,17,45	-13,73,87
पूरक	11,27,39		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			1,49,63

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 83,72.33 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 4,30.60 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 83,72.33 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 89,48.53 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान मूल 1,26.14	1,26.14	1,18.39	-7.75
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 60,000 भी सम्मिलित है।			
(2)	05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान मूल 6,49.46 पूरक 1,10.82	7,60.28	7,52.87	-7.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 8,94,343, ₹ 2,015 एवं ₹ 12,763 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,10.82 लाख की वृद्धि वेतन एवं विद्युत देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मूल 37.90 पूरक 5.82	43.72	38.60	-5.12
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.82 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	277 शिक्षा 03 अन्य पिछड़ी जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (100% के०स०) मूल 15,60.00	15,60.00	15,00.71	-59.29
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,000 भी सम्मिलित है।			
(5)	91 पिछड़ी जातियों के पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता (50% के०स०) मूल 3,77.41	3,77.41	3,66.42	-10.99
(6)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र मूल 61.81	61.81	51.89	-9.92
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10 भी सम्मिलित है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	07 विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल	20.00	20.00	17.38	-2.62
(8)	09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन मूल	45.00	45.00	38.14	-6.86
(9)	11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम मूल	14.89	34.89	7.82	-27.07
	पूरक	20.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि विकलांग जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(10)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता मूल	11.00	11.00	9.07	-1.93
(11)	20 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान मूल	13,59.00			
	पूरक	9,33.20	23,44.00	23,34.97	-9.03
	पुनर्वि०	51.80			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 9,33.20 लाख की वृद्धि नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान दिए जाने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 51.80 लाख की वृद्धि विकलांग जनों को पेंशन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(12)	102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	73,29.15	87,79.25	55,89.41	-31,89.84
	पूरक	14,50.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2006-07 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 12,21,997, ₹ 4,50,294, ₹ 7,878, ₹ 22,500 एवं ₹ 41,488 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14,50.10 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं के अन्तर्गत अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—				
	➤ आई०सी०डी०एस० योजना में मेडिसिन किट्स की आपूर्ति (100% के०स०)				
	➤ आई०सी०डी०एस० परियोजना/कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (90% के०स०)				
	➤ किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण योजना (100% के०स०)				
	➤ मातृत्व सहयोग योजना (100% के०स०)				
	➤ महिला सशक्तिकरण मिशन (100% के०स०)				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(13)	03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था मूल 59,00.00 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 65,23,576, ₹ 1 एवं ₹ 1,28,420 भी सम्मिलित है।	59,00.00	59,00.00	45,26.75 -13,73.25
(14)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल 86.11 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,83,415, ₹ 1,075, एवं ₹ 27,348 भी सम्मिलित है।	86.11	86.11	74.33 -11.78
(15)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल 35.45 वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 27,675 भी सम्मिलित है।	35.45	35.45	28.56 -6.89
(16)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल 16,04.00 पूरक 57.68 वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 12,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 57.68 लाख की वृद्धि बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	16,04.00	16,61.68	1,50.35 -15,11.33
(17)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल 4,33.84 पूरक 59.87 पुनर्वि० 41.10 वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,08,179 एवं ₹ 1,82,349 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 59.87 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-03-2011 को ₹ 41.10 लाख की वृद्धि संस्थाओं/गृहों के संचालन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	4,33.84	5,34.81	5,02.17 -32.64
(18)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल 15.00 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 600 भी सम्मिलित है।	15.00	15.00	0.01 -14.99
(19)	103 महिला कल्याण 03 महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना मूल 3.67 वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 56,982 भी सम्मिलित है।	3.67	3.67	2.67 -1.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(20)	09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना मूल	8.22	8.22	4.66	-3.56
(21)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल	38.85	57.95	46.31	-11.64
	पूरक	19.10			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 19.10 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(22)	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता मूल	20.00	20.00	9.25	-10.75
(23)	17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति मूल	5.00	5.00	2.11	-2.89
(24)	91 जिला योजना मूल	5.53	5.53	22.77	+17.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,01,105 भी सम्मिलित है।				
(25)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल	21.50	21.50	18.28	-3.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 96,000 भी सम्मिलित है।				
(26)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	61.27	61.27	44.71	-16.56
(27)	05 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण मूल	5.00	5.00	1.00	-4.00
(28)	800 अन्य व्यय 07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार मूल	10.00	10.00	4.32	-5.68
(29)	09 समाज कल्याण अनुश्रवण समिति मूल	25.00	25.00	12.50	-12.50
(30)	91 सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण मूल	14.31	14.31	12.59	-1.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(31)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के आधीन पेंशन			
	05 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन			
	मूल	26,50.00		
	पूरक	32,14.80	58,23.70	57,72.97
	पुनर्वि०	-41.10		-50.73
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 32,14.80 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-03-2011 को ₹ 41.10 लाख की कमी वृद्धावस्था पेंशन में हुई बचत के कारण की गई।			
(32)	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को वेतन			
	मूल	10,00.00	10,00.00	6,74.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 7,31,597, ₹ 24,676 एवं ₹ 8,912 भी सम्मिलित है।			
(33)	200 अन्य कार्यक्रम			
	03 सैनिकों का कल्याण			
	मूल	17,55.56		
	पूरक	4,76.66	18,01.62	18,13.11
	पुनर्वि०	-4,30.60		+11.49
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 17,21,929, ₹ 11 एवं ₹ 5 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,76.66 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सैनिकों के कल्याण के अन्तर्गत सैनिक मुख्यालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु ➤ विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन एवं पुरस्कार ➤ वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान/एन्यूटी ➤ उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन ➤ भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों को सेना/पुलिस में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,30.60 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(34)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	34,05.00	34,05.00	33,94.79
				-10.21
(35)	06 गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना			
	मूल	4,25.00	4,25.00	2,99.60
				-1,25.40

क्रम सं०	लेखांशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(36)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें 00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	26,60.00	26,60.00	10,08.01
				-16,51.99
(37)	09 पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय			
	मूल	30.00	30.00	15.25
				-14.75
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 25,260 भी सम्मिलित है।			
(38)	12 मुस्लिम एजुकेशन मिशन की स्थापना			
	मूल	25.00	25.00	23.00
				-2.00
(39)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें 00			
	092 अन्य कार्यालय			
	05 स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता			
	मूल	15.00	15.00	0.17
				-14.83

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	800 अन्य व्यय			
	04 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	800 अन्य व्यय			
	03 काश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवास			
	मूल	6.00	6.00	0.00
				-6.00
(3)	02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र			
	मूल	65.00	65.00	0.00
				-65.00
(4)	18 हरिद्वार में मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों हेतु दीर्घकालिक आवास का संचालन			
	मूल	5.00		
			3.20	0.00
				-3.20
	पुनर्वि०	-1.80		

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	103 महिला कल्याण 13 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	14 मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	107 स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान 05 श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम हेतु अनुदान मूल	50.00			
	पुनर्वि०	-50.00	0.00	0.00	0.00
(8)	91 अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को सहायता (जिला योजना) मूल	2.50	2.50	0.00	-2.50
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(9)	800 अन्य व्यय 06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
	वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(10)	12 भिक्षावृत्ति नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन पूरक	5.00	5.00	0.00	-5.00
(11)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 05 दंगा पीड़ितों को सहायता पूरक	15.00	15.00	0.00	-15.00
(12)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें 00 800 अन्य व्यय 11 अल्प संख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(13)	15 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(14)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें 00 092 अन्य कार्यालय 03 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतन्त्रता जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान	मूल 2.00	2.00	0.00	-2.00

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं 00 800 अन्य व्यय 04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान	मूल 27.93	35.55	44.42	+8.87
	पूरक	7.62			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.62 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	05 अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण	मूल 72.00	72.00	2,06.25	+1,34.25
-----	------------------------------------	-----------	-------	---------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 102 आर्थिक विकास 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत उद्यम प्रोत्साहन योजना	मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	0.05	+0.05
-----	---	--	------	------	-------

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 4,934 के कारण है।

(2)	277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	1,07.10	+1,07.10
-----	---	--	------	---------	----------

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 83,18,419 एवं ₹ 23,91,890 के कारण है।

क्रम सं०	लेखांशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.15
	पुनर्वि०	0.00		+0.15
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 15,000 के कारण है।			
(4)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	14.78
	पुनर्वि०	0.00		+14.78
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 14,77,695 के कारण है।			
(5)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	14.48
	पुनर्वि०	0.00		+14.48
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 12,86,955 एवं ₹ 1,61,103 के कारण है।			
(6)	14 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.11
	पुनर्वि०	0.00		+0.11
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 10,648 के कारण है।			
(7)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,22.61
	पुनर्वि०	0.00		+1,22.61
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,21,10,681 एवं ₹ 1,50,436 के कारण है।			
(8)	800 अन्य व्यय			
	04 वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.50
	पुनर्वि०	0.00		+1.50
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,50,000 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(9)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	4.50
	पुनर्वि०	0.00		+4.50
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 2,00,000 एवं ₹ 2,50,000 के कारण है।			
(10)	02 समाज कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 एकीकृत अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.13
	पुनर्वि०	0.00		+1.13
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,12,501 के कारण है।			
(11)	277 शिक्षा			
	01 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	11.50
	पुनर्वि०	0.00		+11.50
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 8,37,397 एवं ₹ 3,12,135 के कारण है।			
(12)	03 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय एवं उसका अनुरक्षण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.54
	पुनर्वि०	0.00		+0.54
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 53,860 के कारण है।			
(13)	04 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं उसका अनुरक्षण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	6.29
	पुनर्वि०	0.00		+6.29
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 4,90,129 एवं ₹ 1,38,590 के कारण है।			
(14)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.82
	पुनर्वि०	0.00		+13.82
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,82,300 एवं ₹ 12,00,000 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(15)	800 अन्य व्यय			
	91 एकीकृत अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना का संचालन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.43
	पुनर्वि०	0.00		+3.43
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 3,43,461 के कारण है।			
(16)	03 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	05 कक्षा 1 से 10 के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनार्वतक सहायता			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.05
	पुनर्वि०	0.00		-3.05
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 3,05,480 के कारण है।			
(17)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	01 पुर्नवास			
	102 पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित			
	01 पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापितों का पुनर्वास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.03
	पुनर्वि०	0.00		+2.03
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 2,02,821 एवं ₹ 562 के कारण है।			
(18)	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.01	6.45
	पुनर्वि०	0.00		+6.44
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 5,09,016 एवं ₹ 1,35,860 के कारण है।			
(19)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.20
	पुनर्वि०	0.00		+1.20
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,605 एवं ₹ 1,18,000 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(20)	91 जिला योजना			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.00	0.55
	पुनर्वि०	0.00		+0.54
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 54,900 के कारण है।			
(21)	103 महिला कल्याण			
	08 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	26.26
	पुनर्वि०	0.00		+26.26
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 26,26,000 के कारण है।			
(22)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
	03 वृद्ध/किसान पेंशन			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	1,88.04
	R	0.00		+1,88.04
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,59,16,258, ₹ 10,88,147 एवं ₹ 18,00,000 के कारण है।			
(23)	98 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना (जिला योजना)			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	1.07
	R	0.00		+1.07
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,07,000 के कारण है।			
(24)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	13 भरण-पोषण योजना			
	मूल	20.00	20.00	1,20.00
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,00,00,000 भी सम्मिलित है।			
(25)	91 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	3.23
	R	0.00		+3.23
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 3,22,600 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(26)	2251 सचिवालय-सामाजिक सवायें 00			
	200 सचिवालय-सामाजिक सवायें			
	03 स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक निर्माण हेतु अनुदान			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	1.25
	R	0.00		+1.25

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,25,000 के कारण है।

प्रभारित-

(vii) प्रभारित विनियोग में ₹ 0.40 लाख के व्यय परिलक्षित हुए हैं जो कि वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के परिणामस्वरूप परिलक्षित हैं।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(viii) ₹ 13,73.87 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,49.63 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(ix) ₹ 13,73.87 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 11,27.39 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
	02 समाज कल्याण				
	102 बाल कल्याण				
	03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण				
	मूल	15.00	15.00	2.08	-12.92

(2) 103 महिला कल्याण
10 कार्यशील महिला छात्रवास
पूरक 8,58.42 8,58.42 12.16 -8,46.26
माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,58.42 लाख के प्रावधान कार्यशील महिला छात्रावासों (राज्य योजना) के निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

(3)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	200 अन्य कार्यक्रम				
	03 सैनिक कल्याण				
	मूल	1,10.00			
	पूरक	2,15.47	1,75.84	1,75.84	0.00
	पुनर्वि०	-1,49.63			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,49.63 लाख के अभ्यर्पण शासन स्तर से निधि की स्वीकृति न होने के कारण किए गए।

क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी मूल 20.00 20.00 0.00 -20.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(2)	277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 50.00 50.00 0.00 -50.00			
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(3)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,00.01 1,00.01 0.00 -1,00.01			
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(4)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण मूल 25.00 25.00 0.00 -25.00			
(5)	103 महिला कल्याण 09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण मूल 25.00 25.00 0.00 -25.00			
(6)	104 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 10.00 10.00 0.00 -10.00			
(7)	04 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल 50.00 50.00 0.00 -50.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(8)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 विकलांगों हेतु स्वरोजगार अंशपूंजी (49% के०स०) मूल 10.00 10.00 0.00 -10.00			
(9)	4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 03 हज हाऊस का निर्माण पूरक 50.00 50.00 0.00 -50.00			

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 50.00 लाख का प्रावधान हज हाउस के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(10)	07 बेरोजगारों अल्पसंख्यक महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(11)	08 अल्प संख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय				
02	समाज कल्याण				
103	महिला कल्याण				
06	किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण				
	मूल	1,00.00	1,00.00	1,50.00	+50.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230 श्रम तथा रोजगार

दत्तमत—

मूल	52,32,69		
		72,17,76	60,09,72
			-12,08,04
पूरक	19,85,07		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			1,54,69

पूँजीगत :

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	1,15,00		
		8,37,68	6,71,20
			-1,66,48
पूरक	7,22,68		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 12,08.04 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,54.69 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 12,08.04 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 19,85,07 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	6,74.07		
			6,30.76	6,29.65
				-1.11
	पुनर्वि०	-43.31		

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 43.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	2230 श्रम तथा रोजगार			
	01 श्रम			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 श्रम विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	1,53.76		
	पूरक	5.55	1,19.43	1,19.17
	पुनर्वि०	-39.88		-0.26
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.55 लाख की वृद्धि श्रम विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 11-08-2010 को ₹ 3.25 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 36.63 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(3)	101 औद्योगिक सम्बन्ध			
	03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन			
	मूल	3,16.14		
	पूरक	90.75	4,03.45	3,75.34
	पुनर्वि०	-3.44		-28.11
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 90.75 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.44 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान			
	मूल	1,03.51		
	पूरक	35.00	1,04.71	1,04.03
	पुनर्वि०	-33.80		-0.68
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 33.80 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
	03 निरीक्षण अधिष्ठान			
	मूल	60.67		
	पूरक	7.30	47.09	56.65
	पुनर्वि०	-20.88		+9.56
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 9,87,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.30 लाख की वृद्धि निरीक्षण अधिष्ठान के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 20.88 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	103 सामान्य श्रम कल्याण 03 श्रमिक कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र मूल 62.32 पुनर्वि० -15.63	46.69	48.48	+1.79
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,01,195 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 15.63 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	02 रोजगार सेवाएं 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मूल 4,72.02	4,72.02	4,08.36	-63.66
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,16,058 भी सम्मिलित है।			
(8)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 17.02	17.02	11.53	-5.49
(9)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़े वर्ग हेतु) मूल 1,03.26	1,03.26	81.16	-22.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 45,445 भी सम्मिलित है।			
(10)	04 सेवायोजन कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों का सुदृढीकरण मूल 5.75	5.75	4.07	-1.68
(11)	06 समस्त कैरियर केन्द्रों की नेटवर्किंग मूल 4.50	4.50	2.96	-1.54
(12)	03 प्रशिक्षण 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मूल 1,56.16 पूरक 38.00	1,94.16	1,60.71	-33.45
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 38.00 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(13)	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान मूल 25,40.29 पूरक 15,11.09	40,51.38	32,27.73	-8,23.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,35,288 एवं ₹ 14,020 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,11.09 लाख की वृद्धि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठपुड़िया, जौरासी, अगस्त्यमुनि, वामर्यूं, सराई खेत एवं चौथान पट्टी के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(14)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	2,00.00	2,00.00	48.35	-1,51.65
(15)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति मूल	9.60	19.80	18.46	-1.34
	पूरक	10.20			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.20 लाख की वृद्धि राजकीय औद्योगिक सलाहकार समिति के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(16)	102 शिक्षता प्रशिक्षण 03 शिक्षता प्रशिक्षण योजना मूल	10.00	10.00	1.87	-8.13
------	--	-------	-------	------	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 103 सामान्य श्रम कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(2)	03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 09 नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना मूल	47.67	47.67	0.00	-47.67

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 101 श्रम तथा रोजगार
-----	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड			
	मूल	16.06		
	पूरक	1.60	20.91	19.30
	पुनर्वि०	3.25		-1.61

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.60 लाख की वृद्धि राज्य श्रम सलाहकार संविदा परिषद के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 11-08-2011 को ₹ 3.25 लाख की वृद्धि मानदेय एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	03 प्रशिक्षण			
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,37.08		
	पूरक	2,85.58	5,22.66	6,53.69

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 33,217 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,85.58 लाख की वृद्धि योजना के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत :
दत्तमत—

- (vi) ₹ 1,66.48 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 1,66.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 7,22.68 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनवासीय भवन/भूमि क्रय			
	मूल	15.00		
	पूरक	85.00	1,00.00	52.36

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 85.00 लाख की वृद्धि श्रमायुक्त कार्यालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण एवं भूमि के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	003 प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	पूरक	2,37.68	2,37.68	1,19.67
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,37.68 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण योजना के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (75% के०स०) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			-1,18.01

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2401 फसल कृषि कर्म
2402 मृदा तथा जल संरक्षण
2415 कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा

दत्तमत—

मूल	3,70,64,52		
		4,31,49,32	3,48,78,15
पूरक	60,84,80		-82,71,17
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			22,30,86

पूंजीगत :

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
6401 फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	1,35,00		
		12,80,00	43,61,86
पूरक	11,45,00		+30,81,86
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			16,96

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 82,71.17 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 22,30.86 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 82,71.17 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 60,84.80 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	1,19,83.90		
	पूरक	7,29.60	1,26,70.31	61,95.30
	पुनर्वि०	-43.19		-64,75.01
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,87,624 एवं ₹ 28,56,228 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,29.60 लाख की वृद्धि कृषि विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	102 खाद्यान्नों की फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	21,90.60		
	पुनर्वि०	-95.09	20,95.53	20,99.62
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,84,164 एवं ₹ 12,870 भी सम्मिलित है।			+4.09
(3)	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम			
	मूल	14.01		
	पुनर्वि०	-4.28	9.73	9.66
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,501 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम सं० (1) से (3) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			-0.07
(4)	04 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम			
	मूल	58.90		
	पुनर्वि०	-21.71	37.19	37.19
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 21.71 लाख के अभ्यर्पण अनाज सुरक्षा कार्यक्रम हेतु प्राविधानित सहायक अनुदान में बचत के कारण किए गए।			0.00
(5)	103 बीज			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	40.00		
	पुनर्वि०	9,78.42	10,18.42	9,96.14
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,18,425 भी सम्मिलित है।			-22.28
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-12-2010 को ₹ 9,78.42 लाख की वृद्धि बीजों के उत्पादन एवं इनके वितरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की आवश्यकता हेतु किया गया।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(6)	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र मूल	57.00	23.82	25.00	+1.18
	पुनर्वि०	-33.18			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-12-2010 को ₹ 27.00 लाख की कमी उत्तराचल बीज एवं तराई विकास कारपोरेशन के द्वारा निधि का उपयोग न हो पाने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.18 लाख के अभ्यर्पण मजदूरी, विद्युत एवं उत्पादान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(7)	107 वनस्पति संरक्षण 91 जिला योजना मूल	1,20.00	1,13.80	1,13.80	0.00
	पुनर्वि०	-6.20			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.20 लाख के अभ्यर्पण कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित उत्पादान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(8)	108 वाणिज्यिक फसलें 03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान मूल	9,00.88	8,50.76	8,57.73	+6.97
	पुनर्वि०	-50.12			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 5,659 एवं ₹ 6,92,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 50.12 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (100%) 03 कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना मूल	54.00	51.59	51.59	0.00
	पूरक	54.40			
	पुनर्वि०	-56.81			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 54.40 लाख की वृद्धि कृषि तकनीक हस्तान्तरण योजना के अन्तर्गत मानदेय, प्रकाशन, विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-12-2010 को ₹ 53.40 लाख की कमी मानदेय में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.41 लाख के अभ्यर्पण विज्ञापन, बिक्री, प्रकाशन एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(10)	110 फसल बीमा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2,00.00	3,60.58	3,82.88	+22.30
	पूरक	4,00.00			
	पुनर्वि०	-2,39.42			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 2,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि किसानों के फसल बीमा हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-12-2010 को ₹ 2,39.42 लाख की कमी किसानों के फसल बीमा (50% के0स0) के अन्तर्गत अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(11)	111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	25.08		
	पूरक	21.22	32.12	34.13
	पुनर्वि०	-14.18		+2.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्चत का समायोजन ₹ 2,00,841 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21.22 लाख की वृद्धि फसल उत्पादन प्राकलन योजना एवं कृषि गणना सुधार योजना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.18 लाख के अभ्यर्पण कृषि सुधार योजना के अन्तर्गत अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(12)	800 अन्य योजनायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	14,82.00		
	पूरक	17,24.24	20,65.54	20,65.54
	पुनर्वि०	-11,40.70		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 17,24.24 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-12-2010 को ₹ 7,39.00 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% के0स0) में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,01.70 लाख के अभ्यर्पण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हुई बचत के कारण किए गए।

(13)	04 कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण			
	मूल	45.01		
	पूरक	74.51	98.24	98.26
	पुनर्वि०	-21.28		+0.02

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 74.51 लाख की वृद्धि कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-12-2010 को ₹ 80.40 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,01.68 लाख के अभ्यर्पण विद्युत, कार्यालय फर्नीचर, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान एवं रख-रखाव में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(14)	05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय मूल	23.59	18.54	24.54	+6.00
	पुनर्वि०	-5.05			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(15)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	1,07,45.62	1,01,95.64	1,01,87.63	-8.01
	पुनर्वि०	-5,49.98			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उच्चत का समायोजन ₹ 6,99,060 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5,49.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

(16)	2415 कृषि अनुसंधान 80 सामान्य 120 अन्य संस्थाओं को सहायता 05 पन्तनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण मूल	1,50.00	2,82.90	2,82.90	0.00
	पूरक	9,50.00			
	पुनर्वि०	-8,17.10			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 9,50.00 लाख की वृद्धि पंतनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8,17.10 लाख के अभ्यर्पण विभिन्न कारणों से होना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म 00					
113 कृषि इंजीनियरिंग 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनोनिधानित योजनाएं मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	
पुनर्वि०	-1,00.00				

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2402 मृदा तथा जल संरक्षण 00				
101 मृदा संरक्षण तथा परीक्षण				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

03	मृदा एवं जल संरक्षण			
	मूल	50.00		
			45.99	77.75
	पुनर्वि०	-4.01		+31.76

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 20,04,015 एवं ₹ 10,53,085 भी सम्मिलित है।
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.01 लाख के अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.02
	पुनर्वि०	0.00		+0.02

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,330 के कारण है।

(2)	03 मधुमक्खी पालन (जिला योजना)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.14
	पुनर्वि०	0.00		+1.14

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,13,522 तथा ₹ 464 के कारण है।

(3)	102 खाद्यान्न फसलें			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.07
	पुनर्वि०	0.00		+0.07

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,569 के कारण है।

(4)	112 दलहनों का विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.48
	पुनर्वि०	0.00		+0.48

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 48,217 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	114 तिलहन विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.79
	पुनर्वि०	0.00		+0.79
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 79,250 के कारण है।			
(6)	119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.82
	पुनर्वि०	0.00		+0.82
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 79,465 तथा ₹ 3,000 के कारण है।			
(7)	03 औद्यानिक विकास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3,78.41
	पुनर्वि०	0.00		+3,78.41
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,48,80,961, ₹ 1,28,31,006 तथा ₹ 1,29,150 के कारण है।			
(8)	07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.85
	पुनर्वि०	0.00		+0.85
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 4,000, ₹ 51,048 तथा ₹ 29,982 के कारण है।			
(9)	09 जड़ी बूटी संस्थान को सहायक अनुदान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.00
	पुनर्वि०	0.00		+5.00
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,00,000 के कारण है।			
(10)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.00
	पुनर्वि०	0.00		+3.00
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,57,770 तथा ₹ 42,316 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.04
	पुनर्वि०	0.00		+0.04

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,264 के कारण है।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) दत्तमत अनुदान में ₹ 30,81.86 लाख के व्ययाधिक्य हुए। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त वसूली की राशि ₹ 29,41.16 लाख लेखे में सम्मिलित कर ली जाए तब भी ₹ 1,40.70 लाख के आधिक्य रहेंगे।

(viii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
800	अन्य व्यय			
03	कृषि निदेशालय का भवन निर्माण			
	मूल	50.00		
			33.04	33.04
	पुनर्वि०	-16.96		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.96 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण की गई।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
	00			
	109 वाणिज्यिक फसलें			
	03 एन०सी०डी०सी० योजना उर्वरक गोदाम निर्माण हेतु ऋण			
	मूल	35.00	35.00	0.00
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			-35.00

(x) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	103 बीज			
	03 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित			
	मूल	0.00		
	पुरक	0.00	0.00	24,08.83
	पुनर्वि०	0.00		+24,08.83

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	107 वनस्पति संरक्षण			
	03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइको न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रांसगिक व्यय सम्मिलित है			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	7,24.99
	पुनर्वि०	0.00		+7,24.99

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,18,904 भी सम्मिलित है।

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान ₹ 29,41.16 लाख की वसूली रही।

अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2425 सहकारिता

दत्तमत—

मूल	29,56,91		
		30,79,28	25,92,23
पूरक	1,22,37		-4,87,05
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

पूँजीगत :

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय
6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	8,50,20		
		8,50,20	1,01,83
पूरक	00		-7,48,37
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 4,87.05 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध कोई राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,87.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,22.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2425 सहकारिता			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण			
	मूल	8,14.30		
			8,30.58	8,16.54
	पूरक	16.28		-14.04

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 7,402 एवं ₹ 1,63,901 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 16.28 लाख की वृद्धि सहकारिता के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	05 सहकारिता न्यायाधिकरण मूल	36.78		
			37.23	31.02
	पूरक	0.45		-6.21
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 0.45 लाख की वृद्धि व्यावसयिक एवं विशेष सेवाओं एवं किराये के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	800 अन्य व्यय			
	04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)			
	मूल	3,00.00	3,00.00	41.78
				-2,58.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,79,000 भी सम्मिलित है।			
(4)	13 सहकारी सहभागिता योजना			
	मूल	10,23.70	10,23.70	9,58.37
				-65.33
(5)	26 अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता			
	मूल	2,22.00	2,22.00	1,76.32
				-45.68

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2425 सहकारिता			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	19 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियां लागू करना			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	24 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० को भवन निर्माण हेतु सहायता			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00
	उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

(v) दृष्टांत जहां व्यय/व्यंयाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2425 सहकारिता			
	00			
	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता			
	03 सहकारी विभाग की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता			
	मूल	10.00		
			18.80	21.43
				+2.63
	पूरक	8.80		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,63,000 भी सम्मिलित है।			

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) ₹ 7,48.37 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं कि जा सकी।

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	200 अन्य निवेश			
	03 समितियों की अश पूँजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)			
	मूल	4,80.00	4.80.00	75.75
				-4,04.25
(2)	6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
	00			
	800 अन्य कर्ज			
	04 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)			
	मूल	3,70.00	3,70.00	25.88
				-3,44.12
	उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

- 2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम
- 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत—

मूल	4,33,39,94			
		4,62,87,99	3,87,66,25	-75,21,74
पूरक	29,48,05			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				39,97,85

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 14,59,73 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त नहीं हुई।

पूँजीगत :

- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
- 4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	63,90,00			
		71,34,66	58,14,95	-13,19,71
पूरक	7,44,66			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				13,35,90

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 75,21.74 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 39,97.85 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 75,21.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को ₹ 29,48.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अनाश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- (1) 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 - 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
 - 800 अन्य व्यय

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	59,07.67		
	पूरक	11,42.88	63,19.36	62,98.18
	पुनर्वि०	-7,31.19		-21.18
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,79,651 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11,42.88 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—			
	➤ ग्रामीण क्षेत्रों में बी०पी०एल० सर्वे (100% के०स०)			
	➤ 13वें वित्त आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को यू०आई०डी० में पंजीकरण (100% के०स०)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 97.58 लाख की वृद्धि आई०डब्ल्यू०डी०पी० हेतु राज्यांश व्यवस्थित किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8,28.77 लाख के अभ्यर्पण का कारण जिला स्तर पर स्वीकृत पुनर्विनियोजन की राशि आहरित न हो पाने के कारण निधि का उपयोग न होना था।			
(2)	02 सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	6,94.00		
			3,51.93	3,64.90
	पुनर्वि०	-3,42.07		+12.97
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 1,00.00 लाख की कमी सूखा क्षेत्रों में निधि का उपयोग न हो पाने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,42.07 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के अवमुक्त न हो पाने से राज्यांश में बचत के कारण किए गए।			
(3)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान			
	मूल	1,22.52		
			1,12.45	1,12.50
	पुनर्वि०	-10.07		+0.05
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 6,750 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10.07 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	67.19		
			62.59	58.22
	पुनर्वि०	-4.60		-4.37

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	003 प्रशिक्षण 03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) मूल 5,29.76 पुनर्वि० -75.84	4,53.92	4,54.57	+0.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 66,946 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम सं० (4) एवं (5) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(6)	101 पंचायती राज 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 46,25.00	46,25.00	49.00	-45,76.00
(7)	03 पंचायती राज अधिष्ठान मूल 4,74.08 पुनर्वि० -23.64	4,50.44	4,02.03	-48.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,583 एवं ₹ 20,912 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 23.64 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	102 सामुदायिक विकास 09 उत्तराखण्ड सर्वभौम रोजगार योजना मूल 2,54.10 पुनर्वि० -1,54.10	1,00.00	1,00.00	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,54.10 लाख के अभ्यर्पण निधि के प्राप्त न हो पाने के कारण किए गए।			
(9)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 36.25 पुनर्वि० -10.98	25.27	25.26	-0.01
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	97 आईफेड वाहय सहायतित योजना मूल 28,75.60 पुनर्वि० -5,06.64	23,68.96	23,68.96	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5,06.64 लाख के अभ्यर्पण निधि की स्वीकृति न मिलने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा			
	मूल	18,23.71		
	पूरक	3,91.60	21,53.27	21,57.88
	पुनर्वि०	-62.04		+4.61
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,79,275, ₹ 31,199 एवं ₹ 7,41,055 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,91.60 लाख की वृद्धि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 62.04 लाख के अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(12)	04 वन पंचायत			
	मूल	42.34		
	पूरक	38.60	77.82	43.77
	पुनर्वि०	-3.12		-34.05
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 38.60 लाख की वृद्धि वन पंचायत विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.12 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(13)	05 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ			
	मूल	13.97		
	पुनर्वि०	-2.79	11.18	11.51
				+0.33
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.79 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(14)	06 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु)			
	मूल	1,12.42		
	पूरक	4.53	1,13.21	1,16.16
	पुनर्वि०	-3.74		+2.95
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,33,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4.53 लाख की वृद्धि राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों के लिए) अन्य भत्ते, विद्युत व्यय एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.74 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(15)	07 राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय)			
	मूल	1,55.79		
	पूरक	11.52	1,53.37	1,53.56
	पुनर्वि०	-13.94		+0.19
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 18,059 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.52 लाख की वृद्धि राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तर पर) के कर्मियों को मजदूरी एवं मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 13.94 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(16)	08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था			
	मूल	43,60.91		
	पूरक	7.20	40,64.33	42,61.94
	पुनर्वि०	-3,03.78		+1,97.61

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 71,63,587, ₹ 5,98,287, ₹ 10,43,186 एवं ₹ 58,501 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.20 लाख की वृद्धि ग्रामीण स्थानीय निकाय के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हुए है के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,03.78 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-

- पशुधन विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत
- स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मियों की नियुक्ति न होना।
- समाज कल्याण विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत (सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी)
- चिकित्सा विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत (ए०एन०एम०, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नियमित दाई)
- सिंचाई विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत-नलकूप ओपरेटर, ग्राम पंचायत के अधीन मिस्त्री

(17)	09 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना			
	पूरक	20.00	14.84	13.58
	पुनर्वि०	-5.16		-1.26

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.00 लाख के प्रावधान ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.16 लाख के अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

- (1) 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
00
- 102 सामुदायिक विकास

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	13 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान			
	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	-1.00	0.00	0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	14 जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना			
	मूल	5.00		
	पुनर्वि०	-5.00	0.00	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	19 निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति			
	मूल	15,40.00		
	पुनर्वि०	-15,40.00	0.00	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण ऋणों के भुगतान हेतु सहमति प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
	(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
(1)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनोनिधानित योजनाएं			
	मूल	31.78		
	पुनर्वि०	0.57	32.35	+44.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 44,22,330 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 2.42 लाख की वृद्धि बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.85 लाख के अभ्यर्पण उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।			
(2)	03 अधिष्ठान			
	मूल	59,77.21		
	पूरक	6,07.00	63,95.96	+4,05.85
	पुनर्वि०	-1,88.25		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,07,05,165, ₹ 1,30,191, ₹ 18,998 एवं ₹ 25,626 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,07.00 लाख की वृद्धि सामुदायिक विकास योजना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,88.25 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्याधियाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	16.21
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 6,34,000 तथा ₹ 9,87,400 के कारण है।			+16.21
(2)	91 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	90.58
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 6,44,000, ₹ 68,63,700 तथा ₹ 15,50,033 के कारण है।			+90.58
(3)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
	04 विधायक निधि			
	मूल	1,09,34.00	1,09,34.00	1,13,09.00
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,75,00,000 भी सम्मिलित है।			+3,75.00
(4)	08 बी०डी०एस० के लिए रिवाल्विंग फण्ड			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.18
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 17,520 के कारण है।			+0.18

पूंजीगत :

दत्तमत-

- (vii) ₹ 13,19.71 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 13,35.90 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (viii) ₹ 13,19.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 7,44.66 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	03 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान मूल	50,00.00		
			40,52.64	40,52.64
	पुनर्वि०	-9,47.36		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9,47.36 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।			
(2)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय का भुगतान मूल	7,70.00		
			4,59.66	4,59.66
	पुनर्वि०	-3,10.34		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,10.34 लाख के अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	91 जिला योजना मूल	5,50.00		
	पूरक	7,44.66	12,86.46	13,02.65
	पुनर्वि०	-8.20		+16.19
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 16,19,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,44.66 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई-			
	➤ जिला विकास कार्यालयों (जिला योजना) के भवनों का निर्माण एवं			
	➤ खण्ड विकास कार्यालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।			
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-20.00		0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	04 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान/
विनियोग

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)
बचत (-)
(हजार ₹ में)

राजस्व :

2700 मुख्य सिंचाई
2701 मध्यम सिंचाई
2702 लघु सिंचाई
2705 कमान क्षेत्र विकास
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

दत्तमत—

मूल 2,74,55,03

2,83,61,58

3,11,24,11

+27,62,53

पूरक 9,06,55

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)

33,03

भारित—

मूल 2

2

00

-2

पूरक 00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)

00

पूँजीगत :

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल 4,18,38,39

4,23,88,39

4,24,35,31

+46,92

पूरक 5,50,00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)

54,30,86

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) प्रावधान में ₹ 27,62.53 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (ii) ₹ 27,62.53 लाख की अन्तिम आधिक्य को देखते हुए ₹ 9,06.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन मूल	16,85.73	18,26.73	17,67.28	-59.45
	पूरक	1,41.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,11,501 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,41.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	80 सामान्य 800 अन्य व्यय 05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि मूल	46.00	46.00	38.10	-7.90
(3)	2701 मध्यम सिंचाई 10 तुमरिया योजना 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	3,45.95	3,45.95	3,33.46	-12.49
(4)	13 अन्य सिंचाई योजनाएं 101 अन्य सिंचाई योजनाएं 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	2,54.10	2,89.10	2,27.26	-61.84
	पूरक	35.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि मध्यम सिंचाई के रख-रखाव व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	2702 लघु सिंचाई 02 भूजल 005 अन्वेषण 03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण मूल	11,79.73	13,04.23	12,77.13	-27.10
	पूरक	1,24.50			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,24.50 लाख की वृद्धि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आकलन एवं सुदृढीकरण के कर्मियों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	03 रख-रखाव			
	103 नलकूप			
	03 अनुरक्षण कार्य			
	मूल	25,46.00	25,46.00	25,16.02
				-29.98

(7)	80 सामान्य			
	800 अन्य मद			
	03 रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन			
	मूल	16.17	16.17	14.09
				-2.08

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा बचत के अभ्यर्पण नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2701	मध्यम सिंचाई			
	14 हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
	02 अन्य रख-रखाव			
	मूल	33.00	0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	-33.00		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2700 मुख्य सिंचाई			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 कार्यकारी अधिष्ठान			
	मूल	1,54,95.42	1,60,98.42	1,66,26.34
				+5,27.92
	पूरक	6,03.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के क्रमशः ₹ 17,531 एवं ₹ 72,566 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,03.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं प्रशिक्षण व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	05 दैनिक वेतन भोगियां एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारियों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	16,50.00	16,50.00	18,39.52
				+1,89.52
(3)	08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
	मूल	6.14	6.14	9.45
				+3.31

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	2701 मध्यम सिंचाई 11 दून नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	3,44.45	3,44.45	3,82.13	+37.68
(5)	12 हरिपुरा/बौर बांध व नहरें 101 हरिपुरा/बौर बांध व नहरें 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	2,72.25	2,72.25	2,81.24	+8.99
(6)	80 सामान्य 799 उचन्त 03 भन्डार मूल पूरक पुनर्वि०	0.00 0.00 0.00	0.00	18,39.19	+18,39.19
(7)	800 अन्य व्यय 05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि मूल	51.60	51.60	54.66	+3.06
(8)	2702 लघु सिंचाई 03 रख-रखाव 102 लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ 03 अनुरक्षण कार्य मूल	5,96.40	5,96.40	6,27.44	+31.04
(9)	80 सामान्य 800 अन्य व्यय 91 जिला योजना मूल	2,99.01	2,99.01	3,01.68	+2.67
(10)	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 03 सिविल निर्माण कार्य मूल	3,85.00	3,85.00	3,86.04	+1.04

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2701 मध्यम सिंचाई			
	01 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशन तथा प्रशासन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	32.03
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः ₹ 29,17,991, ₹ 80,187 एवं ₹ 2,05,280 के कारण है।

(2)	04 कार्यभारित अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2,78.11
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः ₹ 1,44,02,291, ₹ 64,73,559, ₹ 1,08,891 एवं ₹ 68,25,759 के कारण है।

(3)	05 सिंचाई विभाग के वर्कशाप/कार्यभारित अधिष्ठान के दैनिक सेवकों एवं कामगारों हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	34.02
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः ₹ 23,34,469, ₹ 5,64,055, ₹ 1,78,076 एवं ₹ 3,25,534 के कारण है।

(4)	06 सिंचाई विभाग के सरप्लस स्टॉफ के अधिष्ठान व्यय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	8.45
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 8,44,847 के कारण है।

(vii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. **स्टाक**— इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्ट्राक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्ट्राक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

2. **विविध निर्माण कार्य—पेशगियां** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामे राशियां होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

3. **वर्कशाप उचन्त**— विभागीय वर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2010-2011 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

प्रभारित—

(viii) प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राविधानित ₹ 0.02 लाख वर्षपर्यन्त अप्रयुक्त रहे थे।

पूँजीगत :
दत्तमत—

- (ix) प्रावधान में ₹ 46.92 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (x) ₹ 46.92 लाख के अन्तिम आधिक्य पर ₹ 54,30.86 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (xi) ₹ 46.92 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 5,50.00 लाख अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (xii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	03 सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों, के अन्तर्गत देय डिक्लीटल राशियों के भुगतान हेतु			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	25.00		
			9.34	9.34
	पुनर्वि०	-15.66		0.00
(2)	04 नलकूपों का निर्माण			
	800 अन्य व्यय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	45,12.10		
	पुनर्वि०	-4,79.86		
			40,32.24	39,72.59
				-59.65
(3)	05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,20,00.00		
	पुनर्वि०	-25,16.98		
			94,83.02	53,16.47
				-41,66.55
(4)	07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	6,61.34		
	पुनर्वि०	-1,21.44		
			5,39.90	5,94.29
				+54.39
(5)	15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव कार्य			
	मूल	10,00.00		
	पूरक	2,00.00	10,00.00	10,00.00
	पुनर्वि०	-2,00.00		
				0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि टिहरी बांध परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	005 सर्वक्षण तथा अनुसंधान (किशात बांध सम्मिलित करते हुए)			
	03 निर्माण कार्य			
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-14.17		
			85.83	83.71
				-2.12
(7)	800 अन्य व्यय			
	03 जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशयों एवं कन्टूर ट्रेंच आदि का निर्माण			
	मूल	50.00		
	पूरक	50.00	12.00	11.98
	पुनर्वि०	-88.00		
				-0.02
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि जलाशयों एवं कन्टूर ट्रेंच आदि के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	04 अपर यमुना रिवर बोर्ड हेतु रिजर्व व बिलडिंग फंड मूल 60.00			
	पुनर्वि० -30.00	30.00	30.00	0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (1) से (8) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			
(9)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90% के०स०) मूल 1,60,00.02	1,60,00.02	1,11,20.17	-48,79.85
(10)	04 अटल आदर्श ग्रामों में सिंचाई सुविधा मूल 2,00.00	2,00.00	1,97.41	-2.59

(11)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 03 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव मूल 3,00.00 पूरक 2,00.00 पुनर्वि० -2,53.71	2,46.29	2,46.29	0.00
------	---	---------	---------	------

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल 1,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				

(xiv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय			
-----	--	--	--	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	59,43.87		
	पूरक	1,00.00	64,41.95	65,73.66
	पुनर्वि०	3,98.08		+1,31.71
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि राज्य सेक्टर से पोषित नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि नाबार्ड योजना के अन्तर्गत नलकूप/लघु डाल नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,01.92 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।			
(2)	11 उचन्त			
	799 उचन्त			
	03 भण्डार			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	42,88.04
	पुनर्वि०	0.00		+42,88.04
(3)	04 विविध कार्य अग्रिम			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5,65.04
	पुनर्वि०	0.00		+5,65.04
(4)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	91 उचन्त-उचन्त से निर्माण कार्यों को सामग्री का निर्गमन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	66,54.75
	पुनर्वि०	0.00		+66,54.75
(5)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	7,50.00	7,50.00	16,36.52
				+8,86.62

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xv) उचन्त लेन-देन:

टिप्पणी (vii) के अनुसार

उचन्त लेन-देन का विश्लेषण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2010-2011 के पूंजी प्रभाग परिशिष्ट (IV) में दिया गया है।

अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2801 बिजली
2810 वैकल्पिक ऊर्जा

दत्तमत—

मूल	8,42,35			
		9,02,35	9,49,50	+47,15
पूरक	60,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				2,27

पूंजीगत :

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
6801 बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज

दत्तमत—

मूल	3,85,65,04			
		3,96,33,99	1,09,65,03	-2,86,68,96
पूरक	10,68,95			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				2,15,95,66

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) अनुदान में ₹ 47.15 लाख का व्ययाधिक्य परिलक्षित हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता है।
- (ii) ₹ 47.15 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 60.00 लाख के अनुपूरक अनुदान पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए।
- (iii) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से प्रतिसंतुलित हुए) मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	2801 बिजली			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	800 अन्य व्यय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन			
	मूल	14.77		
			12.51	75.82
				+63.31
	पुनर्वि०	-2.26		

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा				
	01 बायो ऊर्जा				
	103 जैवपिड				
	03 बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता				
	मूल	10.30	10.30	5.15	-5.15
(2)	02 सोलर एनर्जी				
	102 सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम				
	03 सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता				
	मूल	2,91.89	2,91.89	2,74.18	-17.71

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

(1)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा				
	02 सोलर एनर्जी				
	101 सोलर थर्मल कार्यक्रम				
	03 सोलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता				
	मूल	9.93	9.93	11.43	+1.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,50,000 भी सम्मिलित है।

(2)	60 ऊर्जा के अन्य स्रोत				
	800 अन्य व्यय				
	03 प्रशासनिक व्यय				
	मूल	2,76.00			
			3,36.00	3,43.47	+7.47
	पूरक	60.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,47,000 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

पूंजीगत :
दत्तमत—

- (vi) ₹ 2,86,68.96 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,15,95.66 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
(vii) ₹ 2,86,68.96 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 10,68.95 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
(viii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन			
	मूल	1,10,00.00		
			1,01,50.00	25,00.00
	पुनर्वि०	-8,50.00		-76,50.00
(2)	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	04 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि. में अंशपूंजी			
	मूल	19,75.00		
			15,12.00	15,12.00
	पुनर्वि०	-4,63.00		0.00
(3)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	04 नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण			
	मूल	30,00.00		
			24,38.33	24,38.33
	पुनर्वि०	-5,61.67		0.00
(4)	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	91 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण			
	मूल	10,00.00		
	पूरक	10,68.95	15,68.00	11,38.80
	पुनर्वि०	-5,00.95		-4,29.20

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10,68.95 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (4) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (4) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश मूल 50,00.00 पुनर्वि० -50,00.00	0.00	0.00	0.00
(2)	05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल 99,54.00 पुनर्वि० -99,54.00	0.00	0.00	0.00
(3)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल 42,66.00 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।	42,66.00	42,66.00	0.00 -42,66.00

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल 7,11.00	7,11.00	17,16.90	+10,05.90
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3054 सड़क तथा सेतु			
दत्तमत—			
मूल	3,56,17,14		
पूरक	23,83,60	3,80,00,74	3,45,06,54
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			—34,94,20
प्रभारित—			
मूल	3,97,49		
पूरक	00	3,97,49	1,06,32
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			—2,91,17
पूँजीगत :			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत—			
मूल	5,58,90,01		
पूरक	3,03,85,00	8,62,75,01	8,88,61,66
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			+25,86,65
प्रभारित—			
मूल	00		
पूरक	50,00	50,00	00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			—50,00
टिप्पणियां एवं टीकायें			

राजस्व :
दत्तमत-

- (i) ₹ 34,94.20 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
(ii) ₹ 34,94.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 23,83.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
(iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2059 लोक निर्माण कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन मूल	15,65.13	17,65.13	17,55.82	-9.31
	पूरक	2,00.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 76,61,746 एवं ₹ 10,45,903 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि लोक निर्माण विभाग के निदेशन तथा प्रशासन के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	051 निर्माण 03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड मूल	1,80,70.81	1,96,54.41	1,92,41.11	-4,13.30
	पूरक	15,83.60			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 11,20,723, ₹ 34,10,484, ₹ 13,733 एवं ₹ 71,110 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,83.60 लाख की वृद्धि वेतन तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	102 रख रखाव तथा मरम्मत 06 सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, सामान्य एवं विशेष मरम्मत मूल	1,94.20	1,94.20	1,90.67	-3.53
(4)	3054 सड़क तथा सेतु 01 राष्ट्रीय राजमार्ग 337 सड़क निर्माण कार्य 04 राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100% के०स०) मूल	18,00.00	18,00.00	-12.40	18,12.40
(5)	04 जिला और अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत मूल	1,11,00.00	1,11,00.00	99,29.26	-11,70.74

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 निर्माण			
	मूल	2,55.00	2,55.00	1,86.62
				-68.38

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3054	सड़क तथा सेतु				
	03 राज्य राजमार्ग				
337	सड़क निर्माण कार्य				
	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत				
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2059 लोक निर्माण कार्य				
	01 कार्यालय भवन				
	053 रखरखाव तथा मरम्मत				
	03 रखरखाव तथा मरम्मत				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	68.13	+68.13
	पुनर्वि०	0.00			

(2)	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु				
	मूल	20,00.00			
			26,00.00	29,61.66	+3,61.66
	पूरक	6,00.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,07,949 एवं ₹ 3,05,845 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मियों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	2216 आवास				
	01 सरकारी रिहाइशी भवन (मतदेय)				
	700 अन्य आवास				
	03 निर्माण				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	26.72	+26.72
	पुनर्वि०	0.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	04 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण मूल	1,32.00	1,32.00	1,33.10	+1.10
(5)	3054 सड़क तथा सेतु 01 राष्ट्रीय राजमार्ग 337 सड़क निर्माण कार्य 03 एजेन्सी सरचार्ज	0.00	0.00	6.87	+6.87
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	6.87	+6.87
	पुनर्वि०	0.00			
(6)	04 जिला और अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	0.00	0.00	4.00	+4.00
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	4.00	+4.00
	पुनर्वि०	0.00			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (1), (3), (5) एवं (6) के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

2059	लोक निर्माण कार्य				
80	सामान्य				
052	मशीनरी एवं उपकरण				
03	मशीनरी एवं उपकरण				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	0.24	+0.24
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 23,646 के कारण है।

राजस्व :

प्रभारित-

(vii) ₹ 2,91.17 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	-------------	---------------	------------------------------------

(1) 2059 लोक निर्माण कार्य

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	01 कार्यालय भवन			
	053 रखरखाव तथा मरम्मत			
	03 रखरखाव तथा मरम्मत (भारित)			
	मूल	1,52.49	1,52.49	86.42
				-66.07
(2)	2216 आवास			
	01 सरकारी रिहाइशी भवन			
	700 अन्य आवास			
	03 निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	19.35
				-30.65
(3)	3054 सड़क तथा सेंटू			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान (भारित)			
	मूल	1,95.00	1,95.00	0.55
				-1,94.45

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत :
दत्तमत—

- (ix) अनुदान के अन्तर्गत ₹ 25,86.65 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (x) ₹ 25,86.65 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 3,03,85.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (xi) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	09 लोक निर्माण (नए कार्य)			
	मूल	20.00	20.00	47.05
				+27.05
(2)	10 लोक निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	2,00.00		
			3,50.00	2,25.11
				-1,24.89
	पुनर्वि०	1,50.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि योजना के अवशेष देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	12 पूलड आवास योजना (चालू कार्य) मूल 2,00.00 पुनर्वि० 2,50.00	4,50.00	4,08.97	-41.03
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि योजना के अवशेष देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	13 पूलड आवास योजना (नए कार्य) मूल 20.00	20.00	1,12.10	+92.10
(5)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 799 उचन्त 03 उचन्त मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	52,85.49	+52,85.49
(6)	04 जिला तथा अन्य सड़कें मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	41,90.76	+41,90.76
(7)	04 जिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल 15,00.00 पूरक 30,00.00 पुनर्वि० 26,00.00	71,00.00	71,02.40	+2.40
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि सड़कों/भवनों/पुलों इत्यादि हेतु भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 26,00.00 लाख की वृद्धि योजना के अवशेष देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	80 सामान्य 190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूंजी मूल 0.01	0.01	2,00.00	+1,99.99

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टाक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. **स्टाक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टाक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टाक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

2. **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बटुटे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामे राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे, शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

3. **वर्कशाप उचन्त**- विभागीय वर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2010-2011 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 052 मशीनरी तथा उपस्कर 04 उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय मूल	50.00	50.00	44.37	-5.63
(2)	05 नई खरीद मूल	2,50.00	2,50.00	2,48.85	-1.15
(3)	101 पुल 03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण मूल	16,00.00			
	पूरक	34,00.00	50,00.00	49,77.75	-22.25

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 34,00.00 लाख की वृद्धि पुलों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	04 अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,00.00	5,00.00	80.09	-4,19.91
(5)	03 राज्य सेक्टर मूल पूरक पुनर्वि०	1,65,00.00 1,89,00.00 -30,00.00	3,24,00.00	3,09,54.96	-14,45.04
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,60,175 भी सम्मिलित है।					
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,89,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्यों (चालू कार्य) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 30,00.00 लाख की कमी निधि का उपयोग न हो पाने के कारण की गई।					
(6)	04 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100% के०स०) मूल पूरक	4,00.00 23,35.00	27,35.00	26,57.66	-77.34
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 23,35.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्यों (100% के०स०) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(7)	97 विश्व बैंक सहायतित योजना/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	2,50,11.30	-49,88.70
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।					
(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 06 बाढ़ व भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुननिर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(2)	07 क्रोानिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xv) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
800	अन्य व्यय			
91	जिला योजना			
	मूल	45,00.00		
			72,50.00	
			73,14.80	+64.80
	पूरक	27,50.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 64,80,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 27,50.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्यों (जिला योजना) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूंजीगत :
प्रभारित—

(xvi) प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख के प्रावधान वर्षपर्यन्त अप्रयुक्त रहे।

अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत—

मूल	46,09,56			
		64,29,43	59,15,18	-5,14,25
पूरक	18,19,87			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,65,02 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	12,80,55			
		14,67,78	3,14,73	-11,53,05
पूरक	1,87,23			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 5,14.25 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 5,14.25 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 18,19.87 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण 00 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 राजकीय मद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान मूल 8,52.86 पूरक 37.10	8,89.96	7,94.55	-95.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 11,62,485, ₹ 3,033 तथा ₹ 7,255 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 37.10 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान, विद्युत देय एवं किराया हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00 102 लघु उद्योग 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 22.24 पूरक 21.26	43.50	21.63	-21.87
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन ₹ 22,647 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21.26 लाख की वृद्धि लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0स0) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	03 अधिष्ठान व्यय मूल 12,29.41 पूरक 4,43.50 पुनर्वि० -70.31	16,02.60	15,40.05	-62.55
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,43.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 एवं 25-03-2011 को ₹ 70.31 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।			
(4)	04 उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना) मूल 49.90	49.90	43.67	-6.23
(5)	15 औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना मूल 25.00	25.00	13.20	-11.80
(6)	16 जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण मूल 39.34	39.34	34.77	-4.57

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	17 लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान मूल 50.00	4,00.00	3,50.00	-50.00
	पूरक 3,50.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	22 पीएमआरवाई प्लस योजना मूल 5.00	5.00	0.11	-4.89
(9)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल 40.39	91.14	73.52	-17.62
	पूरक 50.75			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.75 लाख की वृद्धि मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के अधिष्ठान व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	103 हथकरघा उद्योग 07 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता मूल 60.00	45.00	15.00	-30.00
	पुनर्वि० -15.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-03-2011 को ₹ 15.00 लाख की कमी का कारण निधि का उपयोग न हो पाना सूचित किया गया।			
(11)	105 खादी ग्रामोद्योग 03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता मूल 5,24.83	5,24.83	5,02.00	-22.83
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 3,13,540 भी सम्मिलित है।			
(12)	91 जिला योजना मूल 80.00	1,67.26	1,45.18	-22.08
	पूरक 87.26			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 87.26 लाख की वृद्धि बैंक वित्त ब्याज उपदान स्वतः रोजगार योजना एव ऊन, तागा, बैंक की स्थापना के लिए सहायक अनुदान देने हेतु की गई।			
(13)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

03 खनन प्रशासन का अधिष्ठाान

मूल 5,38.06

5,47.56

4,01.34

-1,46.22

पूरक 9.50

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 9.50 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1) 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना

मूल 10.00

10.00

0.00

-10.00

(2) 21 क्लस्टर विकास योजना

मूल 15.00

15.00

0.00

-15.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1) 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

26 सिडकुल हेतु जांच आयोग का गठन

मूल 10.00

पूरक 5.00

16.50

16.49

-0.01

पुनर्वि० 1.50

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि सिडकुल जांच आयोग के गठन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-03-2011 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।

(2) 103 हथकरघा उद्योग

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल 50.00

पूरक 1,50.00

2,15.00

2,15.00

0.00

पुनर्वि० 15.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि हथकरघा, बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने हेतु की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-03-2011 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि हथकरघा, बुनकरों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण			
	मूल	20.00		
			79.31	
			79.31	0.00
	पुनर्वि०	59.31		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-03-2011 को ₹ 59.31 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	003 प्रशिक्षण			
	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.76
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,13,282 तथा ₹ 63,000 के कारण है।

(2)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	004 अनुसंधान तथा विकास			
	03 उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला नैनीताल एवं इसका समेकन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.46
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 5,46,114 के कारण है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

- (vii) ₹ 11,53.05 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 11,53.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,87.23 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 लघु उद्योग			
	05 डी.आई.सी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,14.50	1,14.50	1,07.50 -7.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	103 सरकारी मुद्रणालय				
	03 सरकारी मुद्रणालय में मशीनें तथा उपकरणों एवं सयंत्रों का क्रय				
	मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण शासन स्तर से स्वीकृति का प्राप्त न होना सूचित किया गया।

(2)	4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	102 लघु उद्योग				
	07 टूल रूम की स्थापना				
	मूल	1.00	1.00	0.00	-1.00

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	4859 दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
	02 इलेक्ट्रॉनिक्स				
	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	11,20.00	11,20.00	0.00	-11,20.00

उपरोक्त क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2041	वाहन कर
3053	नागर विमानन
3055	सड़क परिवहन

दत्तमत—

मूल	21,08,80		18,62,26	-2,51,18
पूरक	4,64	21,13,44		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				1,29,81

पूँजीगत :

5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
7053	नागर विमानन के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	32,90,05		67,61,24	-8,11,57
पूरक	42,82,76	75,72,81		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				6,29,23

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 2,51.18 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,29.81 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 2,51.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 4.64 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	3053 नागर विमानन			
	02 विमान पतन			
	102 हवाई अड्डा (100% के०स०)			
	03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण			
	मूल	5.00		
			2.72	2.72
	पुनर्वि०	-2.28		0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों के लिए अनुदान मूल	20.00	13.67	0.00
	पुनर्वि०	-6.33		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.33 लाख के अभ्यर्पण हवाई पट्टी के रख-रखाव में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	80 सामान्य 003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03 नागरिक उड्डयन मूल	5,76.63	5,25.45	+1.29
	पुनर्वि०	-51.18		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 57,923 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 51.18 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, मानदेय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, रख-रखाव एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	3055 सड़क परिवहन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान मूल	13,83.92	13,83.92	-92.57
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 14,286 एवं ₹ 4,60,673 भी सम्मिलित है।			
(5)	07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन मूल	6.87	11.51	-4.27
	पूरक	4.64		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4.64 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् संबन्धी अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	उपरोक्त क्रम सं० (3) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (4) एवं (5) के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			
(iv)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	3053 नागर विमानन 02 विमान पतन 102 हवाई अड्डा			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	05 हवाई यातायात के लिए अनुदान			
	मूल	60.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-60.00		
(2)	06 भूमि प्रतिकर का भुगतान			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.00		

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	3055 सड़क परिवहन			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	05 स्मार्ट कार्ड योजना			
	मूल	3.00	3.00	0.00
				-3.00

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत :

दत्तमत-

- (v) ₹ 8,11.57 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 6,29.23 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (vi) ₹ 8,11.57 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 42,82.76 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 विमान पत्तन			
	800 अन्य व्यय			
	08 देहरादून में हेलिपैड एवं हेगर का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			61.20	61.20
	पुनर्वि०	-38.80		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 38.80 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।

(2)	99 नैनीताल हवाई पट्टी का विस्तारीकरण			
	मूल	5,00.00		
			1,00.00	1,00.00
	पुनर्वि०	-4,00.00		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,00.00 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान			
	पूरक	2,50.00	2,50.00	1,79.09
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,50.00 लाख के प्रावधान उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु किए गए।			-70.91
	उपरोक्त क्रम सं० (3) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			
	(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02 विमान पत्तन			
	800 अन्य व्यय			
	03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान			
	मूल	90.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-90.00		0.00
(2)	11 व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	050 भूमि तथा भवन			
	07 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन्स की स्थापना			
	मूल	50.00		
			11.40	0.00
	पुनर्वि०	-38.60		-11.40
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00
(5)	09 चालक प्रशिक्षण हेतु समलेटर का क्रय मूल	1,00.00		
			1,00.00	0.00
				-1,00.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखोंशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	050 भूमि तथा भवन			
	03 परिवहन आयुक्त/जनदीय कार्यालय के अनावासीय भवन भूमि कय मूल	1,00.00		
			1,13.45	1,13.45
	पुनर्वि०	13.45		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 13.45 लाख की वृद्धि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर हेतु भूमि/भवन के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	04 देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	1,00.00		
			1,75.15	1,75.15
	पुनर्वि०	75.15		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 75.15 लाख की वृद्धि चालक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण			
3456 सिविल पूर्ति			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			

दत्तमत—

मूल	28,97,83			
		31,11,83	23,84,77	-7,27,06
पूरक	2,14,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				5,97,46

पूँजीगत :

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय				
---	--	--	--	--

दत्तमत—

मूल	1,50,01			
		2,95,01	12,10,09,37	+12,07,14,36
पूरक	1,45,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 7,27.06 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5,97.46 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 7,27.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 2,14.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण			
	01 खाद्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)			
	मूल	22,74.91		
	पूरक	2,13.50	20,21.26	-11.16
	पुनर्वि०	-4,67.15		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,907 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,13.50 लाख की वृद्धि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,67.15 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	3456 सिविल पूर्ति 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय मूल	2,46.82		
		2,47.32	2,02.05	-45.27
	पूरक	0.50		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 19,626 एवं ₹ 6,979 भी सम्मिलित है।

(3)	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 00			
	106 भार और माप का विनियमन			
	03 अधिष्ठान व्यय मूल	1,89.07		
		1,58.76	1,58.85	+0.09
	पुनर्वि०	-30.31		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,115 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 30.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण 01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन मूल	1,00.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		
(2)	3456 सिविल पूर्ति 00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	80.00	80.00	-80.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	3456 सिविल पूर्ति 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	7.03	7.03	13.77
				+6.74

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) दत्तमत अनुदान में ₹ 12,07,14.36 लाख के आधिक्य हुए। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 12,28,94.53 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तो ₹ 21,80.17 लाख की बचत प्राप्त होगी।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय				
	01 खाद्य				
	101 खरीद और पूर्ति				
	03 अन्न पूर्ति योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	8,19,18.36	+8,19,18.36
	पुनर्वि०	0.00			

(2)	800 अन्य व्यय				
	03 खाण्डसारी शक्कर योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	1,37,36.62	+1,37,36.62
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,46,277 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 12,28,94.53 लाख की वसूली प्राप्त हुई।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय				
01	खाद्य				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
800	अन्य व्यय			
05	गोदामों का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			1,45.00	99.29
	पूरक	45.00		-45.71

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 45.00 लाख की वृद्धि गोदामों के निर्माण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूजीगत परिव्यय

01 खाद्य

800 अन्य व्यय

04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण

मूल

50.00

50.00

0.00

-50.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)	
राजस्व:				
3452 पर्यटन				
दत्तमत—				
मूल	19,59,45			
		25,79,45	22,87,67	
पूरक	6,20,00		-2,91,78	
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00	
प्रभारित—				
मूल	2			
		2	0	
पूरक	00		-2	
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00	
पूंजीगत :				
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत—				
मूल	65,44,31			
		85,44,31	55,59,95	
पूरक	20,00,00		-29,84,36	
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00	
टिप्पणियां एवं टीकार्यें				
राजस्व :				
दत्तमत—				
(i)	₹ 2,91.78 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			
(ii)	₹ 2,91.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 6,20.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।			
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:			
क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	3452 पर्यटन 80 सामान्य			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 उत्तराखण्ड राज्य सरकार पर्यटन विकास परिषद्			
	मूल	7,16.00		
			10,36.00	9,90.03
	पूरक	3,20.00		-45.97
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,39,000 एवं ₹ 789 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,20.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद् को सहायक अनुदान देने हेतु की गई।			
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
	मूल	1,31.40	1,31.40	77.06
				-54.34
(3)	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	2,77.40	2,77.40	2,18.29
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,693 भी सम्मिलित है।			-59.11
(4)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	3,27.82	3,27.82	1,86.36
				-1,41.46

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

3452 पर्यटन				
80 सामान्य				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
04 यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान				
मूल	6.81	6.81	15.93	+9.12
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,00,000 भी सम्मिलित है।				

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग हेतु प्राविधानित ₹ 0.02 लाख वर्षपर्यन्त अप्रयुक्त रहे।

पूजीगत :

दत्तमत—

- (vi) ₹ 29,84.36 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 29,84.36 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 20,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	23,00.03	23,00.03	22,00.03	-1,00.00
(2)	04 राज्य सेक्टर मूल	3,71.67			
	पूरक	20,00.00	23,71.67	22,79.08	-92.59

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकता के कारण की गई—

- चालू निर्माण कार्य के अन्तर्गत कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं लेखन सामाग्री का क्रय
- पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य
- चारधाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास
- ट्रेकिंग मार्गों का सुधार एवं विकास

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 97 बाह्य सहायतित परियोजना मूल	28,00.00	28,00.00	0.00	-28,00.00
--	----------	----------	------	-----------

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(x) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 91 जिला योजना मूल	10,72.61	10,72.61	10,80.84	+8.23
--	----------	----------	----------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,00,000 भी सम्मिलित है।

अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2406	वानिकी तथा वन्य जीवन
2407	बागान
2415	जल पूर्ति तथा सफाई

दत्तमत—

मूल	2,92,21,69		2,85,41,11	-30,75,50
पूरक	23,94,92	3,16,16,61		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में 1,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	12,00,02		16,47,17	-1,52,85
पूरक	6,00,00	18,00,02		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 30,75.50 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 30,75.50 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 23,94.92 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी			

क्रम सं०	लेखांशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति			
	पूरक	6.90	6.90	4.65
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6.90 लाख कर प्रावधान वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			-2.25
(2)	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
	04 बन बन्दोबस्त			
	मूल	5.00	3.00	2.79
	पुनर्वि०	-2.00		-0.21
	प्रावधान में दिनांक 09-03-2011 को ₹ 2.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(3)	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
	04 बांस प्रजातियां का रोपण			
	मूल	2,00.01	2,00.01	1,50.01
				-50.00
(4)	105 वन उत्पाद			
	03 इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज			
	मूल	50.00	40.00	38.86
	पुनर्वि०	-10.00		-1.14
	प्रावधान में दिनांक 09-03-2011 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(5)	04 लीसा			
	मूल	28,38.01	24,78.01	24,71.98
	पुनर्वि०	-3,60.00		-6.03
	प्रावधान में दिनांक 09-03-2011 को ₹ 3,60.00 लाख की कमी मशीन, उपकरण एवं सयन्त्र, रख-रखाव एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(6)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	33,87.64	57,65.66	26,00.29
	पूरक	23,78.02		-31,65.37
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 15,68,015 एवं ₹ 1,21,530 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 23,78.02 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं के अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—			
	➤ 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण			
	➤ रेस्टोरेशन एण्ड रिजनरेशन ऑफ फारेस्ट कवर			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	03 वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर) मूल	1,77.76	1,77.76	1,62.99	-14.77
(8)	09 जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति मूल	2,00.01	2,00.01	1,93.43	-6.58
(9)	11 टीएचडीसी सहायतित योजना मूल	3,62.06	3,62.06	1,68.07	-1,93.99
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,176 भी सम्मिलित है।					
(10)	12 रिसर्च एवं टेक्नोलाजी डेवलपमेन्ट (राज्य सेक्टर) मूल	2,04.36	2,04.36	1,56.81	-47.55
(11)	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार मूल	15.00	15.00	2.65	-12.35
(12)	16 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन मूल	25.00	25.00	12.50	-12.50
(13)	17 इको टूरिज्म मूल	2,14.26	2,14.26	1,96.85	-17.41
(14)	25 जीवों के वास स्थलों का विकास मूल	2,10.00	2,10.00	2,03.49	-6.51
(15)	31 वन अग्नि नियंत्रण हेतु जीआईएस युनिट का गठन मूल	21.50	21.50	11.68	-9.82
(16)	41 वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य मूल	55.00	55.00	38.43	-16.57
(17)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	15,61.06	15,71.06	9,86.94	-5,84.12
	पूरक	10.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 45,987 एवं ₹ 11,950 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि प्रोजेक्ट टाईगर स्कीम (100% के०स०) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त बचत को अभ्यर्पित नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 सामान्य अधिष्ठान मूल	1,73,19.60			
	पुनर्वि०	4,00.50	1,77,20.10	1,87,30.96	+10,10.86

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 10,16,699, ₹ 26,508, ₹ 3,03,765 एवं ₹ 90,89,991 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 4,00.50 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों तथा मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 03 वन्य जीवन संरक्षण मूल	9.00			
	पुनर्वि०	-1.00	8.00	17.63	+9.63

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 19,078 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 1.00 लाख की कमी मशीन/औजार एवं उपकरणों तथा रख-रखाव में हुई बचतों के कारण की गई।

(3)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण 03 जंगली जीव परिषद को सहायता मूल	0.06	0.06	50.39	+50.33
-----	---	------	------	-------	--------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 39,001 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) दृष्टांत जहां व्यय आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 10 पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सुधान योजना मूल	0.11	0.11	0.08	-0.03
-----	---	------	------	------	-------

वास्तविक व्यय वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 7,670 के कारण है।

(2)	2407 बागान 60 अन्य				
-----	-----------------------	--	--	--	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	800 अन्य व्यय			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.93
	पुनर्वि०	0.00		+0.93
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 59,797, ₹ 300 एवं ₹ 33,348 के कारण है।			
(3)	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
	06 वानिकी			
	004 अनुसंधान			
	03 वनों से संबन्धित शोध कार्य एवं प्रकाशन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.58
	पुनर्वि०	0.00		+1.58
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 88,896, ₹ 17,220 एवं ₹ 51,394 के कारण है।			
पूँजीगत :				
दत्तमत-				
	(vi)	₹ 1,52.85 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।		
	(vii)	₹ 1,52.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 6,00.00 लाख अधिक सिद्ध हुए।		
	(viii)	बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:		
(4)	4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण और विकास			
	03 वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण			
	मूल	3,50.00	3,50.00	2,73.00
				-77.00
(5)	04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	3,00.02	3,00.02	2,59.67
				-40.35
(6)	06 इको टूरीजम			
	मूल	1,50.00	1,50.00	1,46.00
				-4.00
(7)	07 इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य			
	मूल	4,00.00	4,00.00	3,68.50
				-31.50

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2403 पशु पालन
2404 डेरी विकास
2405 मछली पालन

दत्तमत—

मूल	98,63,03		
		1,14,40,88	98,88,37
पूरक	15,77,85		-15,52,51
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			5,49,74

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 20,39 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4403 पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय
4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	9,47,37		
		11,06,67	8,13,82
पूरक	1,59,30		-2,92,85
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			78,23

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 15,52.51 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5,49.74 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 15,52.51 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 15,77.85 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
-------------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 2403 पशु पालन
00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय			
	मूल	62,48.63		
			65,48.63	-2,36.42
	पूरक	3,00.00	63,12.21	
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 13,726, ₹ 8,47,963 एवं ₹ 2,59,127 भी सम्मिलित है।			
(2)	04 पशु कल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सेक्टर योजना)			
	मूल	17.02		
			50.60	-20.02
	पूरक	33.58	30.58	
(3)	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,80.94		
			2,40.94	-91.37
	पूरक	60.00	1,49.57	
(4)	09 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	1,00.00		
			1,00.00	-7.18
(5)	91 जिला योजना			
	मूल	2,71.28		
			4,06.60	-7.86
	पूरक	1,35.32	3,98.74	
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,700, ₹ 1,23,422 एवं ₹ 5,770 भी सम्मिलित है।			
(6)	104 भेड़ तथा ऊन विकास			
	03 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड			
	मूल	12.61		
			17.01	-1.46
	पूरक	4.40	15.55	
(7)	106 अन्य पशुधन विकास			
	03 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र			
	मूल	3,35.15		
			3,35.15	-41.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 10,145 एवं ₹ 1,964 भी सम्मिलित है।			
(8)	107 चारा और चारागाह विकास			
	04 चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना			
	मूल	2,50.00		
			2,50.00	-3.00
	पूरक		2,47.00	

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(9)	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	83.81	83.81	54.09	-29.72
(10)	2404 डेरी विकास 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान मूल	3,33.41			
	पूरक	1,30.22	4,49.53	4,50.41	+0.88
	पुनर्वि०	-14.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 89,238 भी सम्मिलित है।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.10 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।				
(11)	102 डेरी विकास परियोजनाएं 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,18.48			
	पूरक	3,18.48	3,18.48	3,18.48	0.00
	पुनर्वि०	-3,18.48			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,18.48 लाख के अभ्यर्पण केन्द्राश के प्राप्त न हो पाने के कारण किए गए।				
(12)	91 जिला योजना मूल	34.06			
	पुनर्वि०	-18.55	15.51	15.51	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 18.55 लाख के अभ्यर्पण केन्द्राश के प्राप्त न हो पाने के कारण किए गए।				
(13)	191 सहकारी समितियां तथा अन्य निकायों को सहायता 91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना) मूल	2,50.00			
	पुनर्वि०	-1.03	2,48.97	2,48.97	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.03 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।				
(14)	2405 मछली पालन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 अधिष्ठान			
	मूल	3,40.71		
	पूरक	79.00	3,95.04	3,95.83
	पुनर्वि०	-24.67		+0.79

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 86,413 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 79.00 लाख की वृद्धि मत्स्य विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 24.67 लाख के अधिष्ठान व्ययों में बचत के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।

(15)	101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75% के०स०)				
	मूल	85.60			
	पूरक	42.65	42.65	42.65	0.00
	पुनर्वि०	-85.60			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 42.65 लाख की वृद्धि एकीकृत मत्स्य पालन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 85.60 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के अवमुक्त न हो पाने के कारण की गई।

(16)	91 जिला योजना				
	मूल	51.40			
			43.42	43.42	0.00
	पुनर्वि०	-7.98			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.98 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के कम प्राप्त होने के कारण किए गए।

(17)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	14.00			
			5.96	5.95	-0.01
	पुनर्वि०	-8.04			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.04 लाख के अभ्यर्पण पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण किए गए।

(18)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	22.50			
			1.21	1.21	0.00
	पुनर्वि०	-21.29			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 21.29 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-

- केन्द्रांश का विलम्ब से प्राप्त होना
- कार्य के विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण निधि का वित्तीय वर्ष में उपयोग न हो सका

उपरोक्त कम सं० (1) से (10) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

कम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2403 पशु पालन 00			
	102 पशु तथा भैंस विकास			
	04 उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवेलपमेन्ट बोर्ड का संचालन			
	मूल	2.70	2.70	0.00
				-2.70
(2)	106 अन्य पशुधन विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	4,00.00		
			5,62.99	0.00
	पूरक	1,62.99		-5,62.99
(3)	2404 डेरी विकास			
	00			
	102 डेरी विकास परियोजनाएं			
	08 सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त कम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

निधि की आवश्यकता होने के कारण अनुदान के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किए गए। अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए जाने के निम्न कारण रहे-

मुख्य लेखाशीर्ष-2403 'पशु पालन'

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,73.44 लाख के प्रावधान पशु पालन विभाग की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए-

- पशु पालन निदेशालय का निदेशन तथा प्रशासन
- पशु कल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सेक्टर योजना)
- पशु रोगों पर नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता (75% के०स०)
- पशु चिकित्सालयों पर शल्यचिकित्सा आदि की सुविधा
- पशु चिकित्सा हेतु दवाईयां वैक्सीन इत्यादि का क्रय एवं शिविरों का आयोजन।
- पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना
- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्माल रूमिनेंट एण्ड रेबिट्स (100% के०स०)
- उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधिष्ठान व्यय
- भेड़ों को परजीवी किटाणुओं से बचाव

- बकरा सांडों का निःशुल्क वितरण
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को अनुदान (100% के0स0)
- चारा घास एवं चारा घास रिजर्व योजना (100% के0स0)
- प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास (जिला योजना)

मुख्य लेखाशीर्ष-2404 'डेरी विकास'

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,82.76 लाख का प्रावधान डेरी विकास की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए-

- डेरी विकास विभाग के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% के0स0)
- महिला डेरी विकास की परियोजनाएं
- मिल्क प्रोक्यूरमेंट एवं दुग्ध समितियों का गठन।

पूँजीगत :

दत्तमत-

- (v) ₹ 2,92.85 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 78.23 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (vi) ₹ 2,92.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,59.30 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) बचत निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय 00			
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	10 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण			
	मूल	4,00.00	4,00.00	1,85.51
				-2,14.49
(2)	4405 मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय 00			
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	37.36		
			5.13	5.12
				-0.01
	पुनर्वि०	-32.23		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 32.23 लाख के अभ्यर्पण पात्र अभ्यर्थियों/आवेदकों के न मिलने के कारण किए गए।			
(3)	91 मत्स्य पालन (जिला योजना)			
	मूल	60.00		
			14.00	14.00
				0.00
	पुनर्वि०	-46.00		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 46.00 लाख के अभ्यर्पण जिला स्तर पर निधि के उपयोग न हो पाने के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2401 फसल कृषि कर्म			
दत्तमत—			
मूल	82,11,42		
		88,29,94	-1,61,32
पूरक	6,18,52		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			31,99
प्रभारित—			
मूल	39,44		
		39,44	-6,93
पूरक	00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8,28,43 हजार नहीं लिए गए है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूँजीगत:

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—			
मूल	00		
		00	+2,99,69
पूरक	00		

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,61.32 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 31.99 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,61.32 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 6,18.52 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,10.01		
	पूरक	4,43.60		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 28,725 भी सम्मिलित है।	7,53.61	5,98.88	-1,54.73
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,43.60 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% के०स०) हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास			
	मूल	6,71.56		
	पूरक	69.67	7,09.24	7,08.02
	पुनर्वि०	-31.99		-1.22
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 69.67 लाख की वृद्धि रेशम के सुदृढीकरण, उत्पादन, प्रचार प्रसार हेतु निम्न योजनाओं के लिए की गई—			
	➤ रेशम के विकास हेतु सहकारी समितियों को अनुदान।			
	➤ चाकी भवनों का निर्माण एवं इनका पुनरोद्धार।			
	➤ जैविक रेशम विकास।			
	➤ वृक्षारोपण विकास योजना।			
	➤ रेशम प्रशिक्षण योजना।			
	➤ उत्तराखण्ड सरकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढीकरण।			
	➤ रेशम उत्पादन एवं इसका प्रचार प्रसार।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 31.99 लाख के अभ्यर्षण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(3)	10 मधु मक्खी पालन की योजना			
	मूल	10.51	10.51	7.00
(4)	12 उत्तराखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संगोष्ठी			
	मूल	14.74	14.74	6.20
(5)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना			
	मूल	21.54	21.54	19.79
(6)	14 पुराने उद्यानों की घेरबाड़			
	मूल	70.00	70.00	50.27
(7)	15 मेहल एवं अन्य फलों (आंवला, आम) के ढांचा रोपण की योजना			
	मूल	4.00	4.00	2.50
				-1.50

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(8)	17 भेषज कृषि विकास मूल	1,15.00	1,15.00	40.15	-74.85

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00 119 बागवानी और सब्जियों की फसलें 08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
-----	---	-------	-------	------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00 119 बागवानी और सब्जियों की फसलें 03 औद्योगिक विकास मूल	59,73.06	60,78.31	61,24.00	+45.69
	पूरक	1,05.25			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के क्रमशः ₹ 17,066 तथा ₹ 2,227 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,05.25 लाख की वृद्धि निम्न विभागों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—

- त्रिपालीसैण में आलू संग्रहण केन्द्र की स्थापना।
- सहकारी जड़ी-बूटी योजना।
- जरमोला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र।
- बागवानी विकास परिषद् के विभिन्न देयकों का भुगतान।
- आम बीमा योजना।

(2)	06 चाय विकास योजना मूल	2,75.00	2,75.00	3,70.00	+95.00
(3)	91 जिला योजना मूल	2,43.50	2,43.50	2,89.33	+45.83

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

राजस्व :

प्रभारित-

- (vi) ₹ 6.93 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
 (vii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
2401	फसल कृषि कर्म			
	00			
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
03	औद्योगिक विकास			
	मूल	39.44	39.44	32.51
				-6.93

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूंजीगत :

दत्तमत-

- (viii) दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत ₹ 2,99.69 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 32.85 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 2,66.84 लाख के आधिक्य रहेंगे।
 (ix) आधिक्य निम्नतः परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
04	रोग रहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2,99.69
	पुनर्वि०	0.00		+2,99.69

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 68,560 भी सम्मिलित है।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2202 सामान्य शिक्षा			
2203 तकनीकी शिक्षा			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401 फसल कृषि कर्म			
2402 मृदा एवं जल संरक्षण			
2403 पशु-पालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
2425 सहकारिता			
2501 ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम			
2801 बिजली			
2810 वैकल्पिक ऊर्जा			
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			

दत्तमत—

मूल	4,48,01,43			
		4,89,20,54	3,93,00,68	-96,19,86
पूरक	41,19,11			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				17,26,75

पूँजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	
4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)
बचत (-)
(हजार ₹ में)

पूँजीगत :

4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय
6425	सहकारिता के लिए कर्ज
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल 2,10,95,07

2,60,59,83

1,42,49,24

-1,18,10,59

पूरक 49,64,76

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)

60,63,47

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 96,19.86 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 17,26.75 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 96,19.86 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 41,19.11 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

कम
सं० लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

(1)	2202 सामान्य शिक्षा
	02 माध्यमिक शिक्षा
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय
	02 अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
	मूल 17,04.53

17,65.21

16,98.33

-66.88

पुनर्वि०

60.68

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 90.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के अवशेषों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 29.32 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के अन्य मदों हेतु मांग प्राप्त न होने तथा महंगाई भत्ते में अधिक प्रावधान होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनोगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	पूरक	15,20.00		
			14,02.79	0.00
	पुनर्वि०	-1,17.21		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,20.00 लाख के प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किए गए।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 90.00 लाख की कमी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 27.21 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(3)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	7,20.00		
			8,33.77	-2,37.63
	पूरक	1,13.77		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,13.77 लाख की वृद्धि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान हेतु की गई।			
(4)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण			
	पूरक	50.00	50.00	-7.20
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख का प्रावधान प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।			
(5)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	112 इंजी०/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	03 पन्त कालेज ऑफ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	1,48.00		
			1,00.00	0.00
	पुनर्वि०	-48.00		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 48.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(6)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	35.00		
	पूरक	20.00	7.19	-0.01
	पुनर्वि०	-47.81		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति			

के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेशभूषा के क्रय हेतु की गई।
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 47.81 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—

- अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की लोक कलाओं को जीवित रखने एवं इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रथम चरण में 6 स्थानों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति समय के अन्दर प्राप्त न होने के कारण।
- निधि के अवमुक्त न होने के कारण।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	2211 परिवार कल्याण 00 101 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	4,25.61	4,25.61	3,89.25	-36.36
(8)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति 101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 05 नगरीय पेयजल मूल	4,80.00	4,80.00	50.21	-4,29.79
(9)	102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	13,00.00	13,00.00	11,98.55	-1,01.45
(10)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता 03 नगरों का समेकित विकास मूल	2,72.15	2,72.15	3.77	-2,68.38
(11)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	21,10.32	21,10.32	5,86.25	-15,24.07
(12)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	42,99.10	42,99.10	3,68.80	-39,30.30
(13)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रशासन 06 राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50% के० पो०) मूल	20.00	20.00	11.38	-8.62
(14)	07 एस.सी.पी./टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	55.44	55.44	44.90	-10.54

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(15)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान मूल	37.04	41.20	38.23	-2.97
	पूरक	4.16			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,754 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4.16 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(16)	102 आर्थिक विकास 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का अधिष्ठान मूल	8.19	8.19	6.55	-1.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 32,466 भी सम्मिलित है।				
(17)	277 शिक्षा 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन मूल	1,39.83	1,39.83	1,17.80	-22.03
(18)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन मूल	2,76.70	2,64.80	1,91.73	-73.07
	पुनर्वि०	-11.90			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 11.90 लाख की कमी किराया, शुल्क एवं कर, भोजन व्यय तथा अवकाश यात्रा खर्च में हुई बचत के कारण की गई।				
(19)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना मूल	30.00	12.69	10.89	-1.80
	पुनर्वि०	-17.31			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-03-2011 को ₹ 17.31 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।				
(20)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवास मूल	92.38	1,12.30	83.36	-28.94
	पूरक	19.92			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 19.92 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति छात्रवासों के भोजन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(21)	13 अनुसूचित जातियों की बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना मूल	10,00.00	7,33.65	7,26.00	-7.65
	पुनर्वि०	-2,66.35			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-03-2011 को ₹ 2,50.00 लाख, दिनांक 25-03-2011 को ₹ 6.00 लाख तथा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 10.35 लाख की कमी अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना में निधि की बचत के कारण की गई।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(22)	16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औ०प्र०संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मूल	40,00.00	40,00.00	38,12.26	-1,87.74
(23)	91 जिला योजना मूल	2,26.25	2,71.81	2,05.89	-65.92
	पुनर्वि०	45.56			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 11.90 लाख, दिनांक 25-03-2011 को ₹ 23.31 लाख तथा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 10.35 लाख की वृद्धि पुस्तकालयों/छात्रावासों के सुधार एवं विस्तार हेतु निम्न संस्थाओं को सहायक अनुदान देने हेतु की गई—				
	➤ नेहरू जूनियर हाईस्कूल एवं शिल्पकला विद्यालय रुड़की।				
	➤ डा० भीमराव अंबेडकर समाजोत्थान संस्थान, बेरीनाग, पितौरागढ़।				
	➤ मानव सेवा समिति गढ़ीनेगी, उधमसिंह नगर।				
(24)	800 अन्य व्यय				
	08 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1956 का क्रियान्वयन मूल	45.00	45.00	12.06	-32.94
(25)	91 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) मूल	4,07.10	4,07.10	3,61.76	-45.34
(26)	2230 श्रम तथा रोजगार				
	02 रोजगार सेवायें				
	800 अन्य व्यय				
	02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	35.02	35.02	28.53	-6.49
(27)	03 प्रशिक्षण				
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
	02 अनुसूचित जातियों का कल्याण मूल	1,03.03	1,03.03	1,01.50	-1.53
(28)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
	02 समाज कल्याण				
	102 बाल कल्याण				
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	13,00.50	13,00.50	6,81.99	-6,18.51
(29)	103 महिला कल्याण				
	91 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति की पुरस्कार मूल	1.21	1.21	0.21	-1.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(30)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम			
	102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	18,25.00		
			30,20.00	30,11.46
	पूरक	11,95.00		-8.54
(31)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16,50.00	16,50.00	16,41.50
				-8.50
(32)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	102 खाद्यानों की फसलें			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	3,57.40		
			4,01.61	2,95.94
	पुनर्वि०	44.21		-1,05.67
(33)	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	4,21.73		
	पूरक	18.00	4,39.67	3,14.86
	पुनर्वि०	-0.06		-1,24.81
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 18.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, हरिद्वार के अन्तर्गत रेशम के विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(34)	2402 मृदा एवं जल संरक्षण			
	00			
	102 मृदा संरक्षण			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	1,08.19		
			79.52	78.33
	पुनर्वि०	-28.67		-1.19
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 28.67 लाख के अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(35)	2404 डेरी विकास			
	00			
	102 डेरी विकास परियोजनाएं			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	1,07.00		
			1,05.81	1,05.81
	पुनर्वि०	-1.19		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.19 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(36)	2405 मछली पालन 00 101 अन्तर्देशीय मछली पालन 03 मत्स्यपालन संबंधी कार्यक्रम मूल 75.00 पुनर्वि० -7.91	67.09	67.37	+0.28
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.91 लाख के अभ्यर्पण का कारण लाभ प्राप्त कर्ताओं से आवेदन/मांग प्राप्त न होना सूचित किया गया।				
(37)	2425 सहकारिता 00 800 अन्य व्यय 07 अटल आवास ग्राम योजना को वित्तीय सहायता मूल 22.00 पुनर्वि० -95.50	22.00	17.89	-4.11
(38)	2501 ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 15,65.66 पुनर्वि० -95.50	14,70.16	14,70.16	0.00
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 95.50 लाख के अभ्यर्पण का कारण केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश में बचत का होना सूचित किया गया।				
(39)	2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00 101 पंचायती राज 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 4,51.25 पूरक 90.25 पुनर्वि० -9.97	5,31.53	5,31.54	+0.01
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 90.25 लाख की वृद्धि विकास खण्ड के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.97 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।				
(40)	102 सामुदायिक विकास 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 41,33.00 पूरक 1,75.91 पुनर्वि० -6,51.31	36,57.60	36,57.60	0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,75.91 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं को सहायक अनुदान एवं उपादान देने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—

- ग्रामीण आवास योजना हेतु राज्य ऋण/अनुदान
- उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना
- दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना
- मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6,51.31 लाख के अभ्यर्पण निधि के प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(41)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु, उद्योग 00			
	105 खादी ग्रामोद्योग			
	02 जिला योजनाओं के अन्तर्गत अनुसू० जातियों/जनजातियों का कम्पोनेन्ट प्लान मूल	25.54		
		31.18	30.02	-1.16
	पूरक	5.64		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.64 लाख की वृद्धि व्यक्तिगत उद्यमियों को सहायक अनुदान देने हेतु की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 03 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना पूरक	19.75	19.75	0.00	-19.75
(2)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	14.06	14.06	0.00	-14.06
(3)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 17 अनु०जाति के युवक-युवतियों हेतु शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना पूरक	50.00	50.00	0.00	-50.00
(4)	800 अन्य व्यय 06 अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00

वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00 101 पंचायती राज 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल पुनर्वि०	8,23.50	0.00	0.00	0.00
		-8,23.50			
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	3054 सड़क तथा सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़कें 105 रख-रखाव तथा मरम्मत 03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षण) मूल	1,90.00	1,90.00	0.00	-1,90.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
	(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:				
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मूल	1,00.00	1,00.00	1,09.13	+9.13
(2)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,12.20	5,12.20	8,75.11	+3,62.91
(3)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल पूरक पुनर्वि०	25,48.00 5,00.00 2,50.00	32,98.00	32,90.52	-7.48

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति के कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-03-2011 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति के कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए—

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
102	होम्योपैथी			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.45
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2006-07 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 44,873 के फलस्वरूप है।

पूजीगत :
दत्तमत—

- (vii) ₹ 1,18,10.59 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 60,63.47 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 1,18,10.59 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 49,64.76 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय				
	01 सामान्य शिक्षा				
	201 प्रारम्भिक शिक्षा				
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
	पूरक	1,00.00			
			95.65	95.65	0.00
	पुनर्वि०	-4.35			

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.33 लाख के अभ्यर्पण प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।

(2)	202 माध्यमिक शिक्षा				
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
	मूल	2,50.00			
	पूरक	12,50.00	13,82.36	13,82.36	0.00
	पुनर्वि०	-1,17.64			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 12,50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,17.64 लाख के अभ्यर्पण अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के भवनों के निर्माण/नवीनीकरण में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	91 जिला योजना				
	पूरक	4,57.75	4,57.75	4,52.24	-5.51
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,57.75 लाख का प्रावधान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण किया गया—				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रा०उ०मा०बा०वि० में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण ➤ रा०उ०मा०बा०वि०/इण्टर कालेजों के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था ➤ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का भवन विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि भवन कय ➤ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण। 				
(4)	02 तकनीकी शिक्षा				
	104 बहुशिल्प				
	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण				
	मूल	50.00			
	पूरक	2,00.00	7.26	7.26	0.00
	पुनर्वि०	-2,42.74			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं (बालक/बालिका) के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,42.74 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए।				
(5)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण				
	मूल	2,50.00			
			13.78	13.78	0.00
	पुनर्वि०	-2,36.22			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,36.22 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।				
(6)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-प्राश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
	91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)				
	मूल	1,21.13			
			1,22.63	93.63	-29.00
	पूरक	1.50			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	800 अन्य व्यय				
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान				
	मूल	30.00			
			56.72	20.90	-35.82
	पूरक	26.72			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,90,000 भी सम्मिलित है।				

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 26.72 लाख की वृद्धि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण योजना			
	91 उप कन्द्रों के भवनों का निर्माण			
	मूल	9.00		
			1,13.18	1,07.75
	पूरक	1,04.18		-5.43
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,04.18 लाख की वृद्धि ग्रामीण परिवार कल्याण योजना के उप केन्द्रों हेतु भवनों के निर्माण के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(9)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा			
	02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50% के०स०) (चालु कार्य)			
	मूल	50.00	50.00	29.40
				-20.60
(10)	04 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय			
	मूल	50.00	50.00	6.41
				-43.59
(11)	4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,09.23	1,09.23	1,02.61
				-6.62
(12)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	91 जिला योजना			
	मूल	4,00.00		
			1,62.20	1,62.20
	पुनर्वि०	-2,37.80		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,37.80 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश में बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(13)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अ०सू०जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 25.00 पूरक 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00	25.00 25.00	44.69	+19.69
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अ०सू०जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p> <p>दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,00.00 लाख के अभ्यर्षण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।</p>				
(14)	91 अ०सू०जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,56.81	1,56.81	1,45.12	-11.69
(15)	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,50.00 पुनर्वि० -90.00	60.00	85.40	+25.40
<p>दिनांक 31-03-2011 को ₹ 90.00 लाख के अभ्यर्षण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।</p>				
(16)	91 अनुसूचित जातियों के लिए नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) मूल 3,12.08 पूरक 2,40.71	5,52.79	5,31.35	-21.44
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,40.71 लाख की वृद्धि अनुसूचित जातियों के लिए नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(17)	07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 91 अनुसूचित जातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार मूल 66.23 पूरक 13.50	79.73	77.87	-1.86
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 13.50 लाख की वृद्धि अनुसूचित जातियों के लिए लघु डाल नहरों के निर्माण (जिला योजना) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(18)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 45,00.00	45,00.00	12,17.16	-32,82.84

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(19)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	50.00	50.00	42.18	-7.82
(20)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	50.00			
	पूरक	4,50.00	1,79.98	1,79.99	+0.01
	पुनर्वि०	-3,20.02			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,50.00 लाख की वृद्धि अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,20.02 लाख के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(21)	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्राचार 04 पर्यटन विकास की नई योजनाएं (राज्य सेक्टर) पूरक	4,71.30	4,71.30	30.00	-4,41.30
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,71.30 लाख के प्रावधान पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(22)	91 जिला योजना (चालू/नई योजनायें) पूरक	1,60.00	1,60.00	1,47.66	-12.34
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,60.00 लाख के प्रावधान पर्यटन विकास की नई योजनाओं (जिला योजना) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(23)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 वाह्य सहायतित योजना मूल	10,08.00	10,08.00	1,45.80	-8,62.20
(24)	05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 91 जिला योजना मूल	6,30.00			
	पुनर्वि०	-1,88.82	4,41.18	3,46.03	-95.15
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,88.82 लाख के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 03 इंडोर हॉल व हास्टल का निर्माण मूल 25.00 पुनर्वि० -25.00	0.00	0.00	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा प्राकलन तैयार नहीं किए जाने के कारण किए गए।			
(2)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल 10,00.00	10,00.00	0.00	-10,00.00
(4)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 अनुसूचित जाति के निगम को स्वरोजगार हेतु अंश पूजी मूल 51.00	51.00	0.00	-51.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(5)	277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(6)	4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 03 आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण मूल 20.00	20.00	0.00	-20.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 पारेषण एवं वितरण 097 बाह्य सहायतित			
	01 ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश मूल	9,72.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-9,72.00		
(8)	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 03 पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी मूल	4,50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-4,50.00		
(9)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 03 चालक परीक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण पूरक	39.60	39.60	0.00
				-39.60
(10)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 03 उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन को ऋण मूल	8,10.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-8,10.00		
(11)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	22,68.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-22,68.00		

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने (क्रम सं० 1 को छोड़कर) के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

- (1) 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	800 अन्य व्यय			
	91 जिला योजना			
	मूल	10.00		
			69.50	95.22
	पूरक	59.50		+25.72
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 59.50 लाख की वृद्धि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	800 अन्य व्यय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	53,00.00		
			64,00.00	66,85.90
	पूरक	11,00.00		+2,85.90
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11,00.00 लाख की वृद्धि चालू निर्माण कार्य एवं मुख्य मंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

(हजार ₹ में)

राजस्व :

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला एवं संस्कृति
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण
2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2217	शहरी विकास
2220	सूचना तथा प्रचार
2225	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230	श्रम तथा रोजगार
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2401	फसल कृषि कर्म
2402	मृदा तथा जल संरक्षण
2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन
2425	सहकारिता
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
2801	बिजली
2810	वैकल्पिक ऊर्जा
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

दत्तमत—

मूल	1,23,69,64			
		1,39,15,53	94,94,88	-44,20,65
पूरक	15,45,89			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)

7,00,91

पूँजीगत :

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4225	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

पूजीगत :

4403	पशुपालन पर पूजीगत परिव्यय		
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय		
6425	सहकारिता के लिए कर्ज		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत—

मूल	73,55,23			
		89,28,25	45,63,60	-43,64,65
पूरक	15,73,02			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				12,17,19

टिप्पणियां एवं टिकाये

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 44,20.65 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 7,00.91 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 44,20.65 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 15,45.89 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	02 माध्यमिक शिक्षा			
	796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
	03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	2,36.16		
	पूरक	51.64	2,86.55	2,81.42
	पुनर्वि०	-1.25		-5.13

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 51.64 लाख की वृद्धि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधिष्ठान हेतु वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,25 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	01 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल	13.80		
		13.79	12.02	-1.77
	पुनर्वि०	-0.01		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण किए जाने का कारण लक्ष्य के अनुसार मानव दिवस सृजित न होना सूचित किया गया।			
(3)	2205 कला एवं संस्कृति 00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	02 जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखीकरण, संरक्षण एवं उन्नयन हेतु योजना मूल	10.00		
	पूरक	10.00	15.70	15.69
	पुनर्वि०	-4.30		-0.01
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.30 लाख के अभ्यर्पण किए जाने का कारण कुछ प्रस्ताव योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार न होने के कारण निधि का उपयोग न होना सूचित किया गया।			
(4)	03 पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेशभूषा का क्रय मूल	10.00		
	पूरक	4.00	9.60	9.59
	पुनर्वि०	-4.40		-0.01
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेशभूषा के क्रय हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.40 लाख के प्रावधानों का अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।			
(5)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	80.00	80.00	60.00
				-20.00
(6)	03 समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल	72.19	72.19	55.11
				-17.08
(7)	05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल	22.25		
		26.19	19.68	-6.51
	पूरक	3.94		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3.94 लाख की वृद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	06 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित) मूल	8.21	8.21	0.31 -7.90
(9)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 05 कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल	10.58	10.58	4.69 -5.89
(10)	06 लोक स्वास्थ्य 101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल	1,20.00	1,20.00	29.92 -90.08
(11)	2211 परिवार कल्याण 00 796 जनजाति उप क्षेत्र योजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधारित योजनाएं मूल	97.37	97.37	89.15 -8.22
(12)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 91 ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम (जिला योजना) मूल	1,75.00	1,75.00	1,04.65 -70.35
(13)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधारित योजना मूल	1,92.80	1,92.80	1,45.85 -46.95
(14)	03 नगरों का समेकित विकास मूल	70.75	70.75	0.63 -70.12
(15)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	1,34.00	1,34.00	97.71 -36.29

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(16)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधारित योजना मूल	8,28.05	8,28.05	61.45	-7,66.60
(17)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रकाशन 03 जनजातीय कल्याण निदेशालय मूल	59.01	59.01	48.12	-10.89
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 24,000 भी सम्मलित है।					
(18)	277 शिक्षा 03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रख-रखाव मूल	73.55	73.80	63.97	-9.83
	पुनर्वि०	0.25			
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-03-2011 को ₹ 0.25 लाख की वृद्धि राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास, गोपेश्वर, चमोली के विद्युत देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई					
(19)	04 अनु०जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव मूल	10,30.55	13,25.98	12,52.62	-73.36
	पूरक	2,95.43			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,95.43 लाख की वृद्धि अनुसूचित जनजातियों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अनुरक्षण के अन्तर्गत वेतन, विद्युत व्यय एवं भोजन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(20)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जिला योजना) मूल	6,30.00	6,30.00	4,98.66	-1,31.34
(21)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	1,91.25	1,91.25	1,67.99	-23.26
(22)	794 जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,08.77	3,08.77	68.60	-2,40.17
(23)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,50.00	1,50.00	19.71	-1,30.29
(24)	800 अन्य व्यय 07 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग मूल	50.00	50.00	7.38	-42.62

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(25)	10 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना मूल 28.20 पुनर्वि० -0.25	27.95	22.14	-5.81
	दिनांक 14-03-2011 को ₹ 0.25 लाख के पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए।			
(26)	15 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन मूल 49.05	49.05	32.90	-16.15
(27)	91 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता मूल 27.22 पूरक 7.02	34.24	32.43	-1.81
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.02 लाख की वृद्धि अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए की गई।			
(28)	2230 श्रम तथा रोजगार योजना 02 रोजगार सेवायें 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 शिक्षण/मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना मूल 42.52	42.52	25.10	-17.42
(29)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केन्द्र पूरक 13.97	13.97	9.29	-4.68
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 13.97 लाख का प्रावधान अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।			
(30)	03 प्रशिक्षण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना मूल 10,00.73	10,00.73	30.86	-9,69.87
(31)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 8,44.47	8,44.47	5,22.55	-3,21.92

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(32)	04 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार मूल	2,65.68	2,65.68	2,11.36	-54.32
(33)	08 वृद्धावस्था/किसान पेंशन मूल	1,75.00	5,20.76	5,17.84	-2.92
	पूरक	3,45.76			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,45.76 लाख की वृद्धि वृद्धावस्था/किसान पेंशन के भुगतान हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(34)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,91.00	1,91.00	1,89.80	-1.20
(35)	2401 फसल कृषि कर्म 00				
	102 खाद्यान्नों की फसलें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	60.57	56.02	56.02	0.00
	पुनर्वि०	-4.55			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.55 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।				
(36)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 23 कृषि रक्षा कार्यक्रम नियन्त्रण की योजना मूल	5.00			
	पूरक	1.35	5.13	5.13	0.00
	पुनर्वि०	-1.22			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.35 लाख की वृद्धि कृषि रक्षा कार्यक्रम नियन्त्रण की योजना हेतु उपादान प्रदान करने के लिए की गई।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.22 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।				
(37)	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 00				
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम मूल	50.00	34.00	34.00	0.00
	पुनर्वि०	-16.00			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.00 लाख के अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(38)	2403 पशु पालन 00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	17 अनुसूचित जनजातियों हेतु (कुंक्कुट पालन/बछियापालन इकाई) योजनाएं			
	मूल	20.93	20.93	18.86
				-2.07
(39)	2425 सहकारिता 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	08 अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता			
	मूल	12.60	12.60	10.79
				-1.81
(40)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोगना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,81.98		
			2,40.08	2,40.07
	पुनर्वि०	-41.90		-0.01
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 41.90 लाख के अभ्यर्पण राज्यांश में बचत के कारण किए गए क्योंकि स्वीकृत केन्द्रांश अवमुक्त नहीं हुआ।			
(41)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	08 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना			
	मूल	10.00		
	पूरक	7.70	5.18	5.18
	पुनर्वि०	-12.52		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.70 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना हेतु उपादान प्रदान करने के लिए की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12.52 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(42)	97 आईफेड बाह्य सहायतित योजना मूल	1,42.50		
			87.93	87.93
	पुनर्वि०	-54.57		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 54.57 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(43)	2851 ग्रामीण तथा लघु उद्योग 00			
	103 हथकरघा उद्योग			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
	03 कार्डिंग/वीभिगं प्लान्टों का सुदृढीकरण मूल	11.50	11.50	9.50	-2.00
(44)	105 खादी ग्रामोद्योग 01 अनुसूचित जनजाति उप योजना मूल	17.31	17.31	15.25	-2.06
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत, जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।					
(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	2,40.00	2,40.00	0.00	-2,40.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,40.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के क्रियान्वयन हेतु किए गए।					
(2)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवार्यें 101 आयुर्वेद 03 आयुर्वेदिक औषधालय एवं रुजालय पूरक	10.73	10.73	0.00	-10.73
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.73 लाख का प्रावधान आयुर्वेदिक औषधालयों एवं रुजालयों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।					
(3)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं 102 होम्योपैथी 91 जिला योजना पूरक	15.00	15.00	0.00	-15.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा सितम्बर 2010 को ₹ 15.00 लाख का प्रावधान राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।					
(4)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 794 जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 03 जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मूल	3,08.77	3,08.77	0.00	-3,08.77
(5)	796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 04 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	-1,50.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(6)	800 अन्य व्यय 19 अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(7)	20 जनजाति सलाहकार परिषद पूरक	22.21	22.21	0.00	-22.21
अनुपूरक अनुदान द्वारा सितम्बर 2010 को ₹ 22.21 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।					
(8)	2401 फसल कृषि कर्म 00 796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 19 जड़ी-बूटी शोध संस्थान को अनुदान मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(9)	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 00 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 जल संभरण योजना मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00			
(10)	2405 मछली पालन 00 796 जन जाति क्षेत्र उप योजना 03 राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिक्स फार्मिंग मूल	30.00	30.00	0.00	-30.00
(11)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मूल	1,83.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,83.00			
(12)	13 निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति मूल	80.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-80.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(13)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा 60 ऊर्जा के अन्य स्रोत 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 ग्रामीण ऊर्जा तकनीकी हेतु उरेडा को सहायता मूल 20.00	20.00	20.00	0.00 -20.00
(14)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00 103 हथकरघा उद्योग 04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद् को सहायता मूल 13.23	13.23	13.23	0.00 -13.23
(15)	3054 सड़क तथा सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़कें 105 रख-रखाव तथा मरम्मत 03 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षण) मूल 40.00	40.00	40.00	0.00 -40.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00 796 जनजातिय क्षेत्र उपयोगना 91 जिला योजना मूल 29.20	29.05	30.82	+1.77
	पुनर्वि० -0.15			
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.15 लाख के अभ्यर्ण का कारण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना सूचित किया गया।				
(2)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 5,00.00	7,83.63	7,90.58	+6.95
	पूरक 2,83.63			

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,83.63 लाख की वृद्धि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (100% के०स०) योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन दिए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखांशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	07 सहायता प्राप्त पुस्कालयों/ छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान मूल	1,80.00	1,80.00	2,71.21	+91.21
(4)	2404 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00				
	796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना				
	04 सघन लघु डेरी योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	6.12	+6.12
	पुनर्वि०	0.00			
(5)	91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना)				
	मूल	11.23			
			5.97	29.48	+23.51
	पुनर्वि०	-5.26			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर होना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूंजीगत :

दत्तमत-

- (vi) ₹ 43,64.65 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 12,17.19 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (vii) ₹ 43,64.65 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 15,73.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना				
	91 जिला योजना				
	मूल	2,06.00			
			2,94.80	2,75.91	-18.89
	पूरक	88.80			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 88.80 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई-

- उपकेन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण
- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों हेतु भवनों का निर्माण
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	4225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 277 शिक्षा 05 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण मूल	4,28.05	4,28.05	26.29	-4,01.76
(3)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण मूल	4,04.34	4,04.34	75.68	-3,28.66
(4)	800 अन्य व्यय 05 निदेशालय जनजाति कल्याण मूल	0.01			
	पूरक	2,44.00	1,94.01	4.14	-1,89.87
	पुनर्वि०	-50.00			
<p>अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,44.00 लाख की वृद्धि निदेशालय जनजाति कल्याण के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 50.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण की गई।</p>					
(5)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीबी का भुगतान मूल	3,20.00			
	पुनर्वि०	-1,09.48	2,10.52	2,10.52	0.00
<p>दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,09.48 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए</p>					
(6)	02 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	40.00			
	पुनर्वि०	-8.48	31.52	31.52	0.00
<p>दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.48 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।</p>					
(7)	91 जिला योजना मूल	90.00			
	पुनर्वि०	-22.72	67.28	67.28	0.00
<p>दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22.72 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।</p>					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	4700 मुख्य सिंचाई 04 नलकूपों का निर्माण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नलकूपों का निर्माण मूल 33.69 पुनर्वि० -6.93	26.76	26.76	0.00
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.93 लाख के अभ्यर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किए गए।				
(9)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 ट्राईबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिकलरों का निर्माण मूल 50.01 पूरक 7,49.99	8,00.00	7,49.94	-50.06
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,49.99 लाख की वृद्धि जनजाति विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिकलरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(10)	03 जनजाति क्षेत्र हेतु गुल, हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण मूल 30.00	30.00	28.43	-1.57
(11)	5054 सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 नए कार्य मूल 50.00	50.00	0.74	-49.26
(12)	02 चालू निर्माण कार्य मूल 25,00.00	25,00.00	19,93.11	-5,06.89
(13)	03 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल 2,00.00	2,00.00	1,24.09	-75.91
(14)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जलविद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 वाह्य सहायतित मूल 1,68.00	1,68.00	24.30	-1,43.70
(15)	05 परेषण एवं वितरण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
91	यू.पी.सीएल को ऋण जिला योजना			
	मूल	1,05.00		
	पुनर्वि०		36.21	16.35
				-19.86
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 68.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			
	उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			
	(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण			
	मूल	0.01		
	पूरक	49.99	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		
(2)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वरोजगार अंशपूजी (49प्रतिशत के0स0)			
	मूल	51.00	51.00	0.00
				-51.00
(3)	277 शिक्षा			
	01 केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनाएं			
	मूल	8,35.28		
			9,35.28	0.00
	पूरक	1,00.00		-9,35.28
(4)	07 रा0औ0प्र0 संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा			
	मूल	2,06.40	2,06.40	0.00
				-2,06.40
(5)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 गोदामों का निर्माण			
	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00
				-1,25.00
(6)	4700 मुख्य सिंचाई			
	06 निर्माणाधीन नहरें			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 सिंचाई नहरों का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00	0.00	0.00
(7)	800 अन्य व्यय			
	91 जनजाति क्षेत्रों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार			
	मूल	6.00	6.00	0.00
	पुनर्वि०	-6.00		-6.00
(8)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	10.00		
	पूरक	90.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		
(9)	4801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों एवं अन्य उपकर्मों में निवेश			
	97 वाह्य सहायतित			
	मूल	1,62.00		
	पुनर्वि०	-1,62.00	0.00	0.00
(10)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	02 पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी			
	मूल	75.00		
	पुनर्वि०	-75.00	0.00	0.00
(11)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	03 चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण			
	पूरक	8.40	8.40	0.00
	पुनर्वि०	-8.40		-8.40
(12)	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	पूरक	75.12	75.12	0.00
	पुनर्वि०	-75.12		-75.12

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(13)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 पारेषण एवं वितरण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण मूल	1,35.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,35.00			
(14)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	3,78.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-3,78.00			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार मूल	50.00	50.00	1,01.57	+51.57
(2)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मूल	1,00.00	1,50.00	1,44.68	-5.32
	पुनर्वि०	50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि के आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (2) के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

परिशिष्ट- 1

(सन्दर्भ : विनियोग लेखे का सारांश पष्ठ सं०-10)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2010-11 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे : -

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(हजार ₹ में)
1	03	2013- मंत्रिपरिषद्	16,00,00
2	06	2029- भू-राजस्व	21,55
3	06	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46,47
4	06	2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	4,85,78,88
5	07	2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें	5,23
6	07	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	5,46,83
7	13	2217- शहरी विकास	1,90,32
8	15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,07,59
9	19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14,59,73
10	23	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2,65,02
11	27	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन	1,00
12	28	2403-पशु पालन	20,39
13	29	2401-फसल कृषि कर्म	8,28,43
योग			5,36,71,44

परिशिष्ट - II
(सन्दर्भ : पृष्ठ सं०- 11 तालिका)

वसूलियों के अनुमान, और वास्तविक आकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट		प्राक्कलन
		राजस्व	पूँजीगत (हजार ₹ में)	
1.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	----		36,37,57
2.	18-सहकारिता	----		----
3.	20-सिंचाई एवं बाढ़	----		----
4.	22-लोक निर्माण कार्य	----		----
5.	25-खाद्य	----		14,00,00,00
6.	29-औद्योगिक विकास	----		3,00,00
	योग	---		14,39,37,57

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना		
		अधिक + कम -		
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(हजार ₹ में)		(हजार ₹ में)		
---	29,41,16	----		-6,96,41
---	5,69,10	----		+5,69,10
18,96,69	1,12,92,56	+18,96,69		+1,12,92,56
--	96,95,26	----		+96,95,26
---	12,28,94,53	----		-1,71,05,47
---	32,85	----		-2,67,15
18,96,69	14,74,25,46	+18,96,69		+34,87,89

परिशिष्ट -III

(सन्दर्भ : टिप्पणी (vi), अनुदान -20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई विभाग -राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010-11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचन्त स्टोक	+83,88.77	+18,40.09	-0.90	+18,39.19	18,96.69	+83,31.27
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-9.03	--	--	--	--	-9.03
कार्यशाला उचन्त	+4,36.51	--	--	--	--	+4,36.51
योग	+88,16.25	+18,40.09	-0.90	+18,39.19	18,96.69	+87,58.75
2702-लघु सिंचाई	--	--	--	--		--
उचन्त स्टोक	--	--	--	--		--
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--		--
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--		--
योग	--	--	--	--		--

परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010-11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	+2,71,16.54	+42,92.75	-4.71	+42,88.04	42,20.16	+2,71,84.42
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+60,57.42	+5,74.92	-9.89	+5,65.03	4,73.19	+61,49.26
योग	+3,31,73.96	+48,67.67	-14.60	+48,53.07	46,93.35	+3,33,33.68

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	--	--	--	--	7.82	-7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	7.82	-7.82

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	-20.81	--	--	--	65,91.39	-66,12.20
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-13.66	--	--	--	--	-13.66
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--	--	--
योग	-34.47	--	--	--	65,91.39	-66,25.86

परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-22)

उचन्त लेन देन -लोक निर्माण विभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010.11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	+2,10,86.21	+52,87.04	-1.55	+52,85.49	50,89.63	+2,12,82.07
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2,03,09.92	+42,05.94	-15.18	+41,90.76	46,05.63	+1,98,95.05
योग	+4,13,96.13	+94,92.98	-16.73	+94,76.25	96,95.26	+4,11,77.12

©
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
2011